राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10 चतुर्थ विधान सभा के दशम सत्र का 46वां दिवस संख्या 27

गुरुवार, दिनांक 29-4-71

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सहकारी, सार्वजनिक निर्माण, गृह, खनिज, कृषि, स्वायत्त-शासन, समाज-कल्याण, नगर विकास न्यास, उपनिवेशन, सहकारिता विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल,

भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति में दर्ज कृषि भूमि

538. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति में दर्ज कृषि भूमि जो कि राजस्थान लेण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्विजीशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट, 1963 के अन्तर्गत रिज्यूम होनी थी वह कितनी है? प्रत्येक भूतपूर्व नरेश की भूमि कितनी कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। तालाब, जंगल, बागान और काश्त भूमि के आंकड़े अलग-अलग देने का कष्ट करें।

(2) क्या किन्हीं भूतपूर्व नरेशों ने अपनी इन निजी सम्पत्ति में शामिल जमीनों को उपरोक्त कानून विधान सभा में पास होने के बाद बेची है? यदि हां, तो किस-किस ने कितनी कितनी जमीन बेची है और कितने कितने रुपयों में? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व उपमंत्री (श्री गंगाराम चौधरी): (1) इस एक्ट के अन्तर्गत रिज्यूम होने वाली भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति में दर्ज कृषि भूमि लगभग 1,74,585 बीघा 3 बिस्वा है। प्रत्येक भूतपूर्व नरेशों की भूमि विषयक सूची संलग्न है। जिसमें अपेक्षित सूचना उपलब्ध है।

(2) जिन भूतपूर्व नरेशों ने कानून के विधान सभा में पास होने के बाद जो जमीन बेची है उसका रकबा और, जितने रुपये में बेची है तद्‌विषयक सूचना संलग्न सूची के स्तम्भ 9 व 10 में उपलब्ध हैं। जिला भरतपुर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सूची में जो विवरण दिया है आपने

Page No 2

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
क्या यह सही है कि उसमें सबसे ज्यादा जमीन एग्रीकल्चर लैण्ड नं. 6 पर डूंगरपुर में रिज्यूम हुई है जो 56366 बीघा 4 बिस्वा है। क्या यह सब से ज्यादा है? या इससे भी ज्यादा और किसी के पास है? सूची के अनुसार तो यही सब से ज्यादा है। अब जिन लोगों से इस कानून के पास होने के बाद जो जमीनें रिज्यूम होने को थीं उनमें भी सैल दिखाई है। इसमें नं. 8 पर कोटा में शो किया है कि 10338 बीघा 14 बिस्वा जमीन उन्होंने बेची है। और 4 लाख 54 हजार 892 रुपयों में बेची है। कोटा के नाम पर यहां एक सदन के माननीय सदस्य ने क्लेम किया था कि वहां एक बीघा जमीन भी एग्रीकल्चर लैंड की नहीं बेची है। ऐसी हालत में मंत्री महोदय क्या कहते हैं? क्या ये फीगर सही हैं?

श्री गंगाराम चौधरी (उपमंत्री, राजस्व): इस समय जो फिगर दिये हैं वे सही हैं।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): ग्रोन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर, जो जमीन इस एक्ट के तहत रिज्यूम की गई उसके लिए मैंने कहा था कि इसमें से कोटा में एक भी बीघा नहीं बेची गई। फिर कहा गया कि चार लाख कुछ रुपयों की जमीन बेची गई। तो यह जमीन वह है जो उस एक्ट के तहत रिज्यूम होने योग्य नहीं थी। यह वह जमीन थी जिनके खुद के प्रोप्राइटरी राइट थे कानून के तहत।

श्री गंगाराम: मेरी जानकारी के अनुसार जिलाधीश ने जो सूचना भेजी है उसमें जो रिज्यूम होने वाली थी उसमें से 1008 बीघा है।

श्री जुझारसिंह: जान बूझ कर जिलाधीश ने गलत सूचना भेजी है। उसमें से एक बीघा भी नहीं बेची जो उस कानून के तहत रिज्यूम हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: कानूनन नहीं बेची।

श्री गंगाराम चौधरी: और जानकारी कर ली जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या सबसे ज्यादा जमीन बेची है 518625 रुपयों की 5325 बीघा जोधपुर के खाने में नं. 3 पर? इस पर से क्या यह मान कर चलें कि क्या इससे अधिक जमीन और किसी ने नहीं बेची? यह आंकड़े कब तक के हैं?

श्री गंगाराम चौधरी: यह अन्तिम आंकड़े हैं आज से करीब आठ दस रोज पहले के।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अब यह कानून पास किया गया तो उस समय यह मांग की गई थी सदन में कि कोई भी कानून को डिफीट करने के लिये अपनी जमीन नहीं बेचेगा इसलिये इस पर कोई प्रतिबंध कानून में लगा देना चाहिये, इस पर गवर्नमेन्ट की तरफ से उत्तर दिया गया था कि चूंकि सीलिंग कानून आलरेडी लागू है इसलिये एक पर्टीक्यूलर डेट के बाद किसी भी प्रकार के ट्रान्सफर अवैध होंगे। तो क्या सरकार आज भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
स्थिति को मानती है कि जितने भी ये ट्रान्सफर किये गये हैं इस कानून के बनने के बाद चूंकि सीलिंग एक्ट पहले लागू हो चुका था और इस जमीन पर सीलिंग भी लागू हुआ है इसलिये जितने भी ये ऐसे ट्रान्सफर हैं क्या सरकार उनको अवैध मानती है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के तहत जो भी राइट्स दिये गये थे और उन राइट्स के दौरान जो फैसले हाईकोर्ट के द्वारा हुए हैं सबजेक्ट टू देट सीलिंग लॉ लागू होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो जमीन ट्रान्सफर करदी गई और जिसके लिये गवर्नमेण्ट ने कहा था कि ऐसे ट्रान्सफर अवैध होंगे उसके बारे में गवर्नमेण्ट का क्या कहना हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : जो ट्रान्सफर कानून के खिलाफ है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री दिग्विजय सिंह : इस तरह से मुक्त करायी गई भूमि भूमिहीन काश्तकारों को ही दी गई है?

श्री गंगाराम चौधरी : यह जानकारी अभी नहीं है। अलग से प्रश्न है।

श्री दिग्विजय सिंह : अधिकृत वे व्यक्ति हैं जो भूमिहीन थे और ऐसी जमीन सर्व प्रथम उन्हीं को दी जानी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीलिंग एक्ट में कहीं ऐसा नहीं हैं। 58-59 में एक साल के लिये गंगानगर जिले में जमीन ट्रांसफर हुई थी। केवल उनको इस तरह की छूट थी इसके अलावा नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार की यह मान्यता है तो सरकार को जनता के इस प्रकार के मामलों में बीच में नहीं आना चाहिये। इल्लीगल डीड जो लोगों ने करा लिये हैं उनमें सरकार न पड़े। क्या सरकार इस तरह का प्रचार और हिदायतें समाचार पत्रों के माध्यम से भी जनता में चलाने को सोचती है ताकि लोग इस प्रकार के इल्लीगल डीडों में न फंसे ? ऐसी जमीनें नहीं खरीदें ताकि बाद में इल्लीगल ट्रान्सफर होने के नाते उनको नुकसान उठाना पड़े।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि 3-3-70 तक के ट्रान्सफर्स जो रजिस्टर्ड हो गये हैं उनको सरकार ने वेलिड माना है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस तरह के कानून के खिलाफ जो ट्रान्सफर पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने रिस्क पर खरीदते हैं कानून सदन ने बनाया हैं। उस कानून के खिलाफ कोई परचेज करता है, उसके लिये वह स्वयं जिम्मेवार होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन ट्रान्सफर्स को सरकार चाहती है कि न हों, हाईकोर्ट का अगर कोई निर्णय है तो मजबूरी है। बाकी के लिये प्रचार के द्वारा क्या सरकार जनता को आगाह करेगी कि इस प्रकार इल्लीगल तरीके से कोई जमीन खरीदेगा तो अपनी रिस्क पर खरीदेगा ताकि जनता अनुचित चक्कर में न पड़े।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री गंगाराम चौधरी : टैक्स का नियम बना हुआ है और लोग कानून को जानते हैं और लोगों को टैक्स के प्रावधानों की जानकारी भी है और जानकारी होने के उपरान्त भी ऐसा होता है तो कानून के जो कान्सीक्वेन्सेज होते हैं वे उनको भुगतना होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या लोग इस प्रकार के ट्रान्सफर कर रहे हैं और आप स्कीम के मुताबिक उनको वैध करते जा रहे हैं? सीलिंग लॉ को डिफीट करने के लिये आप उनको वैध कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स में गैर कानूनी कार्यवाही की जा रही है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : यह जो जमीन है वह क्या क़ाबिले काश्त है और उस पर काश्तकार खेती कर रहें हैं या जमीन बैकार पड़ी हुई है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री सहकारी मंत्री। श्री रामचन्द्र आर्य

नोहर मण्डी में वेयर हाउस का निर्माण कार्य

539. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मंडी नोहर, जिला गंगानगर में अभी वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो कितनी लागत का बन रहा है और उसका निर्माण कार्य कौन कर रहा है?

(2) क्या यह सही है कि वेयर हाउस निर्माण कार्य में ईंटें 3 नम्बर की लगाई जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जनता द्वारा शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उपमंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (1) जी हां, इस गोदाम की अनुमानित लागत 1 लाख 36 हजार 880 रुपये हैं। इसका निर्माण मेसर्स नागोरी ब्रदर्स (ठेकेदार) के द्वारा करवाया जा रहा है।

(2) जी नहीं, नम्बर की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है।

(3) जनता द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि नोहर में वेयर हाउस का जो मकान बन रहा है उसमें तीन नम्बर की ईंटें लग रही हैं और और आपने जवाब दिया है जी नहीं। क्या आप इसकी जांच करवाने का आश्वासन देंगे?

श्री रामदेवसिंह : मैं इसकी जानकारी करवा लूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : लोगों ने शिकायत की हैं और सरकार को लिखकर भेजा है कि तीन नम्बर की ईंटों से निर्माण कराया जा रहा है, उसको रोकना चाहिये। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिये विशेष तौर पर इसकी जांच होना चाहिये और जो पोली ईंटें लगाई गई हैं उस ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री रामदेवसिंह : जनता की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है फिर भी जानकारी करली जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : वहां से रजिस्ट्री करायी गयी है।

श्री अध्यक्ष : आप इनको जनता मान लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके विभाग के पास में, मुख्यमंत्रीजी के पास में रजिस्ट्री गई है। दो, तीन रजिस्ट्री करवायी है। इस प्रकार की आम शिकायत है, गंदा माल लगाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी।

चूरू-रतनगढ़, चूरू झुंझुनू तथा चूरू चालेरी सड़क की मरम्मत

540. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चूरू से झुंझुनूं तथा चूरू से चालेरी सड़कों की दशा बहुत खराब है, वे बुरी तरह से टूटी फूटी पड़ी हैं और गाड़ी चलाने के योग्य भी नहीं हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन सड़कों से गत दो वर्षों से निर्माण मन्त्री जी और मुख्यमंत्रीजी कई बार गुजरे हैं और उन्हें भी इन सड़कों की दशा देखकर परेशानी हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि ये जिला केन्द्र को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं ?

(4) ये सड़कें कब कब बनी थीं ? बनने के बाद इनकी मरम्मत कब–कब की गई व कितना-कितना खर्चा हुआ ?

(5) अब कब तक इन की मरम्मत कर देने की योजना है ?

उपमंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) सूची संलग्न है।

(5) ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत चूरू रतनगढ़ व चूरू चालेरी सड़कों का कार्य किया जा रहा है। चूरू से झुंझुनूं सड़क की मरम्मत के लिये इस वर्ष 60 हजार का प्रावधान रखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मेघराज पंवार : चूरू नगर में सड़क कब शुरू हुई और कब काम पूरा हुआ ?

Page No 6

श्री खेतसिंह : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसमें 47,088 रुपये और 22 पैसे लगाये गये। इसके बाद में 67–68 में 51,144 रुपये, 68–69 में 88,238 रुपये, 69–70 में 55,289 रुपये 24 नये पैसे और 70–71 में 1,01,320 रुपये लगाये गये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मेघराज पंवार : आपने यह बताया है कि यह सड़क नई बनी है। सड़क पर मोटर नहीं चल सकती है। ऐसी स्थिति थी आज के 15 दिन पहले।

श्री अध्यक्ष : श्री नंदलाल।

अनुसूचित जाति व जन जाति अधिकारी

541. श्री नंदलाल (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के पुलिस विभाग में कितने अधिकारी आई. जी. पी. से लेकर थानेदार तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का जो रिजर्वेशन किया हुआ है वह इस विभाग में पूरा किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) :(1) राजस्थान के पुलिस विभाग में आई. जी. से लेकर थानेदार तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के 70 अधिकारी हैं। सूची संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये रिजर्वेशन के आदेशों की पालना हो जाती है। परन्तु जब कभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार परीक्षा के निर्धारित कोटा के अनुसार सफल नहीं होते हैं तो अन्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

श्री नंदलाल : यह जो 70 अधिकारियों की सूची दी गई है उसमें से अलग अलग केडर का कितना कितना पर्सेन्टेज होगा अनुसूचित जाति और जन जाति का ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हरेक अधिकारी को केडर वाइज लिखा गया है उससे आप अन्दाजा लगा लीजिये। यह अलग से प्रश्न है ?

श्री दौलतराम सारण : निर्धारित कोटा से पुलिस विभाग में अधिकारियों में और दूसरे केडर में कितना प्रतिशत कम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस विभाग काफी अर्से से है। राजस्थान के निर्माण के बाद यह निर्धारित किया गया है। यह नहीं कहा है कि पूरे का पूरा कोटा हो गया है। यह काफी कम है। यह जो चयन किया जा रहा है, सब-इन्सपेक्टर, आई. पी. एस. का और विभागीय माध्यम से जो पुलिस की भर्ती की जाती है उसमें निर्धारित कोटा रखा जाता है। आर. पी. एस. और अन्य पोस्टें जो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भरी जाती हैं उनमें भी यह रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग की जो टोटल स्ट्रेन्थ है उसको ध्यान में रखकर पर्सेन्टेज किया जाता है या जो चयन किया जाने वाला है, उसके अनुसार ही पर्सेन्टेज रखा जाता है। पहले से पर्सेन्टेज काफी कम है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने कहा है आई. जी. केडर तक अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जा सकते हैं तो कौन गया है बताइये !

श्री हीरालाल देवपुरा : एक ही पोस्ट है। वहां पर सीनीयोरिटी के आधार पर नियुक्त किया जाता है। जो भी सीनियर होगा वह जायेगा। इसमें लिखा है आई. जी. से लेकर सब इन्सपेक्टर तक।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अगर किसी साल में शिड्यूल्ड कास्ट का जो कोटा होता है वह पूरा नहीं होता है तो वह अगले साल केरीड फारवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट ईयर के लिये उसको लिया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा है उससे स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस की जितनी नफरी है उस नफरी के अनुसार कोटा है। उस नफरी के हिसाब से क्या आप नई भर्ती में कोटा रिजर्व कर रहे हैं या जो नई सीटें डिक्लेयर करते हैं उन्हीं सीट्स को कोटा में विभक्त करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया है कि पुलिस विभाग में सिवाय कान्स्टेबल के सारी भर्ती इम्तिहान के जरिये होती है। जहां तक कान्स्टेबल का सवाल है उसमें तो कर लेते हैं और जो पोस्ट कम्पीटीटिव इम्तिहान के जरिये भरी जाती हैं उनमें यह रिजर्व रखा जाता है और उनको यह एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है। अगर किसी साल एग्जामिनेशन के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का कोटा पूरा नहीं होता है तो वह जगह खाली रखकर नेक्स्ट ईयर के लिए केरीड फारवर्ड कर ली जाती है।

श्री श्रवणलाल : मैं यह जानकारी करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रवणलाल। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी।

मंत्री जी आप खड़े होकर कहें।

श्री खेतसिंह : ये प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं।

धमाम–घोटेला सड़क

542. **श्री श्रवणलाल (हिण्डौन)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर की हिण्डौन तहसील की धमान घोटेला रोड सरकार की योजना द्वारा बनाई गई है ?

(2) यदि हां, तो यह किस योजना में ली गई थी और इस पर किस वर्ष में कार्य चालू किया गया ?

(श्री श्रवणलाल)

(3) उपरोक्त सड़क पर किस वर्ष में कितना कितना रुपया अब तक खर्च किया गया है ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) इस सड़क को सरकार कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कच्ची फेग्नर वैदर रोड के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी । वर्ष 1957-58 तथा 58-59 में कार्य कराया गया ।

(3) वर्ष 1957-58 तथा 58-59 में क्रमशः 57400 तथा 60000 रुपया व्यय हुआ है ।

(4) धनाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता है ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यह रोड प्रथम पंचवर्षीय योजना में ली गई थी और अभी तक इसको किसी भी रूप में क्रियान्वित नहीं किया गया है । इसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री खेतसिंह : मुख्य कारण धनाभाव है । दूसरा निवेदन करना यह है कि बद-किस्मती से वहां कोई रूरल वर्क्स प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं । अगर फेमीन पड़ता होता तो यह काम पूरा हो जाता ।

श्री श्रवणलाल : यह सड़क आपके जवाब के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना की है और प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा ली गई सड़क है और आज चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना आने पर भी इस पर किसी प्रकार का भी वहां पर कार्य नहीं कराया गया है । 57 हजार रुपये केवल मिट्टी डलवाने पर खर्च कर दिये गये हैं और अभी तक मिट्टी, डामर की रोड या किसी प्रकार का कार्य नहीं कराया गया है और आप इसका कारण धनाभाव बता रहे हैं । क्या इन पूरे सालों में अब तक धनाभाव ही रहा है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय बहुत सी सड़कें फेयर वेदर रोड बनी हुई हैं और अभी तक धनाभाव के कारण जो मेटल व डामर वगैरह डालनी चाहिये वह नहीं डाल सके हैं ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय मैं यह पूछना चाहता हूं जो 57 हजार आठ सौ की मिट्टी डाली है वह यों ही बेकार चली गई ।

श्री खेतसिंह : फेयर वेदर रोड है मिट्टी जा भी सकती है । कोई खास बात नहीं है ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहूंगा जैसे मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि वहां भी अकाल पड़ता तो वहां भी कार्य चलाया जाता और सड़क पर कार्य किया जा सकता था । अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि मेरे यहां भी अकाल पड़े और अकाल में सड़क का निर्माण हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : नहीं चाहें तो अच्छा है । प्रश्न पूछ लीजिये ।

Page No 9

श्री श्रवणलाल : माननीय मंत्री ने जवाब दिया है अकाल पड़ता तो काम किया जा सकता था। इसके अलावा भी अकाल नहीं पड़ता है और भविष्य में भी नहीं पड़ेगा उस दृष्टि को मद्दे नजर रखते हुये, क्या इस रोड को अतिशीघ्र प्लान में लेकर किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा विचार है क्या ?

श्री खेतसिंह : इस पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष . श्री किशनलाल।

श्रमजीवी सहकारी समिति, घूमणा

543. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : (1) क्या यह सही है कि श्रमजीवी सहकारी समिति, घूमणा, पंचायत समिति, सिकराय की रोकड किताब वहां के कोषाध्यक्ष निवासी घूमणा द्वारा समिति के पैसे का दुरुपयोग करने व गबन करने की नीयत से गायब की गई ?

(2) यह रोकड़ की किताब कब से गायब है ? रोकड़ की किताब गायब करने के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि की गई, तो क्या ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में धारा 37 राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 के तहत सहायक रजिस्ट्रार द्वारा पुलिस को कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आदेश दिये गये थे ? यदि हां तो पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई या नहीं और नहीं की गई, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इसके सम्बन्ध में अब कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कार्यवाही की जावेगी ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : श्रमजीवी सहकारी समिति घूमणा पंचायत समिति, सिकराय की रोकड़ किताब गुम है। यह रोकड़ किताब किस व्यक्ति द्वारा व किस उद्देश्य से गायब की गई है, बाबत जांच की जा रही है।

(2) समिति की रोकड़ वित्त की किताब मार्च-अप्रेल 1962 से गुम है जिसे प्राप्त करने के लिये राजस्थान सहकार समितियां अधिनियम 1965 की धारा 37 के अन्तर्गत एस. डी. ओ. को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु सहकारी प्रसार अधिकारी पंचायत समिति सिकराय को अधिकृत किया जा चुका है तथा अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत समिति के कार्यकलापों की भी जांच करवाई जा रही है।

(3) जी नहीं। राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 37 के अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार को सीधे पुलिस को आदेश देने का अधिकार नहीं है ऐसे आदेश धारा 37 (3) के अन्तर्गत केवल मजिस्ट्रेट द्वारा ही दिये जा सकते हैं।

(4) अधिनियम की धारा 37 की कार्यवाही के अलावा इस समिति के कार्य के बाबत जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि समिति में दुरुपयोग अथवा गबन जानकारी में आवेगा तो नियमानुसार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

Page No 10

(श्रीरामदेव सिंह)
की जावेगी। रेकार्ड प्राप्त करने के लिये एस. डी. ओ. दौसा को आवेदन-पत्र पेश कर दिया गया है।

श्री किशनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इतने अर्से तक इसकी तलाश क्यों नहीं की की गई ?

श्री रामदेवसिंह : इसमें देर जरूर हुई है।

श्री श्रवणलाल : इसकी जांच कब से हो रही है।

श्री रामदेवसिंह : यह सही बात है। 70 में जांच नहीं हुई और राज्य सरकार के ध्यान में आया तब जांच की है।

श्री किशनलाल वर्मा : इसके सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की तलाश के बारे में।

श्री रामदेवसिंह : एस. डी. ओ. दौसा को निवेदन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

माण्डलगढ़ क्षेत्र की खानें

541. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि माण्डलगढ़ क्षेत्र में पत्थर की खानें चल रही हैं ? यदि हां, तो प्लाट सिस्टम से खानें दी जा रही हैं या ब्लाक सिस्टम से ?

(2) यह ब्लाक कितने प्लाट का होता है ?

(3) प्लाट या ब्लाक देते समय क्या इस बात का ध्यान रखते हैं कि खानें उन्हें दी जानें जो हाथ से पत्थर काटते हैं ?

क्या यह सही है कि मांडलगढ़ के भूतपूर्व विधायक श्री गनपतलाल वर्मा पंचायत समिति, मांडलगढ़ के प्रधान श्री भंवरलाल जी जोशी तथा पंचायत समिति के उपप्रधान श्री सुगनचन्द जैन को भी ब्लाक दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ब्लाक दिये हैं ?

(5) क्या उक्त व्यक्तियों के पास पहले से भी ब्लाक हैं ?

(6) क्या सरकार ऐसे कानून बनाने का विचार रखती है कि जिससे खानें श्रम करने वालों को ही मिलें और बिचौलिये लाभ न उठा सकें ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री भीमसिंह) : (1) जी हां, माण्डलगढ़ क्षेत्र में पत्थर की खाने दोनों ही याने प्लाट सिस्टम व ब्लाक से दी जा रही है।

(2) एक ब्लाक 16 प्लाटों का होता है। एक ब्लाक में 50×50 की साइज के 16 प्लाट होते हैं यदि प्रत्येक ब्लाक 200× 200 साइज का निर्धारित है।

(3) आवंटन नियमानुसार किया जाता है।

(4) जी हां। प्रत्येक को एक ब्लाक।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय क्या माननीय मंत्री जी समाजवाद लाने की दृष्टि से जरूरी समझते हैं कि जो हाथ से काम करने वाले हैं उन्हें पत्थर की खानें दी जायें।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : यह प्रेक्टिल नहीं है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : जब एक एक को प्लाट मिलते हैं 50×50 के तो जो हाथ से काम करने वाले हैं उनको क्यों नहीं दिये जाते हैं जबकि नेता लोग भी यही कोशिश करते हैं कि उनको मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है?

श्री हरिदेव जोशी : (सांकेतिक जवाब)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने जब जब भी प्लाट दिये हैं ये श्री भंवरलाल जी हैं इनको दिये हैं। समाजवाद लाने के लिये कानून में परिवर्तन करना पड़ता है। क्या परिवर्तन लायेंगे?

श्री हरिदेव जोशी : पिछले सभी सेशन्स में जवाब दे चुका हूं और इसलिये यह बात फिर रिपीट कर रहा हूं इसलिये कि मिनरल्स कन्सेशन रूल्स में अध्यक्ष महोदय, दो तरह की चीजें हैं - माईनर और मेजर। वे गवर्न होते हैं रूल्स के अनुसार और उसी के अनुसार लीजेज दी जाती हैं और जो भी कन्सेसन देते हैं उसमें यह प्रावधान नहीं है कि कोई मजदूर नहीं रखा जा सकता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब मैं हर साल यह प्रश्न पूछता हूं तो आप ये प्लाट इनको अधिक से अधिक देते जाते हो। एक एक ब्लाक में 16-16 प्लाट और एक एक व्यक्ति को दो दो ब्लाक दे दिये हैं। मैं जब पूछता हूं आप ज्यादा से ज्यादा देते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप ही नुकसान में रहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पूछने से ज्यादा प्लाट दे रहे हैं तो उसका तरीका यही है कि आप पूछिये ही मत।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसका मतलब है आप इसको लाइटली ले रहे हैं? वे एक हजार रुपया रोज कमा रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न 5 में बताया है, "क्या उक्त व्यक्तियों के पास पहले से ही ब्लाक है", मंत्री महोदय ने सरकारी उत्तर दिया है "जी हां!" मैं जानना चाहता हूं इन ब्लाकों के वितरण में कोई सीलिंग आदि की व्यवस्था सरकार के ध्यान के अन्दर है कि अमुक तादाद से ज्यादा ब्लाक वितरित नहीं किये जायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय को मालूम है कि रूल्स के अनुसार अधिकतम कितने दिये जा सकते हैं। टैन एकसक्वायर माइल्स से ज्यादा नहीं दिये जाने चाहिये और उसका ध्यान रखा जा रहा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो क्या रूल्स में परिवर्तन नहीं हो सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : जहां आवश्यक हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या आप आवश्यक नहीं मानते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप यह चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति को नहीं दिया जाय।

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने कहा है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो मजदूर वर्ग है उसको देने में क्या आपत्ति है ?

श्री हरिदेव जोशी : ... हजार लीज होल्डर है। आपत्ति का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार नियमों में परिवर्तन करने का आश्वासन देगी कि प्रायोरिटीज उन मजदूरों को दी जायगी जो खुद वर्कर हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय मैं स्पष्ट कर चुका हूं प्रायोरिटी के अनुसार रूल्स बने हुये हैं और उनके अनुसार ही काम होता है। जहां तक केवल मजदूरों के द्वारा जो लीज लेते हैं वही काम करें यह नामुमकीन बात है, क्योंकि उनको दूसरो से मदद लेना और काम कराना आवश्यक हो जाता है और वह उनके लिये सम्भव भी नहीं है इसलिये रूल्स में अमेन्डमैंट मुझे सम्भव नही लगता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसी बहुत सी को आपरेटिव सोसायटीज हैं जो हमारे रूल्स में इन्डीज्युअल को ··

श्री हरिदेव जोशी : कोआपरेटिव बेसिस पर हो सकता है ··

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री हंस राज आर्य :

श्री केसरीसिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, 547 जो लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : यह भी ले लूंगा। श्री समाज कल्याण मन्त्री।

स्थगित प्रश्न

(31-3-71)

हरिजन एवं आदिवासियों की नौकरियां

165. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 69 व 70 के दो सालों में राजस्थान में किस किस जिले में कुल कितने हरिजन और आदिवासियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) राजस्थान में कितने हरिजन व आदिवासी कलेक्टर, एस. डी. एम्, एस. पी., व डी. एस. पी. हैं ?

(3) क्या कोई हरिजन महिला गजेटेड आफिसर है ? यदि हां, तो कौन से विभाग में है और क्या पद है ?

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री विशंभर-नाथ जोशी) : (1) वर्ष 69 व 70 में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न विभागों

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
में जितने हरिजन व आदिवासियों को सरकारी नौकरी दी गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान में हरिजन व आदिवासी कलेक्टर, एस.डी.एम., एस.पी. व डी.एस.पी. निम्न प्रकार हैं।

कलेक्टर - 4

एस.डी.एम. – 5

एस.पी. – 1

डी.एस.पी. – 2

(3) राज्य में कोई हरिजन महिला गजटेड आफिसर नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय यह लिस्ट दी गई है, यह अधूरी है। सूची पूरी नहीं मिली है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ऐसा है, इसको अधूरी इस माने में कह सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा है कि 33 विभागों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री डूंगाराम रजोरिया : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हंसराज आर्य : यह आधी रह गई है, यह कब दी जाएगी ?

श्री श्रवणलाल : यह किस कारण से रह गई है ?

श्री हंसराज आर्य : सरकार अनुसूचित जन जाति के लोगों को छोटी पोस्टों पर ले लेती है, बड़ी पोस्टों पर नहीं लेती है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अधिकांश पी.एस.सी. के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं। उसका अपना नियम होता है। 28 कर दिया है उसके बाद भी वांछित योग्यता के व्यक्ति नहीं मिलते हैं . तो वह रह जाते हैं। इसके अलावा सुप्रिम कोर्ट की एक रूलिंग है। उससे ज्यादा प्रतिशत का रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पिछले सालों में ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनमें 28 प्रतिशत कोटा पूरा किया गया है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सारे सम्मिलित आंकड़े हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन यह है कि किस विभाग ने 28 प्रतिशत कोटा पूरा किया है ? किसी विभाग ने नहीं किया है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : क्वालिफिकेशन मांगते हैं, उसके आधार पर नौकरियों में लिया जाता है। सुप्रिम कोर्ट ने रूलिंग दी है। उस अनुपात से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करूंगा कि रिजर्वेशन के सम्बन्ध में हम जल्दी ही लागू कर रहे हैं···

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

Page No 14

श्री श्रवणलाल : मैं यह कहूंगा कि सरकार ने पूरे कहां किये हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सरकार पूरी प्रयत्नशील है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी, पहली और तीसरी क्लास में कितनी नौकरियां दिलाई गई है। परसेन्टेज कितना आता है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आफ हैण्ड तो मैं कुछ निवेदन नहीं कर सकता हूं। सूची दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप ने सूची दी है, उसमें जोड़ा होगा। जो आप की इच्छा भी है। आप पूरा भी करना चाहते हैं। वह ठीक है। आप ने अभी कहा है कि इसका हमें पता नहीं है, तो अभी तक जीरो ही चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय · · ·

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल : आप ने जो सूची दी है, वह अधूरी है। हमेशा जब भी कभी प्रश्न उठाया जाता है तो अधूरा ही उत्तर मिलता है। पहला प्रश्न तो यह है कि आप के द्वारा मांगे हुये आंकड़े जो विभाग नहीं देते हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री श्रवणलाल : दूसरा, कोई भी ऐसा डिपार्टमेण्ट है जिसने कि कोटे को पूरा किया ो ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : कार्यवाही की जो बात है, यह तो बड़ा डिफीकल्ट है। इस सूची का निर्माण किया गया है। इसके लिए मैं फिर डायरेक्टर महोदय को लिख दूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्य मन्त्री भी यहां हैं। इस बारे में एक स्टेटमेण्ट दिला दिया जाये तो हम सब अवगत हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं विचार करूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आप भी मौजूद हैं और मुख्य मन्त्री महोदय भी मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न उठता नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय · · ·

(शोरगुल व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय · · ·

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की इच्छा है, विभागवार जहां जहां अपाइण्टमेण्ट्स किये गये हैं, उसके डिटेल्स मालूम पड़ जायें तो हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। सदन को विश्वास दिया जा सके इसके लिए समाज

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
कल्याण विभाग से, अपाइण्टमेण्ट डिपार्टमेण्ट से बात करके, सूची जितनी जल्दी हो सके प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री गंगासहाय : रिपोर्ट इसी सत्र में पेश हों।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : प्रोन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : यस्।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा के चीफ व्हिप् विजिटिंग गैलरी में बिना पास के बैठे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है। यह वहां बैठ सकते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह जो रिपोर्ट है, इस सत्र के समाप्त होने से पहले ही आजानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आ जायेगी, इसी सदन में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जहां तक मुझे मालूम है, इस प्रकार के प्रश्न, नौकरियों के सम्बन्ध में परसेण्टेज क्या हैं कम से कम 10-12 दफा पूछे गये है। हमेशा अपर्याप्त उत्तर मिला है। उत्तर के द्वारा सरकार ने यही सूचित किया कि यह सूचियां हैं, इन्कम्पलीट हैं। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा होना मेरे ख्याल में बहुत असंतोषजनक है। प्रश्न पूछने का अर्थ क्या है, जब उत्तर के अन्दर सूची देते हैं, उसके अन्दर अपर्याप्त है या कोई जानकारी नहीं है। मुख्य मन्त्री जी ने जैसा कहा, यह तो ठीक है लेकिन बराबर, कन्टीन्यूड प्रासेज, बराबर इस प्रकार प्रश्न पूछे जायं, तो सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. उत्तर दें तो पर्याप्त दें, अपर्याप्त उतर देने का क्या अर्थ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी।

स्थगित प्रश्न

(31-3-71 व 22-4-71)

एप्रोच रोड के कार्य का ठेका

171. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां क्षेत्र की अप्रोच रोड कोयला, फतेहपुर रोड को डामर रोड बनाने का ठेका हो गया था? यदि हां, तो किस किस ठेकेदार को किन टर्म्स व कन्डीशन पर कितने कितने रुपयों का ठेका कब कब दिया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त ठेकेदारों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है? यदि हां, तो अब तक कितना कितना कार्य हो गया है? और पूरा कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, कल भी माननीय उप मन्त्री जी उत्तर दे रहे थे तब विवाद हुआ था और आपके सामने

Page No 16

(श्रीदेवीदत्त गाड़िया)
आपत्ति की थी। माननीय उपमन्त्री जी, आपका विवाद से सम्बन्ध नहीं है।

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य...

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब मन्त्री जी उपस्थित हैं, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री उपस्थित हैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वह जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! आप ऐसे प्रश्न उठाते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उससे सम्बंधित विभाग है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री जी बैठे हुए हैं क्या उनको शर्म आती है जवाब देते हुए।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं। शर्म से नहीं जवाब देंगे, इत्मीनान से देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री जी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री अध्यक्ष : (श्री खेतसिंह से) एक दम दे दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री जी से दिला दीजिये, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप रेसिस्ट कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1971-72 में पूर्ण होने की सम्भावना है

श्री देवीदत्त गाड़िया: सूची नहीं मिली है।

श्री खेतसिंह : नहीं मिली है, तो अभी दे देता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बता दीजिये, पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कितनी बड़ी है।

श्री खेतसिंह : मामूली है।

Name of the Contractor.	Tendered Amount.	Date of Start.	Stipulated date of completion.
Shri Ke a Kishan	33,321/-	27.11.70	26.3.71
Shri Kewal Bakash.	48,452/-	23.12.70	22.3.71

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह कोयला फतेहपुर रोड का ठेका केवल प्रकाश को देने की बात कही है, और 33,321 बताया है, क्या यह सही है कि कोयला-फतेहपुर रोड का ठेका दो ठेकेदारों को दिया गया है ?

श्री खेतसिंह : चार को दिया गया है।

Page No 17

श्री देवीदत्त गाड़िया : दो को ?

श्री खेतसिंह : मेरे खयाल में, जो जानकारी है, उसके अनुसार एक को दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसमें मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोयला—फतेहपुर रोड का ठेका इन्होंने बताया 33321 में दिया है, मेरी जानकारी के अनुसार ठेका 85 हजार रुपये का दो ठेकेदारों को दिया गया है। यही नहीं, आज तक सड़क पर काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ? आ गया न प्रश्न !

श्री खेतसिंह : विभाग की जानकारी के अनुसार 33321 रुपये का ठेका दिया गया है और 26-3-71 को पूरी कर दी गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डामर रोड के लिए दो ठेकेदारों को ठेका दिया गया, केवल प्रकाश और एक सरदार को, लेकिन सड़क पर मिट्टी नहीं गिरी है, साइड पर जरूर पड़ी है, न मरम्मत हुई है, न डामर रोड़ हुई है। और 85 हजार रुपये का ठेका मिला कर दिया है।

श्री खेतसिंह : इसकी जानकारी कर ली जायेगी, जो माननीय सदस्य ने बताया है कि दो ठेकेदार हैं, एक केवल किशन और एक सरदार, और ठेका 85 हजार दिया गया है—इसकी जानकारी करा ली जायेगी। अगर गलत इन्फोर्मेशन डिपार्टमेंट ने दी होगी, तो जिसने दी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ठेका दिये हुए समय हो गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। कोयला फतेहपुर रोड का काम पूरा नहीं हुआ आप बता दीजिये साहब, सड़क कब तक पूरी होगी ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दें।

श्री खेतसिंह : मैंने उत्तर दे दिया। ख्वामख्वाह प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ख्वामख्वाह का प्रश्न नहीं है, छः महीने हो गये ठेका दिये हुए उप मंत्री जी के पास सूचना पूरी नहीं हैं, इस प्रकार सदन को बराबर हर प्रकार से हर प्रश्न पर गुमराह करते हैं, यह सूचना गलत देते हैं। यह उत्तर भी गलत दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 85 हजार में ठेका दिया, छः सात महीने हो गये, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कौन से महीने काम पूरा हो जायेगा, दो महीने चार महीने ?

श्री अध्यक्ष : अवधि दे दीजिये।

श्री खेतसिंह : यह सही कैसे है और गलत कैसे है। विभाग ने जानकारी जो लिखित में दी है, दस्तखतों से दी है, वह तो गलत है और आप मनमाने तौर पर जो कह रहे हैं वह सही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं चुनौती देता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को विभाग ने जो जानकारी दी वह सही नहीं

(श्री देवीदत्त गाडिया)
हैं। इसलिए कहता हूं कि सदन को गुमराह करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तेजित न हो, सीधा सादा सवाल है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं निवेदन करता हूं, मुख्य मंत्रीजी फतेहपुर गये थे, उस समय आश्वासन दिया था...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाडिया : लेकिन वह सड़क बनी नहीं। फतेहपुर ने नाम कमाया है हिन्दुस्थान में, वहां पर काफी अधिक कोपरेटिव हैं,...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप वहां घोषणा कर आये थे कि सड़क बनेगी। मैं कहूंगा मुख्यमंत्री आप घोषणा नहीं किया करें...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाडिया : वहां सड़क नहीं बनी है और मंत्रीजी कहते हैं...

श्री अध्यक्ष : अभी कई स्थगित प्रश्न लेने हैं। आप एक सवाल पर ही अड गये उसको ही नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरे भी प्रश्न हैं, तो कम से कम दूसरे माननीय सदस्यों को सहूलियत दीजिये ।

नेक्स्ट। श्री हाड़ा ।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह नवाब साहब काम ही ऐसा है। आप खड़े होकर उत्तर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गये माननीय सदस्य ।

स्थगित प्रश्न

(31-3-71 व 22-4-71)

प्राचीन चित्र व मूर्तियों की चोरी

176. श्री केसरी सिंह हाडा : (हिन्डोली) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत दो वर्षों में प्राचीन चित्र व मूर्तियों की चोरी का दौर रहा है ?

(2) गत दो वर्षों में राज्य में कुल कितनी मूर्तियां कहां कहां से चोरी गई और कितने चित्रों तथा मूर्तियों को क्या पुलिस बरामद कर सकी ?

राज्य मंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) राज्य में गत दो वर्षों में प्राचीन चित्र व मूर्तियों की चोरी की 121 वारदातें हुई हैं ।

(2) गत दो वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 259 मूर्तियां चोरी गई है जिनमें से 122 मूर्तिया पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई हैं । जिलेवार विस्तृत सूचना संलग्न तालिका (क) में अंकित है ।

(3) जी नहीं। पुलिस द्वारा भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी ये मूर्तियां अभी तक बरामद नहीं हो पाई हैं।

(4) जी हां, फरवरी 1970 में भीलवाडा के श्री भंवरलाल मुलजिम एक

(श्री हीरालाल देवपुरा)
जैन मन्दिर की मूर्ति चोरी करने के अपराध में मु. नं. 43/79 थाना भीलवाडा में गिरफ्तार किया गया और उससे वह मूर्ति बरामद की गई थी। मुलजिम भंवरलाल से अन्य कोई मूर्ति बरामद नहीं हुई है।

(5) मूर्तियों व चित्रों की चोरी के गिरोह में नाम जनहित में बताना उचित नहीं है। विदेशी सहायता प्राप्त होने की जानकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इससे जो खण्ड हैं, फिर मन्त्री जी ने पांच का करे जवाब दे दिया। इसके अतिरिक्त . . .

श्री हीरालाल देवपुरा : पांच प्रश्न हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : इसके अतिरिक्त दी हुई सूची है वह पढने के लायक नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता हूं। इसमें जिलेवार सूची है, इसके आधार पर प्रश्न पूछ नहीं सकूंगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरे पास प्रश्न छपा है, वह प्रश्न वही है जिसका जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : 176 ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां।

एक माननीय सदस्य : गलत छप गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा, क्या सरकार ने कभी इस सम्बन्ध में विचार किया है कि प्राचीन और महत्वपूर्ण मूर्तियां है इनको संरक्षण दिया जाय और उसके लिए राजस्थान भर की एक तालिका बना ली जाय ? क्या कभी ऐसा विचार सरकार ने किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है तो भी सहुलियत का प्रश्न है। आप उचित समझे तो दे दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह सरकार की नीति से सम्बन्ध रखता है, आपत्ति हो तो न दें।

गृह मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, वह आर्कोलोजीकल डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है, उससे ही उत्तर लिया जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं वह आश्वासन दे दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्राचीन चित्र और मूर्तियों की चोरी न हो— इस दृष्टि से क्या सरकार से कोई विचार कर इस प्रकार की व्यवस्था की है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : चोरी किसी प्रकार की नहीं हो— इसका बराबर ध्यान रखा जाता है। प्राचीन मूर्तियों और चित्रों की चोरी नहीं हो— यह खास बात नहीं है। किसी प्रकार की भी चोरी नहीं हो और जब चोरी होती है तो

(श्री हीरालाल देवपुरा)
तफतीश की जाती है, जांच की जाती है और बरामद करने की कोशिश की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढ़ा !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह ठीक है, यह प्राकृतिक नियम है, आप चोरी जैसी चीज को सम्पूर्णतया रोक नहीं सकते हैं, बन्द नहीं कर सकते हैं। मैं तालिका के बारे में कहता हूं सहूलियत के लिए, इससे सरकार को जानकारी हो जाती है इतनी मूर्तियां हैं, पांच हजार या हजार मूर्तियां हैं, जिनको संरक्षण दिया जाय। पुलिस हर साल जाकर जांच करे, यह संरक्षण दी हुई मूर्तियां हैं, जो तालिका में दर्ज हैं वह राजस्थान में विद्यमान है या नहीं ? यह सरकार की नीति का प्रश्न है। सरकार को विचार करना चाहिए, नहीं तो अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आशंका है कि एक भी मूर्ति नहीं बचेगी, पांच साल में जैसे जंगली पशु खत्म हो गये, उसी तरह मूर्तियां भी निर्मूल होकर कहीं फ्रांस में, अमेरिका में और दूसरी जगहों में चली जायगी। इसमें मेरे ख्याल में देश और राष्ट्र की हानि है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्षी दल के नेता महोदय ने कहा, उसका गृह मन्त्री ने जवाब दिया था इसका सम्बन्ध आर्कोलोजीकल डिपार्टमेंट से है।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है, दो विभागों से सम्बन्ध है।

श्री हीरालाल देवपुरा : बरामदगी का जो प्रश्न है उसके लिए मैंने कह दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जोइन्ट रैस्पान्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोर्डिनेशन होना चाहिए।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह मूर्तियों की सुरक्षा का प्रश्न है, पालिसी का है।

श्री हीरालाल देवपुरा : बिल्कुल है। मैंने कहा, चोरी की जाती है तो उसकी कार्यवाही की जायेगी, तफतीश की जायेगी, बरामद की कोशिश की जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : लिस्ट पुलिस वाले रखेंगे तो मूर्ति शायद ही कोई बचेगी।

प्रश्न सं. 272

श्री अध्यक्ष : बालसिंह सोढ़ा !

प्रश्न सं. 278

(अनुपस्थित– कृपया आगे देखिये।)

श्री हरलालसिंह खर्रा !

(अनुपस्थित– कृपया आगे देखिये।)

श्रीमती मदन कौर !

<u>स्थगित प्रश्न</u>

(16–4–71)

भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा लगान की वसूली

298. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर

(श्रीमती मदन कौर)
जिले के भूतपूर्व जागीरदारों ने संवत् 2012 और 2013 का भूमि लगान काश्तकारों से वसूल किया था ?

(2) यदि हां तो क्या यह भी सही है कि जागीरदारों को दिये जाने वाले मुआवजे से लगान की इस रकम को पुनः राज्य सरकार के खजाने में जमा कराया जाता था ?

(3) बाड़मेर जिले के कितने भूतपूर्व जागीरदारों से उनके मुआवजे की रकम में से लगान की रकम वसूल नहीं की गई जो कि अब भी बकाया है ? प्रत्येक जागीरदार में कितनी रकम बकाया है, इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब तक इस रकम की वसूली के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

(5) अब इस रकम की पूर्णतया वसूली कब तक कर ली जावेगी ?

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) बाड़मेर जिले में ऐसे 127 भूतपूर्व जागीरदार हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) बकाया की वसूली तहसील स्तर पर जारी है।

(5) इस बकाया वसूली चालू वर्ष के अन्त तक कर ली जायेगी।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्रीमती मदन कौर : क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के जितने भूतपूर्व जागीरदारों ने सं. 2013 में लगान की वसूली की थी, उनमें से किसी के भी मुआवजे में से कटौती नहीं की गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी के अनुसार 127 भूतपूर्व जागीरदार हैं जिनके मुआवजे में से लगान की कटौती नहीं की गई है ।

श्रीमती मदन कौर : खंड दो का जवाब आपने दिया है "जी हां" तो क्या कारण है कि यह रकम जागीरदारों को दिए गए मुआवजे में से वसूली नहीं की गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : जागीरदारों के मुआवजे का निपटारा डिप्टी कलेक्टर, जागीर, और जागीर कमिश्नर करते है जो एक न्यायालय हैं। न्यायालय से हम कुछ निवेदन नहीं कर सकते ।

श्रीमती मदन कौर : वसूल नहीं की गई और अब की जा रही है तो कितनी वसूली करेंगे ? इसकी जानकारी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अलग से जानकारी नहीं है लेकिन जैसा मैंने भाग 5 के उत्तर में निवेदन किया है चालू वित्त वर्ष में सारी वसूली की जायेगी ।

श्रीमती मदन कौर : छोटे छोटे काश्तकारों की लगान की बकाया रह जाती है तो ब्याज लेते हैं, उनको नोटिस

Page No 22

(श्रीमती मदन कौर)
देते हैं, तरह तरह से उनको तंग करते हैं और जागीरदारों में बकाया है उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं, यह क्या तरीका है राज्य सरकार का ?

श्री गंगाराम चौधरी : अधिकतर पिछले वर्ष अकाल के कारण वसूली स्थगित की गई। चालू वर्ष में सारी वसूली की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

स्थगित प्रश्न
(22–4–71)

अलवर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. के चेयरमैन

418. श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर के, सन् 1967–68 और 1968–69 में चेयरमैन ने बैंक की चेयरमैनशिप कौनसी तारीख तक की ? इस दौरान बैंक के मेनेजर कौन थे ?

(2) क्या उक्त बैंक का आडिट 1967–68 और 1968–69 को हो चुका है ? यदि हां तो दोनों आडिट रिपोर्टों की प्रतिलिपियां भी मेज पर रखें।

(3) इन दोनों वर्षों की आडिट रिपोर्टों में चेयरमैन और मैनेजर द्वारा किए गए कार्यों में आडिट पार्टी द्वारा कौन कौन से आक्षेप लगाए ?

(4) क्या आडिट के आक्षेपों पर चेयरमैन और मैनेजर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री सहकारिता (श्री रामदेवसिंह): (1) अलवर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. अलवर में निम्न व्यक्तियों ने उनके आगे अंकित तारीखों चेयरमैनशिप की :

1– श्री रामजीलाल यादव
14–5–66 से 16–10–67

2– श्री रामसिंह यादव
16–10–67 से 12–10–68

3– श्री दुर्लभसिंह
12–10–68 से 9–12–69

इस दौरान बैंक के मैनेजर श्री हरिदत्त व्यास रहे।

(2) जी हां। आडिट रिपोर्ट की प्रतियां वर्ष 1967–68 व 1968–69 संलग्न है।

(3) दोनों वर्षों की आडिट रिपोर्ट में चेयरमैन और मैनेजर के विरुद्ध आडिट पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रतियां परिशिष्ट 'ए' पर सलंग्न हैं।

(4) आडिट आक्षेपों पर की गई कार्यवाही परिशिष्ठ ए कालम 3 पर अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय जो सूची मुझे सप्लाई की गई है, इतनी मोटी····

Page No 23

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो सूची मुझे दी गई है वह भी ऐसी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पढ़ी नहीं जाती...

श्री अध्यक्ष (मंत्री महोदय से) : नम्रता के साथ यह सूची नजर करता हूं।

श्री हंसराज आर्य: हमेशा ऐसे ही अस्पष्ट कागज आते हैं जो पढ़ने में नहीं आते, यह सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है, लज्जा की बात है, ऐसा लगता है सरकार के अधिकारी सरकार के कन्ट्रोल में नहीं है। ऐसी सूचियां दें जो माननीय सदस्यों को पढ़ने में आती हों।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (सरकारी पक्ष से) मैं फिर से निवेदन करूं कि इस मामले को थोड़ा जिम्मेदारी से लिया जाए। अब तक जो मेरे पास प्रश्नों के उत्तर आए हैं, उनमें कई सूचियां व उत्तर अस्पष्ट उत्तर होंगे, सूचियां अस्पष्ट होंगी तो मैं उनको ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे पास कोई इलाज नहीं हैं सिवाय इसके कि माननीय सदस्य को कुछ हानि पहुंचाई जाए और आज प्रश्न को न लेकर दूसरी बार लूं। माफ करें, मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : काफी लताड़ पड़ी है।

अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

स्थगित प्रश्न

नहरी कमांड एरिया की भूमि

427. श्री श्रवणलाल (हिंडोन) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में नहरी कमांड एरिया की जमीनें किस किस जिले में कितनी कितनी बीघा खाली पड़ी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त जमीनों को गांधी शताब्दी वर्ष में भूमिहीन हरिजनों को अलाट नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों और यदि सरकार जमीनें अलाट करना चाहती है तो कब?

उपनिवेशन मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) जो जमीन अब तक स्थाई रूप से आवंटित नहीं हुई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों को 67106 बीघा नहरी कमांड जमीन अलाट की गई हैं।

(कृपया परिशिष्ठ 7 पर देखिये)

श्री श्रवणलाल : आपने जो अपने उपर के उत्तर में बताया कि जो जमीन एलाट की गई है, उसकी जो सूची दी है, यह जमीन क्या स्थाई तौर से अलाट की है, या अस्थाई तौर से?

श्री शोभाराम : आप सूची में देखेंगे कि जो राजस्थान कैनाल एरिया में जमीन एलाट की गई थी क्योंकि हाई कोर्ट के स्टे-आर्डर्स आ गये थे, उसका स्थाई आवंटन नहीं कर सकते थे इसलिए अस्थाई आवंटन करना था, लेकिन मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि आखिरकार इस जमीन का परमानेन्ट एलाटमेंट होगा। जो जमीन हरि-

(श्री शोभाराम)
जनों को इस समय टेम्परेरी तौर पे ऐलाट की गई है, उस जमीन को नहीं छीना जाएगा, इस प्रकार का प्रावधान कर रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : जो सूची दी है, जिसमें अस्थाई एलाटमेंट बताया है, वह अस्थाई अलाटमेंट है या स्थाई ?

श्री शोभाराम : हरिजनों के लिए ती 90 प्रतिशत जमीन की लिस्ट बताई है, उसमें राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर टेम्परेरी बेसिस पर एलाटमेंट हुआ है और इस कारण से हुआ है कि हाई कोर्ट की तरफ से राजस्थान कैनाल नहरी क्षेत्र की योजना के अन्दर परमानेंट एलाटमेंट नियमों के अन्तर्गत खामी रहने की वजह से एलाटमेंट बन्द कर दिया गया है।

श्री श्रवणलाल : जो लिस्ट आपने दी है उसमें 2,17,727 बीघा के करीब आपकी सूची के अनुसार है और आपने बताया है कि गांधी शताब्दी में 67 106 बीघा एलाटमेंट की गई है, तो क्या भूमि नहीं थी या एलाटमेंट ही इतना किया, कम किया तो क्यों किया ?

श्री शोभाराम : राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में गत वर्ष 61 हजार बीघा जमीन एलाट की। इस साल जो वैकेंट लैंड है उसमें प्रत्येक गांव के अंदर 50 प्रतिशत के करीब हरिजनों के लिए रिजर्व कर ली जाए और वह जो हरिजनों को एलाट करायेंगे इस साल 5–10 दिन में शुरू होने वाला है। उसमें जो वेकेंट लैंड है उनको शेयर और मिलेगा। हमारे सामने कई प्रकार से रिजर्वेशन्स थे। सवा लाख एकड़ जमीन रिजर्व की गई और कई प्रकार के रिजर्वेशन्स को ध्यान में रखकर जो वेकेंट लैंड हमने और निकाली है, वह एडीशनल होगी। इस साल 76 हजार बीघा का एलाटमेंट किया जाएगा। जो कुछ हमने एक लाख का वायदा किया था शिड्यूल्ड कास्ट्स को एलाट करने का, उस वायदे को मैं समझता हूं 90 प्रतिशत इस साल हम पूरा कर पायेंगे।

श्री श्रवणलाल : एक प्रश्न। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, कुछ समय में ही आगे आने वाली फसल से पहले ही 50 प्रतिशत जो जमीन है उसमें से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को एलाटमेंट कर देंगे, तो क्या यह माना जाय कि इस प्रकार के आदेश अपने विभाग को निकाल दिए हैं ?

श्री शोभाराम : इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगा सहाय।

स्थगित प्रश्न
(22–4–71)

कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र की सहकारी समितियों के चुनाव

435. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र में कितनी सहकारी समितियां हैं ?

(2) इन सहकारी समितियों के चुनाव पिछली बार कब हुए थे व क्या इनके चुनाव नियमित रूप से होते हैं ?

(श्री गंगासहाय)

(3) क्या इनका आडिट विभाग द्वारा वर्षानुवर्ष होता है ? यदि हां, तो कठूमर की बाबा सहकारी समिति की ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री सहकारिता (श्री रामदेवसिंह):

(1) कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र में 48 सहकारी समितियां हैं।

(2) कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र की सह-सहकारी समितियों के निर्वाचन जिन तिथियों में हुए उनका ब्योरा परिशिष्ठ (क) पर है।

चुनाव नियमित रूप से प्रति वर्ष नहीं हुए हैं। राजस्थान सहकारी समितियां संशोधित नियम, 1969 प्रभावशाली होने के पश्चात समितियों के निर्वाचन इन नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष कराये जाने का प्रयास किया गया है।

(3) राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 1965 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक समिति का आडिट प्रति वर्ष कराए जाने की व्यवस्था है। 46 सहकारी समितियों का आडिट दिनांक 30–6–70 तक का हो चुका है। जो जो सहकारी समितियां आडिट से रह गई हैं उनका आडिट इस वर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने के लिए सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर को निर्देश दे दिए हैं। बाबा सहकारी समिति की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1969–70 सदन की मेज पर पेश है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गंगासहाय : बाबा सहकारी समिति की रिपोर्ट में जो आडिट आब्जेक्शन्स किए गए हैं, उनकी पूर्ति की गई है ?

श्री रामदेव सिंह : अब उनके बारे में देखा जायगा।

श्री गंगासहाय : कब तक आडिट आब्जेक्शन्स की पूर्ति करदी जाएगी ?

श्री रामदेव सिंह : जल्दी से जल्दी।

श्री गंगासहाय : सीमा होनी चाहिए, 2 महीने 4 महीने। पता नहीं लगता कितने समय में करेंगे।

श्री राम देव सिंह : बहुत जल्दी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यही जवाब है, यही सवाल है।

श्री गोयल।

स्थगित प्रश्न

(22-4-71)

मकानों का अनधिकृत निर्माण

437. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) कोटा नगर के वार्ड नयापुरा उत्तर व वार्ड छावनी छत्रपुर में कितने मकानों का निर्माण अनधिकृत है ? कृपया तालिका मय संख्या व नाम देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि मंत्री कमेटी द्वारा पूर्व में उपरोक्त मकानों को गिराने की कार्यवाही की गयी थी ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(3) अब न्यास उपरोक्त मकानों के निर्माण को नियमित किये जाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उप मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) पहली सूची सदन की मेज पर रख दी गई थी।

(2) मंडी कमेटी कोटा द्वारा भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनाधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारों के लिये निवेदन किया है।

(3) विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न 1 में सूची दी है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने भी इसको कोलोनाइजेशन का नहीं माना है, ट्रेसपासर्स मानता है।

श्री खेतसिंह : खंड 3 में मैंने कहा है कि विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : खण्ड 1 में सूची दी है वह कोलोनाइजेशन विभाग से आयी है। ट्रेसपासर्स बताया है। कोटा ट्रस्ट भी इनको ट्रेसपासर्स मानता है।

श्री खेतसिंह : ट्रेसपासर्स मानता है आप कह रहे हैं छावनी छत्रपुर में 223 और दूसरी में 233 केसेज हैं। आया इनको ट्रेसपासर्स माना जाय या इनको बसाया जाय। यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या जो अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन हुए हैं उनको रेगुलेराइज कर लिया जाय यह निर्णय लिया है।

श्री खेतसिंह : हर एक के लिये लागू होने की बात नहीं है। टाउन प्लानर्स ने जो स्कीम बनायी है उस एरिया में, उसमें वे एडजस्ट हो सकेंगे तो उनको किया जा सकेगा नहीं तो उनको हटाया जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उन क्षेत्रों में उन अनअथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन को रेगुलेराइज कर लिया जाय ऐसा निर्णय ले लिया है क्या ? चूंकि माननीय मुख्य मन्त्रीजी यहां पर हैं, यहां पर विवाद चला था और राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि अनअथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन हैं उनको रेगुलेराइज कराया जाय। मैं यह माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि क्या कोटा के संबन्ध में इस प्रकार के अनअथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन को रेगुलेराइज करने का निर्णय लिया है ?

मुख्य मन्त्री : (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) जहां तक मुझे याद है ऐसा ब्लेन्क डिसीजन नहीं लिया गया है कि जो भी अनअथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन है उनको रेगुलेराइज कर लिया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इम्पेक्ट टाइटल के केसेज में निर्णय लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इम्पेक्ट टाइटल वाले केसेज कहां कहां हैं उनको देखा जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है अनअथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन हैं उनको रेगुलेराइज किया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
जाना है और प्लान बना रहे हैं उसमें एडजस्ट कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपसे विनम्र प्रार्थना है...

श्री अध्यक्ष : अभी श्री गोयल बोल रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन राइटिंग में कन्वे किया है। किसी कम्प्रोमाइज के द्वारा उनके मकानों को रेगुलेराइज कर दिया जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इन राइटिंग किया है तो विभाग उसके बारे में कार्यवाही कर रहा होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राइटिंग में ओवर्स पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न
(15-4-71 व 22-4-71)

पेट्रोल पम्प के लिए भूमि

272. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजती गेट से स्टेशन जोधपुर पर स्थित मूंदड़ा पेट्रोल पम्प को नगर सुधार न्यास द्वारा अवाप्त किया गया है? अगर हां, तो कब अवाप्त किया गया और अवाप्त करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त पेट्रोल पम्प की जगह उनको दूसरा प्लाट दिया गया है? अगर हां, तो किस जगह यह प्लाट दिया गया है और अगर मुआवजा दिया गया है तो कितना?

(3) क्या यह भी सही है कि जोधपुर नगर में इस प्रकार से और भी पेट्रोल पम्प अवाप्त कर लिये गये हैं? यदि हां, तो कितने और किस किस पेट्रोल पम्प की क्या क्या शर्तें अवाप्त करने की हैं? पिछले दो वर्ष में कितने इस प्रकार से पेट्रोल पम्प अवाप्त किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सोजती गेट से स्टेशन, जोधपुर पर स्थित मूंदड़ा पेट्रोल पम्प की भूमि नगर परिषद् जोधपुर की सम्पत्ति है। इसको अवाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जोधपुर नगर न्यास द्वारा कोई भी पेट्रोल पम्प अवाप्त नहीं किया गया है।

स्थगित प्रश्न
(15–4–71 व 22–4–71)

कृषकों को दवाइयों का वितरण

278. श्री हरलाल सिंह खर्रा– (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री. यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि विभाग द्वारा सन 1960 के बाद फसलों के रोग की रोकथाम के लिये कौन कौनसी दवाई कितनी कितनी मात्रा व कीमत की कब कब खरीदी गई ? सूची सालवार बताने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस समय जो दवाइयां कृषकों को विभाग द्वारा दी जा रही हैं वे काफी पुराने होने से असर नहीं करती ?

(3) उपरोक्त सन् के बाद कितनी कितनी दवाइयां किस किस जिले को कब कब दी गईं व कितनी कितनी बांटी व बेची गईं व कितनी कितनी पड़ी हैं ?

उत्तर

(1) सालवार क्रय की गई कीट–नाशक औषधियों की कीमत संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(3) सालवार कुल बेची गयी कीट–नाशक औषधियों की राशि व कितनी कितनी वर्ष के अन्त में बाकी हैं संलग्न हैं । पिछले 4 सालों में जिलेवार जो दवाइयां दी गई हैं उसकी सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

कोटा जिले की गऊ घाट से ब्यावर तक की कच्ची सड़क

537. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में गऊ घाट से लेकर ब्यावर तक कच्ची सड़क को पक्की बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ?

(2) कुल कितनी धन राशि खर्च होने का अनुमान है ? कितनी राशि का ठेका दिया जा चुका है ? इसमें क्या क्या काम करने है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) यह सड़क कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) 5,50,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है । 94881) रुपये का ठेका दिया है । सड़क को पूरा कर डामर करना है ।

(3) कार्य प्रगति पर है । कार्य पूर्ण होने की तिथि निश्चित करना सम्भव नहीं है ।

अन्ता–सांगोद सड़क

538. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अन्ता-सांगोद

(श्री देवीदत्त गाडिया)
रोड का आधा हिस्सा कच्चे मार्ग के रूप में पड़ा हुआ है ?

यदि हां, तो कितना लम्बा मार्ग कच्चा पड़ा हुआ है ? और इसको डामर रोड कब तक बना दिया जावेगा ? और इस पर कितना रुपया खर्च होगा ?

(2) इस सड़क पर कब कब मरम्मत का कार्य करवाया गया और उस पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां । 16 कि. मी. कच्चा है, डामर करने पर अनुमानतः लागत 6,80,000 रुपया होगी ? डामर करने की योजना नहीं है।

(2) यह सड़क विभाग की मरम्मत सूची में नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता है।

अन्ता-सीसवाली सड़क

539. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अन्ता-सीसवाली सड़क के बीच में कई स्थानों पर बड़े बड़े खाल हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर खाल हैं और उन पर पुलियों का निर्माण करवाने की क्या योजनाएं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि यदि इन खालों पर पुलिया नहीं बनाए गए तो सड़क के टूटने व खराब होने की सम्भावना है ?

(3) इस सड़क पर डामर का कार्य किस स्थान पर चल रहा है ? और पूरी सड़क पर कब तक डामर हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तथा 14 में खाल हैं । अर्थाभाव के कारण वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

(2) सड़क टूटने की सम्भावना नहीं है।

(3) डामर कार्य अभी कहीं नहीं चल रहा है। वर्ष 71-72 में 1 लाख का प्रावधान किया गया है ।

अकाल राहत कार्यों में बनी जिला बूंदी की सड़कें

540. श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सन् 1966 में जिला बून्दी में कितनी सड़कें कहां कहां पर बनाई गईं ? तहसील वार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) इन में कितनी सड़कें अधूरी हैं और कितनी सड़कें पूरी हो चुकी हैं ? सड़कों की सूची सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में वर्ष 1966 में अकाल राहत में किये कार्यों की सूची प्रस्तुत है ।

(2) कृपया परिशिष्ट 10 देखिये ।

खेडली मण्डी से मण्डावर मण्डी तक सीधी सड़क

541. श्री नगासहाय (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खेडली मण्डी से मण्डावर (महुवा रोड) मन्डी को माल भेजने के लिए 28 मील का चक्कर काट कर वाहनों को जाना होता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि खेडली मन्डी से समूची, दातियां होकर यदि मण्डावर तक सीधी सड़क बनादी जावे तो माल वाहनों को 14 मील का चक्कर बच सकता है ? यदि हां, तो सरकार यह कार्य क्यों नहीं करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां । किन्तु अर्थाभाव के कारण सड़क निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

दौसा से लाका बैरावंडा वाया गढ़राणोली सड़क

542. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील दौसा से भांडारेज के आगे तहसील सिकराय में गढ़राणोली होती हुई जो सड़क लाका बैरावंडा जाति है उसकी हालत मरम्मत न होने से बहुत खराब हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि बीच-बीच में कई जगह इस सड़क की मरम्मत का कार्य छोड़ दिया गया है तथा क्या यह भी सही है कि इस सड़क पर पड़ने वाले पुल न बनने के कारण वर्षा ऋतु में आवागमन रुक जाता है ?

(3) क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत कराने का तथा बीच में पड़ने वाले पुलों को बनवाने का कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत कब कराई जावेगी ?

उत्तर

(1) वार्षिक मरम्मत की जाती है मील 10 से 12 व 16 से 18 की दशा अधिक अच्छी नहीं है ।

(2) जी नहीं । मील 4 व 7 में क्रोस ड्रिनेज के अभाव में अधिक वर्षा होने पर यातायात को कठिनाई होती है।

(3) जी हां । किन्तु अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं हो रहा है।

ग्राम इटमारिया में गिरफ्तारी का मामला

543. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के ग्राम इटमारिया के एक राजनैतिक कार्यकर्ता श्री हिम्मत सिंह को दफा 107 के अन्तर्गत अदालत में 23 मार्च को हाजिर होने सम्बन्धी कोई सम्मन मिली थी ?

2. क्या यह सही है कि श्री हिम्मत सिंह को दिनांक 22 मार्च को ही पुलिस

(श्री देवीदत्त गाडिया) द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

3. क्या यह सही है कि उक्त कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा जो की गई है वह राजनैतिक दवाव के कारण है ?

4. क्या यह सही है कि 21 मार्च को दो अन्य राजनैतिक कार्यकर्ता श्री दौलतसिंह व श्री नरेन्द्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो क्यों और किन कारणों से ?

उत्तर

1. जी नहीं । सही यह है कि अदालत सब डिविजन मजिस्ट्रेट, शाहपुरा ने तहकीकात धारा 107।117 जाब्ता फौजदारी के सिलसिले में श्री हिम्मतसिंह की गिरफ्तारी के लिये एक वारन्ट गिरफ्तारी जारी किया था जिसकी पेशी 23-3-71 नियत थी।

2. जी हां । उपरोक्त वारन्ट गिरफ्तारी की तामील में दिनांक 22-3-71 को श्री हिम्मत सिंह की गिरफ्तारी की गई थी ।

3. जी नहीं । यह गिरफ्तारी वारन्ट अदालत की तामील में की गई है ।

4. जी नहीं सही यह है कि पुलिस शाहपुरा में एक अपराध सं0 9 सन् 71 धारा 445।147।149।325 भा0द0सं0 का श्री नरेन्द्रसिंह, दौलतसिंह तथा इसके अन्य साथियों के विरुद्ध अनुसंधान में था, जिसमें इनकी गिरफ्तारियां करनी थीं, दिनांक 22-3-71 को श्री नरेन्द्रसिंह तथा दौलत सिंह पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिये अदालत के समक्ष उपस्थित हो गये । अदालत ने अनुसंधान कर्ता की प्रार्थना पर दो अपराधियान को इसी दिन 1 दिन की मोहलत पर पुलिस हिरासत में दिया था । इस अनुसंधान को सम्पूर्ण किया जाकर दिनांक 29-3-71 को चालान पेश कर दिया गया है।

ग्राम बडौली धाऊ में डकैती

544. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि थाना कामां के ग्राम बडौली धाऊ में डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो यह डकैती किस माह, किस तारीख में, किस व्यक्ति के यहां कितने बजे पड़ी और इसमें कितना कितना क्या क्या माल तथा नकदी लूटी गई ?

2. क्या यह सही है कि उक्त घटना की पुलिस अधिकारियों ने जांच की है ? यदि हां, तो किस किस अधिकारी ने इसकी जांच की है और इसमें कहां तक पुलिस को कामयाबी मिली है और केस किस स्टेज पर है ?

3. क्या यह भी सही है कि उक्त डकैती के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को भी बुलाया तथा तलब किया गया था ? यदि हां, तो किस किस ग्राम के कौन कौन व्यक्ति को बुलाया और बिठलाया गया और उनसे क्या तथ्य मिले ?

Page No 32

(श्री मजलिस खां)

4. क्या यह सही है कि ग्राम छिद्दरवाड़ी में भी डकैती पड़ी थी और उसमें भी काफी मारपीट तथा लूट की गई थी ? यदि हां, तो यह डकैती किस जाति के व्यक्ति के यहां, किस माह की कौन सी तारीख को कितने बजे, कितने डकैतों द्वारा डाली गई ?

5. क्या यह भी सही है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त डकैती की जांच सम्बन्धी ग्रामीण लोगों को तलब किया गया था, और उनको कई दिन तक बिठलाया गया था ? यदि हां, तो किस ग्राम के किस किस नाम के व्यक्तियों को बुलाकर बिठलाया गया और उनको छोड़ दिया गया ?

6. क्या यह भी सही है कि पुलिस अधिकारियो ने यह स्पष्ट कहा है कि उक्त दोनों डकैतियों का पता चल गया है, और बहुत जल्दी खुलने वाली है ? यदि हां, तो उनमें अब तक कितने डकैत गिरफ्तार हुवे और कितना माल बरामद किया गया ?

उत्तर

1. जी हां । यह घटना दिनांक 7/8-11-69 की रात को 11 बजे श्री हरमन पुत्र जोरावर गूजर निवासी बड़ोली धाऊ के यहां घटित हुई थी इसमें 8,000) रुपये का माल लूटा गया था जिसकी सूची संलग्न है ।

2. जी हां । इस घटना की तफतीश सर्व प्रथम श्री कर्मसिंह उप निरीक्षक द्वारा प्रारम्भ की गई । उसका स्थानान्तरण होने के बाद श्री पृथ्वीसिंह पुलिस उप निरीक्षक द्वारा की गयी । श्री पृथ्वीसिंह का स्थानान्तरण होने के बाद अब यह तफतीश श्री उभरावसिंह पुलिस उप निरीक्षक द्वारा की जा रही है। इन अनुसंधान में अब तक ता0 :-10-70 को पोहपी, कपल, बलवन्तसिंह, करतारसिंह, रामधन, अपराधियों को गिरफ्तार किया गया इनके खिलाफ ता0 27-:-71 को नामुकम्मिल चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। इनके साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी करके माल बरामद करना है। तफतीश जारी है।

3. इस मुकदमें की तारीख में ता. 20-11-69 को श्री रघुवर पुत्र श्री महताब पाण्डे, पाण्डे उर्फ रामसिंह पुत्र श्री रघुवर गूजर श्री मोती पुत्र श्रीराम गूजर साकिनान बड़ोली धाऊ को तथा रामजीलाल पुत्र लीलाराम गुजर सा0 परमदरा को तफतीश के लिये बुलाया गया था उनसे इस वारदात के बारे में कोई तथ्य की बात मालूम नहीं हुई, उन्हें उसी रोज छोड़ दिया गया था।

4. जी नहीं । ग्राम छिद्दरवाड़ी में भी कोई डकैती नहीं पड़ी । ता0 11/12-12-69 को दरम्यानी रात को श्री भमन पुत्र चिमन कौम लोदा के यहां भी गृह भेदन की वारदात हुई थी । इस वारदात को करने वाले 6-7 व्यक्ति बताये गये थे । इस गृह भेदन के अभियोग में तारीख 28-2-70 को एफ0आर0 अदम पता में दे दी गई है ।

5. इस गृह भेदन की तफतीश के सिलसिले में श्री मन्ने उर्फ नब्बू पुत्र महताब मेव व श्री नवलसिंह पुत्र मोहनलाल माली सा0 छिद्दरवाड़ी को बुलाया गया था और बाद तफतीश कोई तथ्य की बात मालूम नहीं

(गृह मंत्री)

होने से उन्हें छोड़ दिया गया। किसी के साथ कोई ज्यादती या मारपीट नहीं की गई।

6. जी नहीं। पुलिस अधिकारियों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि उक्त वारदातों का पता चल गया है। ग्राम छिछरवाड़ी वाली वारदात का भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी कोई पता नहीं चला तथा ग्राम बड़ौली धाऊ वाली वारदात में आज तक 5 मुलजिमान गिरफ्तार किये जा चुके हैं तथा बाकी के मुलजिमान गिरफ्तार करके उनसे माल बरामद करने की कोशिश की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

कृषि भूमि का नामान्तरकरण

545. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि भूमियों के नामान्तरकरण की इस समय क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इससे पूर्व में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही थी तथा उसको बदलने के क्या कारण थे?

(2) जिन उद्देश्यों को लेकर पूर्व की प्रक्रिया को बदलना पड़ा उन उद्देश्यों की कहां तक पूर्ति हुई?

(3) पंचायतों को इस सम्बन्ध में दिये गये अधिकारों से जनसाधारण को क्या लाभ हो रहा है तथा उसकी जानकारी सरकार ने किस प्रकार से की और क्या नतीजा सरकार के सामने आया?

(4) क्या इस मौजूदा प्रणाली में भी कोई सुधार किया जाना है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

उत्तर

(1) कृषि भूमि के नामांतरकरण के पूर्व प्रक्रिया राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रणालीकरण करने की थी। राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति संख्या प. 8:185:राज/57, दिनांक 11—9—57 के द्वारा प्रक्रिया को बदलते हुए निर्विवाद नामान्तरकरण के निर्णय का अधिकार उन ग्राम पंचायतों को दिया जिन के अधीन वह गांव स्थित थे। उसका उद्देश्य नामान्तरकरण कार्य में गत्यावरोध को समाप्त करना और कृषक को अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने का था।

(2) जहां तक कृषक वर्ग की सुविधाओं का प्रश्न था उस उद्देश्य की पूर्ति अवश्य कर चुके हैं किन्तु गत्यावरोध समाप्त करने की दशा में प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि ग्राम पंचायतों के समक्ष बड़ी संख्या में नामान्तरकरण विचाराधीन है।

(3) पंचायत को नामान्तरकरण के निर्णय के अधिकार दिये जाने से जनसाधारण को तहसील मुख्यालय तक जाने आने की परेशानियों से मुक्ति मिल गई है और उनके नामान्तरकरण का प्रणालीकरण उनके स्वयं के ग्राम अथवा उनके निकटस्थ ग्राम जहां ग्राम पंचायत केन्द्र में आता है। सरकार उसकी ओर बराबर नजर रखती जा रही है जो नतीजा सामने आया है वह यह है कि कृषकों को सुविधा तो मिली परन्तु कार्य में शीघ्रता नहीं आई उसके लिए राज्य सरकार ने परिपत्र सु

Page No 34

(राजस्व मंत्री)

6:83:राज।ता।63 दिनांक 12-10-65 जारी कर निर्देश दिया है कि जहां ग्राम पंचायतें 20 दिन की अवधि में निर्णय करने में असफल रहें वहां उपखण्ड अधिकारी उन नामान्तरकरणों को ग्राम पंचायत से स्थानान्तरित करके तहसीलदार को निर्णय हेतु दे दें। इससे कार्य में कुछ शीघ्रता आई है।

4. ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम सौंखरी की रुंध की भूमि

546. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कठूमर पंचायत समिति के ग्राम सौंखरी की रुन्द की कितने बीघा भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग को स्थानान्तरित की गई?

(2) इस स्थानान्तरित की गई भूमि में से कितनी भूमि अनधिकृत रूप से लोगों ने अपने कब्जे करली तथा उस अनधिकृत कब्जे जात भूमि को सरकार ने वापिस लिया या नहीं? यदि वापस ली गई, तो उसका अलाटमेंट हुआ या नहीं और यदि एलाटमेंट नहीं हुआ हैं तो कब तक किया जायेगा?

उत्तर

(1) तहसील लक्ष्मणगढ़ को वन विभाग द्वारा 210 बीघा भूमि पर दखल दिया है।

(2) इस 210 बीघा भूमि में से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वालों ने 37 बीघा भूमि ले ली है इस सम्बन्ध में अभी अपील चल रही है अतः अभी तक कब्जे सरकार में नहीं ली गई है।

अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि का आवंटन

547. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सन् 1969 में जिन भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को पंचायत समिति क्षेत्र कठूमर में कृषि भूमि आवंटित की गई थी उन सभी को आवंटित भूमि पर दखल दिये जा चुके हैं? यदि हां, तो रोणीनाथान ग्राम की जिस भूमि का आवंटन किया गया था उन अवंटीतियों को दखल किन किन तिथियों में दिया गया?

उत्तर

जिन अनुसूचित जातियों के लोगों को सन् 1969 में भूमि आवंटित की गई एवं जिनके आवंटन की अपील में स्टे नहीं किया या अपील में निरस्त नहीं किया केवल उन्हें कब्जा दिया जा सका है। आमतौर से यह आवंटन नियमित नहीं पाये गये।

ग्राम मानरैमा की कृषि भूमि

548. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटौल के ग्राम नागदेला के करीब 48 वन-वासियों की खाता या खसरा नं. 55 की करीब 393 बीघा कृषि भूमि जो करीब 20-22 वर्ष से उनके कब्जे में थी को वनवासियों द्वारा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
उजधारी करने पर जिलाधीश ने अक्तूबर 68 को अपने निर्णय एफ. 2 (113) एल 66/723 के द्वारा यह आदेश जारी किया था कि उक्त भूमि वनवासियों के नाम से खाते बांध दी जावे? यदि हां, तो उस आदेश की पालना हुई या नहीं और यदि नहीं, तो क्यों? जिलाधीश के इस सम्बन्ध के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ गुजरातियों ने फर्जी कार्यवाही करके वनवासियों से जमीन छीनने के लिये जिलाधीश के निर्णय के विरुद्ध रेवेन्यू बोर्ड में अपील नहीं करके राजस्व मन्त्री कार्यालय से स्टे-आर्डर लेकर पुलिस आदि की मदद लेकर वनवासियों को जबरन उक्त भूमि से हटा दिया? यदि हां, तो राजस्व मन्त्री ने स्टे आर्डर किन नियमों के अन्तर्गत दिया और उस स्टे आर्डर का निर्णय अब तक क्यों नहीं हो पाया? स्टे आर्डर की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जिन गुजराती व्यक्तियों को राजस्व मन्त्री ने स्टे आर्डर दिया है गुजरात के निवासी हैं? यदि हां, तो वे कौन कौन हैं?

(स्थगित किया गया)

काश्त को भूमि पर रिहायशी मकान

449. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने खाते की काश्त की भूमि पर रिहायशी मकान बनाने हेतु पट्टा देने की घोषणा कर दी है? यदि हां तो कब? घोषणा की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यह सरकारी घोषणा कब से कार्यान्वित की गई है?

(3) इस घोषणा के अनुसार खातेदार अपनी कृषि भूमि पर क्या 500 वर्ग गज या कुल खाते के पांचवें हिस्से में या जो भी अधिक हो उस पर रिहायशी मकान बना सकेगा?

(4) अधिकतम सीमा सरकार द्वारा एक हजार वर्ग गज की हो सकेगी, जिसमें से पांच सौ वर्ग गज से अधिक का परिवर्तन मूल्य 20 पैसा प्रति वर्ग गज के हिसाब से क्या वसूल किया जावेगा?

(5) क्या यह सत्य है कि जिन लोगों ने पहले से ही अपनी कृषि भूमि पर मकान बना रखे है उनका इन्हीं नियमों के अनुसार नियमित कर दिया जायगा?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने निजी खाते की भूमि को गांवों में रिहायशी एवं व्यापारिक कार्य के लिये परिवर्तन करने के संबंध में नियम दिनांक 10-2-71 को प्रकाशित किये हैं जिनकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त नियम तत्काल प्रभाव से लागू किये हैं।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां, यह सही है।

(4) खातेदार काश्तकार से 500 वर्ग गज या उसकी जोत के 1/50 में हिस्से तक आबादी व व्यापारिक काम में लेने की दशा में उसके कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया जायगा। इसके अतिरिक्त 500 वर्ग गज तक ऐसे निर्माण पर भी प्रीमियम वसूल नहीं किया जायेगा जो बीज भण्डार पशु गृह, चारा एवं कृषि यंत्र रखने हेतु बनाये गये गोदाम आदि के काम में लिया गया है। यदि किसी खातेदार काश्तकार ने रिहायशी एवं व्यापारिक कार्य हेतु 500 वर्ग गज या अपनी जोत के 1/50 वें हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कर लिया तो उससे 25 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से प्रीमियम वसूल किया जायेगा।

(5) जी हां, यह सही है।

भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि का अलाटमेंट

550. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि अलाट की गई है ? यदि हां, तो नागौर जिले के किस किस भूतपूर्व सैनिक को नागौर जिले में कहां कहां पर कौन कौनसी कितनी कितनी भूमि कब कब एलाट की गई और उनको कब्जा कब कब दिया गया ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

बालाजी की कोठी के रास्ते की सड़क

551. किशनलाल वर्मा (सिकराय) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगर परिषद्, जयपुर ने चौकड़ी तोपखाना हजूरी में बालाजी की कोठी के रास्ते में टूटी फूटी सड़क को पुनः बनाने की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो यह स्वीकृति कितने रुपये की दी गयी है ?

(2) स्वीकृति के अनुसार अब तक कार्य न कराने का क्या कारण है ?

(3) इस सम्बन्ध में टेन्डर कॉल किए गये हैं ? यदि हां, तो कितनी बार किये गये हैं ?

(4) अब इस सड़क के बनने के कार्य में क्या प्रगति हो रही है तथा इस सड़क का कार्य कब पूरा किया जावेगा और कब तक समाप्त हो जावेगा ?

(5) क्या इस सड़क की आगे और मरम्मत कराने अथवा निर्माण किए जाने का नगर परिषद्, जयपुर विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) चौकड़ी तोपखाना हजूरी में रास्ता बालाजी की कोठी में डामर की सड़क पर कारपेट करने के तखमीनों की राशि रु. 4400) की स्वीकृति परिषद् द्वारा दी गई है।

(2) कार्य टेन्डर कई मरतबा आमंत्रित किये गये परन्तु टेन्डर नहीं आये। दिनांक

(स्वायत्त शासन मंत्री)

7-11-70 को आने पर स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं, एवं परिषद् की अर्थ समिति के विचाराधीन है ।

(3) इस संबंध में 6 बार टेन्डर काल किये गये ।

(4) इसका उत्तर क्रम सं. 2 पर दिया जा चुका है टेन्डर परिषद् से स्वीकृत हो जाने पर कार्य एक माह में पूरा कर दिया जावेगा ।

(5) आगे मरम्मत व निर्माण कार्य के विषय में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नगर विकास न्यास, जयपुर में अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधि

552. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय सु.) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर विकास न्यास में प्लाट्स के आवंटन हेतु अनुसूचित जाति का अथवा अनुसूचित जन जाति का एक प्रतिनिधि और लिए जाने की घोषणा की थी ?

(2) यदि यह बात सही है, तो इसके अनुसार अब तक उक्त प्रतिनिधि क्यों नहीं लिया गया है ?

(3) इस घोषणा के अनुसार अब कब तक कार्यवाही की जायगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता । यद्यपि इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 27-3-71 द्वारा जयपुर नगर न्यास में अनुसूचित जाति का एक सदस्य मनोनीत किया जा चुका है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

मकान बनाने के लिय ऋण

553. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है अनुसूचित जाति के लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण व सहायता देने की राज्य सरकार की योजना है ? यदि हां, तो नागौर जिले में वर्ष, 1969-70 व 1970-71 में किन किन को कितना रुपया ऋण व सहायता के रूप में किस किस माध्यम से दिया गया ? सूची तहसीलवाइज सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) उक्त जिले में उपरोक्त योजना के तहत सन् 1971-72 में कितने परिवारों को कितने कितने रुपये दिये जायेंगे ? पूर्ण विवरण तहसीलवाईज सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है । ऋण जिलाधीश के माध्यम से और अनुदान पंचायत समिति क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा अन्य में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से दिया गया है ।

(2) इस विषय में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 38

मुकदमा लड़ने के लिये सहायता

554. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

अनुसूचित जन-जाति व अनुसूचित जाति के लोगों को किस किस जिले में कितनी कितनी राशि मुकदमा लड़ने के लिए सहायता के रूप में अब तक दी गई है ? वर्षवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

भवन निर्माण सहकारी समितियां

555. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कौन कौनसी भवन निर्माण सहकारी समितियां कब कब से पंजीकृत हैं तथा उनके कौन कौन सदस्य हैं और कार्यकारिणी के सदस्य व पदाधिकारी कौन कौन हैं ? बैलेन्सशीट की प्रतियां सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त समितियों के पास कितनी कितनी जमीनें हैं जो कहां कहां से प्राप्त की गई हैं तथा प्राप्त की गई जमीनों का क्या क्या उपयोग किया गया है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) प्रत्येक समिति की राशि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें ।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में दिनांक 31-3-70 को कुल 106 भवन निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं । प्रत्येक समिति की वांछित सूचना परिशिष्ठ क, ख व ग में संलग्न है ।

(2) उक्त समितियों के पास कितनी कितनी भूमि है वह कहां कहां से प्राप्त की गई है तथा भूमि का क्या उपयोग हुआ है, यह सूचना परिशिष्ठ (क) में अंकित है ।

(3) प्रत्येक समिति की हिस्सा राशि का विवरण परिशिष्ठ (क) में अंकित है ।

(परिशिष्ट की एक ही प्रति सदन की मेज पर रखी है क्योंकि समयाभाव से इसकी प्रतियां नहीं बन सकीं ।)

(परिशिष्ट क, ख व ग विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गए)

वेयर हाऊस की संख्या

556. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य में वेयर हाउस काफी तादाद में बने हुए हैं ? यदि हां, तो कितने वेयर हाउस किस किस स्थान पर कितनी कितनी लागत के बने हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

जी हां । स्थान एवं लागत के संबंध में सूचना संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ठ, 12 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(31-3-71 व 16-4-71)

अतिक्रमण करने वाले काश्तकारों के कब्जे की भूमि का नियमन

173. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया कि 31 दिसम्बर, 1967 तक के अतिक्रमण करने वाले 2 लाख काश्तकारों के कब्जे की भूमि को रेगुलराइज कर दिया जावे ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों के कब्जे नाजायज करार दिये गये और उन काश्तकारों में से कितनों के रेगुलराइज किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के अतिक्रमी काश्तकारों की भूमि बारानी क्षेत्र में ही है ? यदि हां, तो नहरी क्षेत्र के काश्तकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि नहरी क्षेत्र में जिन काश्तकारों को अतिक्रमी घोषित किया गया है, उनके कब्जे की भूमि उनके पुराने कब्जे की है ? यदि हां, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किस कारण से किया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में भूमिहीन व कम जमीन वाले काश्तकारों के कब्जे में सरकारी भूमि काफी सालों से है और इन काश्तकारों पर अनाप शनाप तावान भी कायम किया हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रकार के कुल कितने काश्तकार हैं और उनके कब्जों में कुल कितने एकड़ भूमि है ?

(5) क्या यह सही है कि काफी तादाद में इस प्रकार के नाजायज कब्जों के बारे में मुकदमे चल रहे हैं ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों के विरुद्ध मुकदमे राज्य सरकार व सम्बन्धित तहसीलदारों व एस. डी. ओ. की अदालतों में चल रहे हैं ? क्या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के मुकदमों को समाप्त कर उसके कब्जों का रेगुलराइजेशन करने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस रूप में और नहीं तो क्यों ? समस्त चल रहे मुकदमों की तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने दिनांक 5-10-67 को यह आदेश प्रसारित किये थे कि दिनांक 31-12-66 तक के नाजायज कब्जों का विनियमन नियमानुसार कर दिया जाय । मामले पर पुनर्विचार किया जाकर अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1-1-71 तक के नाजायज कब्जों का विनियमन कर दिया जाय तथा तदनुसार आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं । जिन काश्तकारों का कब्जा दिनांक 31-12-66 तक के मामलों में नाजायज करार किया गया तथा उनमें जितने मामलों का विनियमन किया गया यह सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(राजस्व मंत्री)

(2) राजस्व विभाग द्वारा केवल बारानी क्षेत्रों के नाजायज कब्जों का विनियमन करने के ही आदेश प्रसारित किये गये हैं। नहरी क्षेत्रों के विनियमन का सम्बन्ध राजस्व विभाग से नहीं है।

(3) नहरी क्षेत्रों में नाजायज कब्जों के विनियमन का सम्बन्ध राजस्व विभाग से नहीं है।

(4) गंगानगर जिले में नहरी क्षेत्रों में नाजायज कब्जों के विनियमन का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(5) बारानी क्षेत्र से सम्बन्धित मुकदमों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(16-4-71)

पाटन तहसील में भूमि आवंटन के लिये प्रार्थना-पत्र

297. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले की पाटन तहसील में 1-1-70 से 1-1-71 तक किस नाम से भूमि आवंटन की दरख्वास्तें आईं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त अवधि में आई दरख्वास्तों पर किन किन को आवंटन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यह भी बताने का कष्ट करें कि उपरोक्त अवधि में किन किन की दरख्वास्तें विचारार्थ रखी गई व किन किन की खारिज की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) खारिज की गई दरख्वास्तों की सूची में प्रत्येक खारिज करने के कारण बताने का कष्ट करें।

(4) क्या सरकार ऐसी दरख्वास्तों पर पुनः विचार करेगी जिनको खारिज करने का कारण उचित नहीं पाया गया हो ? अगर हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील पाटन जिला झालावाड़ में 1-1-70 से 1-1-71 तक आये हुए प्रार्थनापत्रों की सूची "क" संलग्न है।

(2) उपरोक्त प्रार्थनापत्रों में से आवंटन शुदा व्यक्तियों की सूची "ख" संलग्न है। शेष रहे प्रार्थनापत्रों की सूची "ग" संलग्न है। खारिज किये गये प्रार्थनापत्रों की सूची "घ" संलग्न है।

(3) खारिज की गई दरख्वास्तों की सूची में खारिज करने का कारण दर्ज है।

(4) खारिज की जाने वाली दरख्वास्तों पर पुनः विचार का नियम नहीं है। प्रार्थी चाहे अपील कर सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(16-4-71)

भूमि के तबादले

306. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भूमि के हर प्रकार के तबादले बन्द हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि भूमि के तबादले बन्द होते हुए भी तबादले हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राजस्थान कैनाल व भाखरा कैनाल में जनवरी, 1968 से आज तक जो तबादले हुए हैं उनके नाम, तादाद, भूमि के विवरण की प्रति सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 में विनियमन का प्रावधान है। वह विनियमन राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार की विशेष परिस्थिति में किया जाता है।

(क) जहां पर सिंचित मानकर भूमि आवंटित की गई थी। लेकिन मौके पर भूमि ऊंची होने के कारण पानी नहीं लगता।

(ख) पोंग डेम विस्थापियों के मामलों में।

(ग) विकलांग या वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को।

(घ) एकीकरण करने के लिये।

2. उत्तर आइटम नम्बर एक में आ चुका है।

3. तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

16–4–71

सहकारी ऋणों की बकाया और उसकी वसूली

313. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला जालोर में पिछले पांच सालों की किस किस प्रकार के सहकारी ऋणों की कितनी बकाया है और उसमें वसूली योग्य बकाया कितनी किस किस साल की है ? साल वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सालों की सरकारी ऋणों की बकाया सालवार कितना मूलधन व कितना ब्याज सम्मिलित है ? बकाया ब्याज में सालवार कितना साधारण ब्याज व कितना पीनल ब्याज जोड़ा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। पीनल ब्याज लगाने के क्या कारण हैं ?

(3) इस प्रकार के सरकारी ऋणों की वसूली में अधिक से अधिक कितना ब्याज मूलधन के साथ वसूल किया जा सकता है ? इस बारे में ब्याज वसूली के सरकार

Page No 42

(श्री रघुनाथ विश्नोई) ने अब तक क्या क्या आधार रखे हैं ? भविष्य में इस बारे में सरकार क्या नीति अपनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(24-4-71)

चूरू जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें

430. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान बनने के बाद चूरू जिले में कौन कौन सी सड़कें अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत की गईं ?

(2) प्रत्येक अभावग्रस्त वर्ष में ऐसी प्रत्येक सड़क पर कुल कितना व्यय हुआ और कितनी लम्बी सड़क बन सकी ?

(3) ऐसी प्रत्येक सड़क की अब क्या स्थिति है ? प्रत्येक सड़क पर अब तक सब अकालों में कुल कितना कितना व्यय हुआ ?

(4) प्रत्येक सड़क की लम्बाई क्या है तथा विभागीय तखमीने के अनुसार उक्त प्रत्येक सड़क पूरी बनने में क्या व्यय होता है ?

(5) क्या उक्त सड़कों के नीचे आई भूमि का काश्तकारों को भूमि के बदले भूमि या मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(22-4-7)

बारां-मांगरोल सड़क

418. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बारां-मांगरोल सड़क पर कई स्थानों पर बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं और पुलिया के दोनों तरफ अभी तक रोड नहीं बनी है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

उत्तर

बारां-मांगरोल सड़क के कुछ भाग में वर्षा तथा नहरी पानी के कारण खड्डों की साधारण मरम्मत विभागीय गैंग द्वारा की गई है और जहां जहां खड्डे हैं उनकी मरम्मत विभागीय गैंग कर रही है। पुलिया के दोनों तरफ मिट्टी की सड़क बना दी गई है। धनराशि उपलब्ध होने पर डामर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

Page No 43

स्थगित प्रश्न
(16-4-71)

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक बाड़मेर द्वारा दिया गया ऋण

314. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बाड़मेर द्वारा बैंक की स्थापना से लेकर अब तक किस किस वर्ष में किस किस प्रकार का कितना कितना ऋण दिया गया है ?

(2) ऋण की किस किस वर्ष की कितनी बकाया है ?

(3) क्या यह सत्य है कि ऋण प्राप्त-कर्त्ताओं में से कई व्यक्तियों का अब कोई पता नहीं लग रहा है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की नामवार सूची मय रकम के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बाड़मेर की स्थापना के बाद वर्षवार जो ऋण दिया गया है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	अल्पकालीन	मध्य कालीन ऋण
1959—60	15—16	—
1960—61	4—47	—
1961—62	2—40	—
1962—63	8—58	0.17
1963—64	7—82	2—47
1964—65	8—49	2—29
1965—66	32—41	6—41
1966—67	13—95	35—77
1967—68	21—69	6—31
1968—69	13—34	30—24
1969—70	23—46	6—09
1970—71 (31-12-70 तक)	6—30	0—15

(2) दिये गये ऋण की बकाया का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	अल्पकालीन	मध्य कालीन
1	2	3
1959—60	12—11	—
1960—61	11—04	—

(सहकारी मंत्री)

1	2	3
1961–62	7–01	–
1962–63	12–08	0–05
1963–64	12–78	2–52
1964–65	9–14	4–41
1965–66	19–57	9–91
1966–67	11–39	30–51
1967–68	21–33	10–71
1968–69	13–33	37–81
1969–70	20–11	53–83
1970–71 (31–12–70) तक	25–24	53·83

(3) जी हां। 1965 में पाक संघर्ष के समय कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गये उनका पता नहीं लग रहा है। सदस्यों की सूची मय रकम के परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(22–4–71)

चम्बल क्षेत्र को सडक निर्माण योजना

431. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सत्य है कि डाकू ग्रस्त चम्वल क्षेत्र में 500 मील की लम्बाई की सड़कों के निर्माण की योजना राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रस्तावित की है? यदि हां, तो कब और इस योजना के अन्तर्गत किस जिले की कौन कौनसी सड़कें बनाने की प्रस्तावना है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि केशोरायपाटन से लाखेरी जाने वाला कच्चा मार्ग दूसरी पंचवर्षीय योजना का जीता जागता अवशेष का प्रतीक है? जबकि तहसील पाटन के मध्य में एकमात्र यही सड़क है और जब कि इस तहसील में ग्राम रंगराजपुरा में और ग्राम घाटा का वराना में डकैतियां पड़ चुकी हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस सड़क को प्रस्तावित योजना में क्यों नहीं लिया है?

(3) क्या यह तहसील चम्बल क्षेत्र से लगी हुई नहीं है?

(4) क्या यह सत्य नहीं कि यह सारी तहसील चम्बल सिंचाई योजना के अन्तर्गत आती है और बरसात में सिवाय रेल के इस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया जा सकता?

(स्थगित किया गया)

विशेषाधिकार प्रश्न प्रतिवेदन सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष: विशेषाधिकार के सम्बन्ध में प्रश्न माननीय गाड़िया जी ने उठाया था एक अधिकारी के सम्बन्ध में। उस संबंध में विशेषाधिकार समिति को वह प्रश्न सौंपा है। समिति के सभापति इस संबंध में जानकारी देंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) अध्यक्ष महोदय, आज सुबह विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। कुछ स्टेटमेंट ले लिये गये उनके द्वारा जो नाम बताये गये थे वे उपस्थित थे। रिपोर्ट पेश करने लिये समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष: समय देने के लिये सदन सहमत है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कोई डेट फिक्स कर दी जाय कि जब तक आप सबमिट कर देंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: 10 मई के पहले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: 7, 8 व 9 मई की छुट्टियां हैं। 10 से पूर्व का मतलब है 6 से पूर्व।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: इसका माने यह है कि कल परसों और तरसों की छुट्टी है उसको भी गिन लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: छुट्टियों में मीटिंग कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: सब की छुट्टियां क्यों गारद करते हैं?

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:

1. श्री रामचन्द्र आर्य व श्री दौलत राम सारण, सदस्य विधान सभा ने गंगनहर में पानी की बन्दी के कारण कपास आदि की बुआई न होने से काश्तकारों को नुकसान पहुंचने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

2. दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राज्य सरकार द्वारा श्रम न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14-12-70 को दिये गये निर्णय को अमल में न लाने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के कारण सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री बृजवल्लभ बोहरा व श्री महेन्द्रसिंह, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें गल्ले के भाव गिर जाने एवं किसानों को उसका उचित मूल्य न प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। इस विषय में इसी सत्र में काफी चर्चा हो चुकी है। अतः मैं इसको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

दो पेन्डिंग स्थगन प्रस्तावों के संबंध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं।

(1) राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के चक नं0 1 के ए0एम0 के भूमिहीन काश्तकारों की फसल कुछ गुण्डों द्वारा लूट लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदार नाथ, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) अजमेर में बालकों को उड़ाये जाने की घटनाओं के सम्बन्ध में श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त दोनों मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

इनके अलावा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना निम्नांकित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई है जिसमें बंगला देश में एक महीने से भीषण नर संहार होने, वहां पर एक स्वाधीन गणराज्य घोषित हो जाने तथा वहां की स्थिति में निरन्तर बिगाड़ हो जाने पर भी भारत सरकार द्वारा मौन साधे रहने का उल्लेख किया गया है।

1. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
2. श्री देवीदत्त गाड़िया
3. श्री कृष्ण कुमार गोयल
4. श्री केसरीसिंह हाड़ा
5. श्री नन्दलाल
6. श्री फतेहसिंह
7. श्री यशवंतसिंह नाहर
8. श्री प्रेमसिंह सिंघवी
9. श्री रामचन्द्र आर्य
10. श्री भगवानदास शास्त्री
11. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
12. श्री मनोहरसिंह मेहता
13. श्री दौलतराम सारण
14. श्री लाभचन्द वैद
15. श्री मेघराज पंवार
16. श्री हीराभाई
17. श्री फूलचन्द बापना
18. श्री बृजवल्लभ बोहरा
19. श्री विट्ठलभाई
20. श्री रामप्रसाद बोहरा
21. श्री दिग्विजयसिंह।
22. श्री जुझारसिंह।
23. श्री श्रवण लाल।
24. श्री केदार नाथ।
25. श्री रामानन्द अग्रवाल।
26. श्री चुन्नीलाल जेलिया।

इस मामले का सीधा सम्बन्ध भारत सरकार से है किन्तु सदन के माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में चिन्तित हैं और इसलिये मैं राज्य सरकार की इस विषय में प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहूंगा।

Page No 47

(श्री अध्यक्ष)

मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

बंगला देश संबंधी स्थगन प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, यह बंगला देश के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना हम माननीय सदस्यों की तरफ से दी गई है। इस संबन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि राज्य सरकार इस संबन्ध में आपको अपनी प्रतिक्रिया दे। हमने इसमें कोई भी ऐसा तथ्य विवादास्पद नहीं लिखा है अध्यक्ष महोदय, बंगला देश की 7½ करोड़ जनता आज अपनी आजादी की रक्षा के लिये जीवन मरण के संग्राम में जूझ रही है और पाकिस्तान सैनिक तानाशाही निहत्थे निर्दोष लोगों का किस प्रकार से कत्लेआम कर रही है यह सर्वविदित है। कूटनीतिक क्षेत्र में पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ जिहाद बोल दिया है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन्स टूट रहे हैं। यहां तक कि हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर जो ढाका में हैं उसके अधिकारी और कर्मचारियों को नजरबन्द कर रखा है। डिप्टी हाईकमिश्नर की पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार किया गया है। कलकत्ता का मिशन बन्द हो रहा है। पाकिस्तान हमसे संघर्ष के लिये तैयार है और आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान हमारे क्षेत्रों पर फायरिंग कर रहा है। इसका जवाब हमारे सीमा पर तैनात सैनिकों ने दिया है। लोग मारे गये हैं समाचार आया है कि वेस्टर्न बोर्डर पर खतरा पैदा हो रहा है। पाकिस्तान के फौजी अधिकारी सीमा पर फौजें इकट्ठी कर रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को मदद का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान आज सीधे हिन्दुस्तान को धमकियां दे रहा है। इन परिस्थितियों में भी हम मौन साधे बैठे हैं। आज दस लाख लोगों का नर संहार हो जावे। सीलोन में झगड़ा है, रूस हमारी तरफ देख रहा है। अमेरिका चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है। इन सारी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में मेरा निवेदन यह करना है कि आज इन सारे मामलों में भारत सरकार मौन साधी हुई है। मौन को तोड़कर प्रभावी रूप से बंगला देश के संघर्ष के लिये हमारा देश मदद नहीं करेगा तो खतरा हमारे सिर पर आ जायगा।

अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा पन्द्रह लाख रिफ्यूजी भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन पड़ोसी है उसके कारण राजस्थान के लिये भी खतरा उत्पन्न होता है, देश की रक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होता है। हम आज बंगला देश के पीड़ितों के लिये कपड़ा नहीं भेज सकते, दवाई नहीं भेज सकते। सभ्य संसार के सारे नियमों को तिलांजलि दे दी है। मानव अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। दुनियां के सभ्य देश मौन साधे हुए बैठे हैं। भारत को इस समय आगे आना होगा अगर बंगला देश के साढ़े सात करोड़ नर नारियों के संहार को रुकवाना है तो भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाना होगा और जब भारत सरकार स्वयं सहायता नहीं देगी, हथियारों की सहायता नहीं देगी, तब तक पाकिस्तान के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इन सैनिक दरिन्दों के खिलाफ बंगला देश की निहत्थी जनता का लड़ कर अपनी आजादी की रक्षा करना नामुमकिन होगा और इसका प्रभाव भारत पर भी अत्यंत बुरा होगा। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि हम भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रस्ताव पारित करें। भारत सरकार तक हमारी भावना पहुंचायी जाय। बंगला देश में जो हो रहा है एक महिने से अधिक समय निहत्थे लोगों को सशस्त्र पाकिस्तानियों से मुकाबला करते हो गया अब वे बिना सहायता अधिक समय तक नहीं लड़ सकेंगे।

आज समाचार आया है कि पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करके हमारे लोगों पर गोलियां चलायी हैं जिनमें हमारे चार नागरिक मारे गये एवं तीन घायल हुये। इस सारी स्थिति में हमें गंभीरता से इस सारे मसले पर शीघ्र कोई निर्णय लेना होगा, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है। इस प्रकार का नरसंहार हम लोगों ने अपने जीवन में न देखा है और न सुना है। पच्चीस-तीस वर्षों पहले जर्मनी के नाजी लोगों ने जो संहार किया वह भी इस नरसंहार के मुकाबले फीका पड़ गया है। इस तरह का जैनोसाइड आज तक दुनिया में नहीं हुआ हम मौन साध कर इसे देखते रहें यह हमारी परिस्थिति नहीं है। हमें अपने देश के हित के साथ मानव रक्षा की दृष्टि से भी इस प्रश्न को देखना होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करदूं मैंने जो स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है उसमें एक निवेदन किया कि सदन इसमें सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेगा।

अब इस प्रश्न पर माननीय सदस्यों की व्यग्रता को देखते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि कोई प्रतिक्रिया राज्य सरकार की हो वह सदन में आये और फिर उस पर माननीय सदस्य अपनी भावना व्यक्त करें तो ज्यादा उचित होगा। यह जानना चाहूंगा कि क्या यह आज ही के दिन होना चाहिये।

मैं राज्य सरकार को इस स्थगन-प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेज रहा हूं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानने के बाद इस बारे में माननीय सदस्यों को जो चिन्ता है उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जानकारी दे देंगे यहां पर। पर इसका अर्थ तो यह नहीं कि आज ही इसको ले लें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम सब की प्रतिक्रिया जानने के बाद में राजस्थान सरकार उस पर अपनी राय व्यक्त करे यह अधिक सुविधाजनक रहेगा।

श्री नत्थीसिंह : बंगला देश का मामला ऐसा नहीं है जिसमें राज्य सरकार को अपनी प्रतिक्रिया बताने के लिए ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत हो। सारा मामला स्पष्ट है और उनके सामने है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लाखों की संख्या में बंगला देश से शरणार्थी भारत में आ रहे हैं और पाकि-

(श्री नरसीसिंह)
स्तान उल्टा हमारे देश पर आरोप लगा रहा है कि हम उसके निजी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम निरीह लोगों की तरह देख रहे हैं, हमारे सामने बंगला देश के स्वाधीन नागरिक पशुओं की तरह काटे जा रहें हैं। आज तो स्थिति यह आ गई है कि हमें तुरन्त उस देश को मान्यता देकर उसकी पूरी सहायता करनी चाहिये। भारत सरकार को हमें कहना चाहिये कि स्वाधीन बंगला देश को मान्यता दे और बंगला देश और भारत का एक महासंघ बनाने की तैयारी करें। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है कि हम धीरे धीरे सोच विचार करें और निर्णय करने में कोई देरी करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बंगाल देश में जो कुछ नर संहार हो रहा है उसका जहां तक सम्बन्ध है, इस बारे में सारे भारत में रोष है। वह सर्वविदित है। इसकी विस्तृत विवेचना में ज्यादा पड़ूं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है।

बंगला देश को भारत सरकार मान्यता प्रदान करे, इसके लिए यह सदन प्रस्ताव पास करें, यह प्रश्न हमारे सामने है। मैं समझता हूं कि वैधानिक दृष्टि से और परम्पराओं की दृष्टि से भी इस बात को उचित नहीं कहा जा सकता। यह भारत सरकार का और लोक सभा क्षेत्र का विषय है, जहां पर इसकी चर्चा होकर और लाजिमी रूप से निर्णय लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से सभी इस बात को मानते हैं कि भारत सरकार ने इसके सम्बन्ध में मानवता की दृष्टि से वहां के नर संहार को रोका जावे इस दृष्टि से अभी तक जो आवाज उठाई है अलग अलग स्तरों पर, उससे आम तौर से देश के लोगों के मानस में एक प्रकार का सन्तोष हुआ है। और जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी प्रचार किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में भी जो रेडियो और समाचार पत्रों के द्वारा भारत सरकार का रुख हमें विदित होता है वह भी सर्वविदित है।

यह स्थगन प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से भारत सरकार को सैंसर करने जैसा लगता है। इसकी जो प्रतिलिपि मुझे मिली है उसको देखने से मालुम हुआ है कि उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि बंगाल देश में जो नर संहार हो रहा है उसके सम्बन्ध में हम रूस की तरफ देख रहे हैं, अन्य मुल्कों और विशेषकर रूस क्या रुख अपनाता है इसकी इन्तजार में सरकार बैठी है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं, भारत सरकार अपनी विदेश नीति को इण्डिपेण्डेण्ट तरीके से देश के हित की और जनता की भावनाओं को लक्ष्य में रखते हुए निर्धारित करती है। इसलिए इस प्रस्ताव में जो बातें कही गई हैं इनके बहुत से इम्प्लीकेशन्स हैं, जिनको हमें ज्यादा गहराई से देखना होगा।

बंगला देश को मान्यता दी जावे, और जो नर संहार वहां हो रहा है, वहां की जनता के साथ जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनको आज की इन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से सहायता

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दे सकते हैं, मैं समझता हूं कि जनता की दृष्टि से हमारे क्षेत्र में जो कुछ किये जाने वाली बात है उसके बारे में हम कर रहे हैं, भारत सरकार भी कर रही है। इसके सम्बन्ध में भारत सरकार से और कोई बात हो, वह हमारे दायरे की बात नहीं है। इसलिये इस प्रकार का जो स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिये लाया गया है कि यहां से प्रस्ताव पारित करें भारत सरकार के लिये कि वह मान्यता प्रदान करे, मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा और हमारे देश के संविधान और परम्पराओं के यह अनुकूल नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय· · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बंगला देश की स्थिति के सम्बन्ध में· · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो कुछ भावनाएं व्यक्त करें संक्षिप्त में रखें। 5-5 मिनिट में। आरंभ रखिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राज्य सरकार की ओर से जो प्रतिक्रिया या अभिव्यक्ति व्यक्त हो गई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा मकसद इस प्रस्ताव को रखने का यह हरगिज नहीं है कि हम भारत सरकार को इस सम्बन्ध में···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप सिगनेटरी नहीं हैं। जो प्रस्ताव आया है उसमें शायद आप सिगनेटरी नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने जो बात कही उसमें तो मेरे दस्तखत नहीं हैं। अलबत्ता मेरी यह मान्यता है कि आज जो स्थिति रोजमर्रा बन रही है। भारत सरकार उसके बारे में प्रयत्नशील है उसमें कोई सन्देह नहीं है, न ही मेरा मकसद यह हो सकता है कि हम कोई प्रयत्न को अन्डरएस्टीमेट करें परन्तु जो आज जन-भावना है कि मान्यता दी जाये और इसके अलावा जो बंगला देश में नर संहार हो रहा है उससे जो प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, उस पर और ज्यादा ध्यान केन्द्रित करें और सारे देश के जनमत को जगाने में, राजस्थान में जनमत को जगाने में और उसमें सहायता करें, प्रयत्न करेंगे। इस ओर, और ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील होंगे। यह हमारा मकसद है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बंगला देश में जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से कार्यवाहियां हो रही हैं उसका भारत सरकार से सम्बन्ध टैक्नीकली, कोंस्टीट्युशनली अवश्य है लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उनसे हरेक नागरिक का ताल्लुक है। मसलन आपने देखा है आज पाकिस्तान वहां पर साम्प्रदायिक दंगे उभाड़कर इस प्रकार का प्रयत्न कर रहा है यह संघर्ष साम्प्रदायिक है...

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

(12–23 म. प.)

जबकि यह आजादी का संघर्ष है। इस आजादी के संघर्ष को एक साम्प्रदायिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
संघर्ष हिन्दू मुस्लिम की लड़ाई के रूप देने की कोशिश कर रहा है । यह वैमनस्य बंगला देश में उत्पन्न किया जा रहा है । इसके साथ ही उसका यह भी प्रयत्न है कि इस देश में भी इसी प्रकार का वैमनस्य उत्पन्न किया जाये । बंगला देश के शरणार्थी इधर आ रहे हैं । हमारी सूचना के अनुसार इस प्रकार के शरणार्थियों के साथ ऐसे तत्वों को भी पाकिस्तान भेजने का प्रयत्न कर रहा है जो इन रिफ्यूजीज में शामिल होकर साम्प्रदायिक भावनाओं को उभाड़ने का प्रयत्न करें और इस तरह से जो वातावरण हिन्दुस्तान की तमाम जनता में बंगला देश की जनता की सहायता, मदद का और उसके हर तरह के संकट में, दुख में दुखी होने का है, उसको एक गलत दिशा देने का प्रयत्न किया जा रहा है । इसके लिये भारत सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है और हमारी सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है और हमारी जनता को इस प्रकार के तत्वों से, इस प्रकार की भावनाओं से सचेष्ट रहने की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इतनी बड़ी तादाद में वहां से शरणार्थी आ रहे हैं उनको बसाने की जिम्मेवारी हमारे तमाम देश की, जनता की है, इस नाते राजस्थान वासियों की भी है । मेरा यह सुझाव है कि आज हम लोग जो इतने बेचैन हैं वहां की हालात को अखबारों में पढ़कर और फिर हमारे सामने इसकी जो प्रबल प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तो हम सब लोगों की यह तीव्र इच्छा है कि इन सब मामलों में ज्यादा निकट जाकर सहयोग दें । मैं सुझाव दूंगा कि इस विधान सभा का एक छोटा सा डेलीगेशन हमारे देश की जो सीमा बंगला देश के साथ लगती है वहां पर भेजा जाना चाहिये, जहां पर कि शरणार्थियों के कैम्प लगाये गये हैं उन लोगों में हमारी तरफ से प्रयत्न किये जा रहे हैं मदद करने का, वह उनको किस हद तक पहुँच पा रही है और उसमें किस किस्म के मदद की आवश्यकता है और किस रूप से और बंगला देश के अन्दर वहां की जनता को किस तरीके से सहयोग दे सकते हैं इस बात का अनुमान और भी ज्यादा लगा सकते और इससे हम वहां की हालात को वास्तविक रूप से देख कर अपने प्रयत्नों को ज्यादा संगठित रूप से कर सकेंगे । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस सदन का एक डेलीगेशन मुकर्रर किया जाना चाहिये जो कि वहां पर बोर्डर्स पर जाये, पूर्वी बंगला की जो भी हमारे देश के साथ बोर्डर है, वहां जाये और जो कैम्पस हैं वहां पर जाये और वहां पर जो वस्तुस्थिति में उसको खुद जाकर देखें और उसे हमारे प्रान्त में आकर बतावें किस तरह से शरणार्थियों को मदद करने की आवश्यकता है जो बंगला देश लड़ रहा है आजादी के लिये उनको किस प्रकार से मदद देने की आवश्यकता है । आज उनको हथियारों की जरूरत है उसकी किस प्रकार से व्यवस्था करें और हमारा पूरा सहयोग हो इस बात का प्रयत्न करें, इसमें कोई बुराई नहीं है । जिस तरह से बमबारी करके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
हवाई जहाजों का इस्तेमाल करके टैंक, तोपों का इस्तेमाल करके वहां पर जुल्म ढाये गये हैं। तो वहां की जनता का जो कांस्टीट्यूशनली अधिकार है चुनाव के जरिये जो चुने गये हैं सरकार बनाने का उस पर जो जुल्म ढाये जा रहे हैं उसके प्रति हम पूरा सहयोग दें यह हमारा कर्तव्य रहा है, परम्परा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज पाकिस्तान की तरफ से यह लगातार प्रयत्न किया जा रहा है बंगला देश की आजादी की लड़ाई एक सीसेशीनिस्ट की लड़ाई है। ऐसे लोगों की लड़ाई है जो अपने देश को काट कर अलग होना चाहते हैं। इस प्रकार का रूप देने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार के आरोप हमारी सीमा पर लग रहे हैं और कई लोग इस प्रकार आवाज उठा रहे हैं। ऐसा रंग उसमें है कि सीसेशीनिस्ट लड़ाई है। मैं समझता हूं कि जब हम खुद इस बात को देखेंगे तो इस बात का पूरी तरह से आभास होगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन इस बात के लिये गवर्नमेन्ट को एग्री करे। मैं समझता हूं कि यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है और एक छोटा सा डेलीगेशन अगर मुख्य मंत्रीजी इस बात से सहमत हो सके या किसी भी रूप में आफिशियली या नान-आफिशियली करें तो हम ज्यादा कारगर तरीके से जनता की मदद कर सकेंगे, शरणार्थियों को सम्भाल सकेंगे और हमें भी अपनी जिम्मेदारी महसूस हो सकेगी। जनता को भी ज्यादा मोबीलाइज कर सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है न कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता।

श्री उपाध्यक्ष : महारावल श्री लक्ष्मण सिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ भी बंगला देश के अन्दर दुर्घटना घट रही है, यह महान दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश के लिये भी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान खुद के लिए भी महान दुर्भाग्यपूर्ण है और यह एक समस्या सारे एशिया की ही नहीं बल्कि विश्व की बन सकती है। जो नर संहार वहां पर हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, उसका उदाहरण शायद ही संसार के इतिहास में एक-दो को छोड़कर मिलना मुश्किल है। चाहें इसको सिविल वार कहें, चाहे इसको मानवता का प्रश्न कहें, चाहे इसको जेनोसाइड कहें, बाहरहाल में क्या हुआ? जहां तक की भावनाओं का प्रश्न है, इस प्रस्ताव के अन्दर जो भावना व्यक्त की गई है···

मेरी एक हद तक उसके साथ सहानुभूति है क्योंकि यह ह्यूमन प्राब्लम है लेकिन यह प्रस्ताव इस सदन को पारित करना चाहिये या नहीं करना चाहिये केवल मात्र हमको भावुकता के अन्दर बह कर, जल्दीबाजी के अन्दर कुछ करने का हम निर्णय लें यह हमको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। एक माननीय सदस्य का जो सुझाव है जो डेलीगेशन के रूप में ले जाने का है उसकी मैं कद्र करता हुआ उसका मैं समर्थन करने से विवश हूं। यह भारत सरकार के अधिकार का प्रश्न है। हमको वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, पाकिस्तान की अन्दरूनी स्थिति वहां पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है पूर्णतया जानकारी प्राप्त

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नहीं है। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव को लाये हैं उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते हुये बहुत अदब के साथ इस हद तक कहने की धृष्टता करना चाहूंगा यह सदन की अनधिकृत चेष्टा होगी। क्या बंगला देश को मान्यता देकर हम बंगाल देश का हित कर सकते हैं ? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। क्या बिना बंगला देश को मान्यता दिये हुये वहां के लोगों की सहायता नहीं कर सकते हैं यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। मैं समझता हूं यह मान्यता देने का प्रश्न बहुत नाजुक दौर में है और भारत सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है–भारत की विदेश नीति का प्रश्न है और यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है। इन सब बातों को सोचते हुये मैं सदन का विशेष समय नहीं लूंगा एक हद तक जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विचार प्रकट किये हैं इस सम्बन्ध में उसका समर्थन किये बिना नहीं रह सकता और मैं यह भी अनुभव करता हूं कि इस प्रश्न को बार बार इस सदन के अन्दर लाना इस सदन की प्रतिष्ठा के लिये भी एक ठीक बात नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि जो कोई भी भारतवर्ष का नागरिक है वह हमारे पड़ौसी देश के नागरिकों को भाई मानता है। जो कुछ हो रहा है उस पर हम सहानुभूति प्रकट करें, हर तरह मदद करें, लेकिन बंगला देश को मान्यता दें या नहीं दें यह तो सबसे पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट का विषय है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहिये। हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एम्ब्रेस करें यह मैं समझता हूं आज की स्थिति के अन्दर प्रि-मैच्योर होगा।

श्री दौलतराम सारण : (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बंगला देश को मान्यता देने के बारे में एक 'स्थगन' प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हमारी मान्यता यह है कि हमारे पड़ौस में साढ़े सात करोड़ बन्धुओं के साथ जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है वह इतिहास में आज तक जो भी अत्याचार हुआ है उनसे भी आगे निकल चुका है। याहिया खां नादिरशाह के वंशज अपने आपको बताते हैं लेकिन नादिरशाह का कत्ले आम, याहिया खां के कत्ले आम के आगे सिर झुका चुका है। हिटलर को भी याहिया खां ने पीछे छोड़ दिया है। मासूम बच्चों को संगीनों की नोक से मारा जा रहा है निहत्थे लोगों पर अग्नि बरसाने वाले बम डालकर हत्या कर देने का कुचक्र फैलाया जा रहा है और सैन्य संगठित शक्ति द्वारा अमानवीय ढंग से निहत्थे लोगों पर अत्याचार करना यह सब मानवीय सीमा को पार कर चुका है। उपाध्यक्ष जी, जो लोग इन अत्याचारों का सामना कर रहे हैं वे लोकतन्त्र की आस्था को लेकर लड़ रहे हैं उन्होंने अपनी शक्ति लगाकर अपने चुनाव घोषणा-पत्र और कार्यक्रमों को लेकर चुनाव लड़ा और उसमें विजयी हुए और विजय होने के बाद सरकार बनाने की चेष्टा की उस सबको सैनिक शासन ने अमानवीय ढंग से और एक षड़यन्त्र द्वारा उसको हड़पने की साजिश की तब उन्होंने अपने आपको स्वाधीन घोषित किया। सैनिक शासन उनकी स्वाधीनता को अस्वीकार करता है, उनके वैधानिक अधिकार

(श्री दौलतराम सारण)

को अस्वीकार करता है और उपाध्यक्ष जी यहीं तक स्थिति नहीं है भारत पर इल्जाम लगाता है कि वह पाकिस्तान के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और पाकिस्तान को विघटित करने का इल्जाम लगाता है। हम उनमें शरीक होना नहीं चाहते हैं जो पाकिस्तान काले कारनामों से करने जा रहा है किन्तु इसका एक मात्र उपाय यह है कि जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे राष्ट्र-का प्रतिनिधित्व करते हैं वे इस बात को साबित करें कि हम पाकिस्तान के काले कारनामों के साथ नहीं हैं। हम न्याय, संवैधानिक लोकतन्त्र और मानवीय अधिकारों के साथ हैं और उपाध्यक्ष जी उसका एक मात्र तरीका यह है कि हम पूर्वी बंगाल-बंगला देश को मान्यता दें हमारी सरकार मान्यता देने में अनावश्यक रूप से विलम्ब कर रही है और अनावश्यक रूप से विलम्ब करके उन बन्धुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है जो लोकतन्त्र के लिये लड़ रहे हैं और जो दुनिया में लोकतन्त्र के प्रति आस्था रखने वाले हैं, संवैधानिक तरीकों से चलने वाले हैं, जो निष्ठावान हैं उनकी मान्यता को ठेस पहुंचती है। हम यह देखें और एक डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ें कि सबसे पहले कौन स्वीकृति देता है। यह प्रश्न अब गौण है। मेरा मानना है अगर हमारा अस्तित्व भी बलिवेदी पर लग जाय तो हमको अपने उसूलों के लिये बंगला देश को मान्यता देनी चाहिये और पूरे हौसले के साथ देनी चाहिये। अब यह मसला नहीं रहा है कि अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में क्या स्थिति है और क्या स्थिति नहीं है। स्थिति हमारे सामने है। आज 20 लाख शरणार्थी हिन्दुस्तान के सामने समस्या बनकर खड़े हो गये है। लाखों लोग सीमा पार करके आ रहे हैं इसके बाद भी कोई स्थिति छिपी हुई है उपाध्यक्ष जी ? अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न उलझा हुआ कोई नहीं है। अब हमारे सामने हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हमारे अस्तितत्व के लिये पाकिस्तान चेलेन्ज कर रहा है शरणार्थियों को भेज कर हमारी मान्यताओं और हमारे सिद्धान्तों पर आघात करके हमारे लोगों पर आघात किया है इसलिए उपाध्यक्षजी हमें हर न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को मान्यता देनी चाहिये। हम ने सेन्सर कर रहें है, न हम उनके मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, न सदन की मर्यादा कम कर रहे हैं ऐसा सोचना स्थिति को नजरन्दाज करना है हम एक न्यायोचित और सर्वोच्च बॉडी के रूप में यहां इकट्ठे हैं। यह एक पवित्र बॉडी है इससे अधिक कोई और प्रमाणिक स्थान नहीं हो सकता है इस-लिए प्रमाणिक और अधिकृत स्थान से जन भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। भारत सरकार इस ओर घोर उपेक्षा कर रही है चाहे रेडियो से खूब प्रचार करें, चाहे जितने स्टेटमेंट दें लेकिन अब तक मान्यता न देना भारत सरकार का निकम्मापन है, बुजदिली है और भारत सर-कार ने मान्यता न देकर लोकतन्त्र की आस्था से इन्कार किया है।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस ...न में अच्छी तरह से विचार करना चाहिये। सारे कार्यक्रम को स्थगित रख

Page No 55

(श्री दौलतराम सारण)

कर इस अहम मसले पर गौर करना चाहिये। अगर भारत सरकार समय पर इस बंगला देश को मान्यता दे देती तो यह नर संहार इस व्यापक रूप में नहीं होता। मैं भारत सरकार को इसमें दोषपूर्ण मानता हूं आज बंगला देश में अत्याचार व्यापक रूप में होते जा रहे हैं। चीन भी इस अत्याचार में सहायक है। अब पाकिस्तान हमारी सीमाओं में आकर मशीनगनें और तोपें दागता है। हमारे सिपाहियों को पकड़ कर अपनी सीमाओं में ले जाता है। हमारी पश्चिमी सीमा पर खाइयां खोदी जा रही हैं। हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। यह कहकर टाला नहीं जा सकता है कि यह विदेश नीति का प्रश्न है। विदेशी नीति हमारे उसूलों से अलग नहीं हो सकती है। अगर वह ऐसा कहकर हटते हैं तो उन्हें सरकार संचालित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सदन को इस मसले पर विचार करना चाहिए। भारत सरकार को संकल्प रूप में अगर कोई आदर्श की पूर्ति करना सम्भव हो सके मान्यता के सम्बन्ध में, तो वह अभी विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इस मान्यता देने के मसले में मेरी यह मान्यता है, इसमें ढील करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। अभी तक जो ढील की गई है, उसके गम्भीर परिणाम आये हैं। अब और ढील की जायेगी तो बहुत गम्भीर परिणाम होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल : (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस मसले पर जो माननीय मुख्य मन्त्री हृदय में अपने विचार रखे हैं, वह राज्य मुख्य मन्त्री होने के नाते और इस सदन के नेता होने के नाते, मान्यता के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव किया जाये, उसकी कुछ सीमा हो सकती है। लेकिन मुझे खेद है कि माननीय विरोधी दल के नेता न जाने क्यों इस प्रकार हिचक रहे हैं। उनका अलग विचार हो सकता है। राजगोपालाचार्य जी ने भी यह विचार व्यक्त किये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मेरे दल के विचार नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आज इस बात के लिए केन्द्रीय सरकार और प्रधान मन्त्री को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता हूं कि जैसे ही बंगला देश का प्रश्न खड़ा हुआ, उन्होंने विश्व में बंगला देश के लिये वातावरण बनाने का प्रयत्न किया है। और उसके साथ जो भावना उन्होंने व्यक्त की। आज जिस प्रकार दिलेरी के साथ वहां की मुक्ति सेना जूझ रही है। भेड़ियों के समान वह जूझ रहे हैं। वह विश्व में किसी और देश से आशा नहीं कर सकते हैं। वह सहायता के लिये अगर किसी देश की ओर देखते हैं तो अपने वतन हिन्दुस्तान की ओर देखते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान ने जब पहल की है तो आज यह विचार करे कि उसने मान्यता देने में कितना विलम्ब किया है। वहां निहत्थे व्यक्ति जूझ रहे हैं। वहां की महिलाओं को पश्चिमी पाकिस्तान में निलाम किया जा रहा है। आज दमन की इन्तहा हो चुकी है। ऐसे समय में हमारे देश की सरकार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
खामोश रहे तो मैं समझता हूं कि इससे अधिक खेदजनक बात और कोई हो नहीं सकती है। हमारे देश के प्रति सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। आज जो बंगला देश से हमारे जो अतिथि आ रहे हैं, मैं उनको अतिथि नहीं कहूंगा, हमारे भाई आ रहे हैं। आज करोड़ों रुपयों का भार हिन्दुस्तान के ऊपर आता जा रहा है। यह भार हम पर रहेगा यह निश्चित है। मैं समझता हूं कि यह गलत होगा कि हम चुप रहें। पाकिस्तान की नीति हमेशा हिन्दुस्तान को कमजोर बनाने की रही है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कोई नहीं चाहेगा कि हिन्दुस्तान को ताकतवर बनाया जाये। आज अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को खत्म करके हिन्दुस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश की जाये। आज रूस भी जो हिन्दुस्तान को अपने का मित्र कहता है, पहले अपने हित का विचार करेगा।

श्री रामानंद अग्रवाल : माननीय सदस्य यह भी मत भूलिये कि रूस ही सबसे पहला देश है जिस ने लड़ाई को बन्द कराने की पहल की है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह मैं मानता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज आपको सहयोग देता है। आप का मित्र देश है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं माननीय सदस्य, जो अलवर से आये हैं, मैंने अमेरिका के साथ रूस को नहीं जोड़ा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूस के राष्ट्रपति ने सबसे पहले अपील निकाली है। कोई और देश है। अपने देश के किसी आदमी ने इस प्रकार का कदम उठाया है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने यह नहीं कहा है कि रूस उसमें भागीदार है? लेकिन मित्र यह मत भूलिये, आज का रूस वह पहले वाला रूस नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात पर रामानन्द जी को ज्यादा मालूम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछले चुनाव में एण्टी सोशलिज्म और एण्टी कम्युनिज्म का नारा लगाया . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूस ने आगे बढ़कर किया है। मानवता को सहारा दिया है। हम उसको कण्डम नहीं कर रहे हैं। कौन ऐसा कहता है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बंगला देश की आजादी के लिए, दूसरा कोई और देश सोचेगा, यह नहीं है। दूसरा देश पहले अपने हित की बात सोचेगा। वह अपने हित पर पहले ध्यान देगा। इस राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आज हमारे देश में हम यह सोचकर चलें कि दूसरा देश हमारे देश में आये हमारे देश के सामने आये, तो मैं समझता हूं कि यह गलत होगा। हमारी जो भावनायें पूर्वी बंगाल

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

से जुड़ी हुई हैं, इसी कारण आज वह अपना साथी अगर किसी को मानते हैं तो वह भारत को मानते हैं। यहां पर कोई प्रस्ताव पास करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यहां प्रस्ताव पास कर रहे हैं, वह केन्द्रीय सरकार और प्रधान मन्त्री के हाथों को मजबूत करेगा। ऐसा मेरा मानना है। आज जो गति चल रही है उसे हम देखें, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, वहां दलदल वन चुका है। उन इलाकों में कब इमदाद पहुंचेगी, वहां पर तो अनाज का अकाल पड़ा हुआ है, सब चीजों का अकाल पड़ा हुआ है। आज जिस तरह के समाचार सुनने में आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह समाचार अनुकूल नहीं आ रहे हैं। चार दिन पहले से जो बांगला देश के समाचार आ रहे हैं, वह उतने अच्छे नहीं हैं। कारण यह है कि उनकी भी सीमा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों में जाकर केन्द्र किसी प्रकार की भी नीति निर्धारित करने वाली हो लेकिन राजस्थान विधान सभा द्वारा कोई प्रस्ताव पारित होगा तो वह विश्व की राजनीति को, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला नहीं होगा, वह केन्द्रीय सरकार का निर्णय और पालियामेंट का निर्णय प्रभावित करेगा, लेकिन हम हमारे प्रस्ताव के द्वारा अपनी मनोभावनायें बतलायेंगे, अपना मनोबल बतायेंगे, हम क्या चाहते हैं, यह कहेंगे में यह कहूंगा कि हम जो कुछ प्रस्ताव यहां लाते हैं, यह हो कि बांगला देश को मान्यता दी जाय तो जो केन्द्रीय सरकार देश की सरकार नीति निर्धारित करने वाली है उससे उसके हाथ मजबूत होंगे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें निश्चित रूप से इस प्रस्ताव को पारित करना चाहिये और बिना विलम्ब किये बांगला देश को मान्यता दी जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, लेकिन पूर्वी बंगाल ने बता दिया है, चाहे उस वक्त भ्रम में आ गये हों, बहकावे में आगये हों लेकिन अब प्राणों की आहुति देकर बता दिया है कि धर्म के आधार पर विभाजन गलत था। आज वह लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये बलिदान कर रहे हैं, लोकतंत्र के दीपक को खून डाल डाल कर जलाये रख रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है। याहया खां ने दिखा दिया है, वह आखिरकार नादिरशाह का वंशज है, वह अपने बाप-दादों से ज्यादा क्रूर है :

वंशज नादिरशाह को सचमुच याहया खान।
बढ़कर निकल्यो बापसूं, नगर करया शमशान।।

याहया खां ने पूर्वी बंगाल को मरघट बना दिया है, लाखों औरतों को मार रहा है, लाखों बच्चों को मार रहा है, जवानों को मार रहा है। विश्व विद्यालय के लेक्चरार को, प्रोफेसर को मार रहा है। और हम सबको खड़े 2 देख रहे हैं। हमारे पड़ौसी ही नहीं, जो भाई हैं वह भाई उधर कराह रहे हैं। फिर हम मान्यता देने की बात में इन्तजार करें,

(श्री मनोहरसिंह मेमता)

तो इसमें कोई शक नहीं कि विजय तो बांगला देश की होगी, लेकिन संसार यह कहेगा यह वह पड़ौसी है, यही वह भाई हैं जिन्होंने समय के ऊपर मदद नहीं दी। इसमें शक नहीं है, मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं, जहां तक शरणार्थियों को मदद देने का सवाल है, आर्थिक मदद देने का सवाल है, दवाइयां देने का सवाल है—उसने बहुत दी है और मदद देने के लिए आवाज उठाई है, लेकिन इससे ही काम नहीं चलेगा। हमें शीघ्र ही और मदद देनी होगी, बांगला देश को मान्यता देनी होगी। अगर नहीं देंगे तो संसार हमें बख्सेगा नहीं। इसमें शक नहीं है कि पश्चिमी पाकिस्तान फूटी आंखों से भी हिन्दुस्तान को देखना नहीं चाहता, अगर वह पूर्वी बंगाल में विजयी होता है तो हमारे सिर पर भी खतरा खड़ा हुआ रहेगा। हम प्रस्ताव पास करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम भारत सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। जिस तरह राजस्थान विधान सभा ने सबसे पहले प्रस्ताव पास किया था, उसके बाद में अन्य विधान सभाओं से प्रस्ताव पास हुए, उसी तरह सबसे पहले हमें यह प्रस्ताव पास करना चाहिए कि बांगला देश को मान्यता दी जाय। इससे हमारी प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत होंगे। पूर्वी बंगाल में याह्या खां जो क्रूरता बरत रहा है, उसका डट कर मुकाबला करना पड़ेगा और उसके लिए प्राणों की आहूति भी देनी पड़ेगी, हर तरह का खतरा लेना पड़ेगा। जहां एक ओर बन्दूक हों, तोप हों और दूसरी ओर निहत्थी जनता तो भगवान ही पार लगायेगा। यह सोचना होगा, बाकी याह्या खां तो इतना क्रूर निकला है।

निरपराध लाखां मिनख,
भुनवा दीना क्रूर।
याह्या थारा सामने,
मात भयो तैमूर॥
जुलम तिहारो तोलतां,
अरे याहिया क्रूर।
हलको लगे हसनखां,
तुच्छ लगे तैमूर॥

तैमूर लंग, नादिर शाह, हलाकू इन सबकी क्रूरता याह्या खां के सामने फीकी हो गई है। इसलिए रामायण की यह बात हमें याद रखनी चाहिए :

धीरज धर्म मित्र अरु नारी
आपत काल परखिये चारी।

यह परीक्षा का काल आ गया है, हम बांगला देश को मान्यता देदें इसमें कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र की विजय होगी, स्वतंत्रता सैनानियों की विजय होगी, बांगला देश की विजय होगी। उन्होंने जो खतरा मोल लिया है वह हमारे सामने है, जो हो रहा है वह हमारे सामने है और दूसरे देशों के सामने भी है। जो जूझने वाला होता है वहो जीतता है, बिना जूझे जीत नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार नाथ !

श्री केदार नाथ (श्रीगंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में अभी माननीय सदस्य रामानन्द जी ने सुझाव दिया कि डेलीगेशन जाय। मान्यवर, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि तीन

(श्री केदारनाथ)

तीन स्टेट्स का बोर्डर पूर्वी बंगाल से लगा हुआ है, तीनों स्टेट की गवर्नमेंट एवर्ट हैं, वहां पर कैम्प खोले गये हैं, पब्लिक एफर्ट्स उनको सहायता देने के लिए किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट्स किये जा रहे हैं, जितने भी शरणार्थी आये हैं उनको कैम्पों में सेल्टर देकर उनकी आवश्यकताओं का इन्तजाम किया जा रहा है। इसके बावजूद भी डेलीगेशन जाता है और जाकर एक क्लाइमेट पैदा करना चाहे, हमदर्दी पैदा करना चाहे, उनके हाथ स्ट्रेन्दन करना चाहे तो इसमें एतराज नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने काफी समय ले लिया है। राज्य सरकार और भारत सरकार के सामने एक सवाल था, अगर हम मान्यता दे दें तो दूसरे देशों से जितने हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन्स हैं, वह कहां इम्प्रूव होंगे, कहां उनमें बिगाड़ होगा काभी समय हमने स्टडी के लिए ले लिया है। हाउस आफ कामन्स में जो इस प्रश्न पर डिबेट हुई, वहां फॉरिन सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा मेनी लाइव्स आर लोस्ट मैं सोचता हूं, कम से कम दस लाख आदमी मर गये हैं। वहां फॉरिन सेक्रेटरी ने कहा मैनी लाइव्स आर लोस्ट। हम रूस की तारीफ करते हैं वह इस बात की करते हैं, कम्युनिस्टों की बुनियादी पालिसी आज हैं, इन्होंने अपनी उस बुनियादी पालिसी से डिपार्चर करा है। वह जो कुछ कर रहे हैं, वह साम्यवादी उसूलों से दूर हैं, उससे डिपार्चर हो गया है फिर भी वहां क्या हुआ है, उससे अपने नेशनल इन्ट्रेस्ट को ज्यादा मानेंगे। जब मीजाज की लड़ाई हुई, नागाज की लडाई हुई, आप देख लीजिये, दूसरे देशों की पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने क्या रुख अपनाया, क्या भाषण दिये, उससे सरकार की परिस्थिति का डेटिरियोरेशन मानिये, उसके मुकाबले में बांगला देश के लिए हमारा क्या रुख हो मैं माण्यवर आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं सरकार ने काफी समय ले लिया है इस बात को सोचने के लिए कि मान्यता देनी है तो उससे क्या बिगाड़ होगा और क्या फायदा। हमारे देश के किसी एक हिस्से में इस ढंग से लड़ाई हो जाती तो चीन और पाकिस्तान का क्या रुख होता, क्या करता—इस सम्बंध में इन्टरनेशनल पालिटिक्स से आप अनुभव लेकर चलें। जिसमें एक्सपीडेन्सी हो, कन्वीनियेन्स हो—वैसी ही पालिसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। भुट्टो के लगातार जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, चीन सरकार जिस प्रकार प्रचार कर रही है—वह लड़ाई को अलग तरीके से टर्न देना चाहते हैं—इण्डो-पाकिस्तान डिस्प्यूट बना कर हिन्दू-मुस्लिम का रंग देकर। इसका प्रचार काफी हो गया है। दुनियां की कोई ताकत नहीं है, कोई सरकार नहीं है जिसको ईस्ट बंगाल के बारे में जानकारी नहीं हो। एम. पी. डेलीगेशन की यात्रा हो— मैं सोचता हूं वह स्टेज, मान्यवर, वहां नहीं रही है। वहां मिलिट्री का मुकाबला भूखे लोग कर पायें। इस तरह की स्थिति हो सकती है कि जो आईडियोलोजी के लिए लड़ रहे हैं वह समाप्त हो जाए, जो प्रिन्सिपल के लिये लड़ रहे हैं वह समाप्त हो जाए, या यह हो सकता है कि कोई फोर्स आये या कोई फोर्स तैयार हो जाय और जो चीन की

(श्री केदारनाथ)

पौलिसी को हार्बर कर ले, पूर्वी बंगाल को प्राटेक्शन दे दे। मान्यवर, काश्मीर के बारे में जो वायदे, तिब्बत के बारे में जो वायदे किये, उनका क्या हश्र हुआ। कम्युनिस्ट पालिसी के बारे में पता नहीं, वह रात दिन में चेंज होती है, उसका कोई उसूल नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। तो हम जो पड़ोसी हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आज ईस्ट बंगाल की जो बिगड़ी हुई हालत है उसमें वहां भूख और बीमारी से ज्यादा मर रहे हैं और ऐसी स्थिति हो रही है कि वहां लोग मिलिट्री की तलवार, भालों और बन्दूकों से ज्यादा भयभीत नहीं हैं, वह भूख से भयभीत हैं। यह प्राब्लम आई है, इसके लिए एफ्रो एशिया की कान्फ्रेन्स होती और उसमें पूर्वी बंगाल के हक में हम क्लाईमेट पैदा करते। अमेरिका और इंगलैंड नहीं चाहता की पूर्वी बंगाल को मान्यता दी जाय लेकिन जो देश ऐसे हैं जिन्होंने संघर्ष करके आजादी हासिल की है, उनका यह फर्ज था कि वह यू. एन. ओ. में इस प्रश्न को उठाते। इस काम में वह देश पीछे रहे हैं उन्होंने पूर्वी बंगाल को मान्यता नहीं दी है, तो हम भी उनका इन्तजार करें तो चीन और भुट्टो की पालिसी सफल हो जायेगी और उससे हमारे लिए एक खतरा पैदा हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : आज बंगला देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ लाखों आदमियों का नर संहार हो रहा है, दूसरी तरफ कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय उलझन की स्थिति हो सकती है। इस प्रकार भारत सरकार बहुत ही नाजुक स्थिति में आज की तारीख में है। बंगला देश को और कोई देश मान्यता प्रदान करें या नहीं, यह प्रश्न मानवता से सम्बन्ध रखता है। लेकिन हिन्दुस्तान और देशों के मुकाबले अलग स्थिति में है। वह इसलिए कि जो लोग बंगला देश में मर रहे हैं वह हमारे भाई हैं, उनसे हमारा खून का रिश्ता है, सदियों का रिश्ता है, वह हिन्दुस्तान का एक अंग रह चुका है और हिन्दुस्तान की तरफ उम्मीद करके जुल्म और अन्याय के खिलाफ उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ यह संघर्ष छेडा है, यह स्थिति वहां की है। दूसरी ओर भौगोलिक स्थिति के अनुसार सबसे बड़ी दिक्कत का हमें सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान चाहता है कि हिन्दुस्तान से किसी प्रकार युद्ध हो जाए, तनाव की स्थिति रहे। पिछले वर्षों में आजादी के पश्चात् देखने में आया कि पाकिस्तान का रवैया हमारे खिलाफ रहा, वह अपनी इकोनोमी बिल्ड अप नहीं कर पाया और लोगों का अटेन्शन डाईवर्ट करता रहा। बंगाल देश की समस्या को लेकर पाकिस्तान चाहता है कि इंडो-पाकिस्तान युद्ध हो जाए, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के सम्बन्ध इतने खराब हों कि लड़ाई छिड़ जाए जिससे लोगों का ध्यान डाईवर्ट हो। इसलिए भारत सरकार यह देखती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, भयभीत होकर चलती है। पाकिस्तान इस प्रश्न

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पर नहीं तो दूसरे प्रश्न पर हिन्दुस्तान से झगड़ा करने वाला है। आज नहीं करेगा तो 6 महीने बाद करेगा। इसलिए भारत सरकार को भयभीत होकर नहीं चलना चाहिए। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। कल नहीं, दो महीने बाद, 4 महीने बाद जब बंगला देश स्वाधीन हो जाता है, वहां नर संहार के बाद जो स्थिति हो गई है, जिस प्रकार बरबादी वहां पर हो गई है, उसके लिऐ अरबों रुपये चाहिए बिल्ड अप करने के लिए, वह कौन देगा? वह भी हिन्दुस्तान की जनता को वहन करना पड़ेगा। उन लोगों का मिशन है बंगला देश के लिए स्वाधीनता प्राप्त करना, उनका रिहबिलिटेशन करके उनको कायम रखना है। रूस, अमरीका चाहे चीन जो बड़ी पावर्स हैं, वे इस हालत में उनकी मदद करेंगे, अरबों रुपयों की मदद देंगे, रिहबिलिटेशन करेंगे, जब बंगला देश के लोग उनकी आइड्योलोजी को अपनायेंगे, वे तभी बंगला देश को मदद दे सकते हैं। अगर कोई अधिकार रखता है, अगर किसी की ड्यूटी है तो वह हिन्दुस्तान सरकार की है।

आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। विरोधी दलों से, विशेषकर जनसंघ के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पोलिटिकल इश्यू न बनाया जाए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौन बना रहा है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने अपने प्रस्ताव में रूस का जिक्र किया है। रूस के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हिन्दुस्तान के हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। इसकी बात को लेकर प्रस्ताव में कहा गया है। डिबेट के दौरान माननीय सारंग ने कहा हिन्दुस्तान की सरकार यह नहीं कह रही है, वह नहीं कर रही है। आज की स्थिति में हिन्दुस्तान सरकार क्या कर रही है या नहीं कर रही है, वह हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, पोलिटिकल एक्सपीडियन्सी के अनुसार चलना पड़ता है। इजरायल ने बंगला देश को मान्यता देने की आफर की लेकिन बंगला देश वालों ने नहीं माना। मान्यता से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न मदद पहुंचाने का है। अलग तरीके से मदद पहुंचाने का है और बंगला देश को सक्षम बनाने का प्रश्न भारत सरकार के सामने ज्यादा होना चाहिऐ। अगर रूस से हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं तो भारत सरकार को चाहिए कि रूस पर प्रेशर डाले कि रूस आगे बढ़कर बंगला देश को मान्यता दे। आज की स्थिति में हिन्दुस्तान सरकार यह मानकर चले कि जैसे बड़े मुल्क बंगला देश की घटनाओं को देख रहे हैं, हम भी वेट करें, 4—6 महीने में जाकर लड़ाई खत्म होगी, बंगला देश स्वाधीन हो जाएगा, तब जाकर कुछ करें, तो उससे समस्या उलझ जायेगी। एक तरफ बदकिस्मती से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि हिन्दुस्तान सरकार कुछ करना चाहे और वह नहीं कर पाये, हिन्दुस्तान की जनता की भावनाओं को देखते हुए भी न कर पाए, तो बंगला देश का जो कमांड है

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
वह लड़ाई में फेल होगा तो दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। अगर वह संघर्ष फेल हो जायेगा तो बंगला देश के लिए और हिन्दुस्तान के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। उसके बाद पाकिस्तान ताकतवर होकर निकलेगा और दूसरा एटीट्यूड लेकर सामने आयेगा। हालांकि यह सेन्टर की परव्यू में है, स्टेट लिस्ट अलग है लेकिन आखिरकार हम सब लोग चुने हुए प्रतिनिधि यहां आकर बैठते हैं तो माननीय सदस्य मिलकर प्रस्ताव पास करें, भारत सरकार पर प्रेशर डाल सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं, इसलिए हमारा अधिकार है, आखिर हम राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह सदन सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास करें, भारत सरकार पर प्रेशर डालें कि भारत सरकार बिल्कुल अलग स्थिति में है। रूस, अमरीका, इंगलैंड इन सब से अलग स्थिति में है और अलग रिश्ता है, अलग जिम्मेदारी है। इसलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड ओपीनियन बनाना, पब्लिक ओपीनियन मोबीलाइज करना और विशेष सहायता देना, भारत का फर्ज है ताकि बंगला देश वाले पाकिस्तान की फोजों से जो टैंकों और माडर्न इक्विपमेंट से लैस हैं उनसे लड़ाई कर सकें और आजादी हांसिल कर सकें और सही माइने में आजादी हांसिल कर सकें। आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तटस्थता की नीति जो हिन्दुस्तान ने अपना रखी है, वह बंगला देश के स्वाधीनता संग्राम पर लागू नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम। संक्षेप में।

श्री रावतराम (छापर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने प्रस्ताव आया है कि बंगला देश को मान्यता दी जाए और उसकी मदद की जाए। मैं उन माननीय सदस्यों की, जो अभी बोले हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं इसलिए कि इस समस्या को काफी देर हो गई है। अब भी इतनी देर के बाद सरकार की आखें नहीं खुली और विचार न किया तो दुनिया में निश्चित भावना फैलेगी कि हिन्दुस्तान कायर है, पूर्व बंगाल उसका पड़ोसी है और एक पड़ोसी के नाते उसको पड़ोसी का धर्म निभाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : पड़ोसी नहीं भाई है। पाकिस्तान में तो वह 23 साल रहे हैं लेकिन भारत में 2300 साल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : एक बात कहना चाहता हूं विरोधी दल के नेता महोदय और दो माननीय सदस्यों ने कुछ विचार प्रकट किए थे। कुछ भ्रम स्थगन प्रस्ताव के भाषा के संबन्ध में है। उस कारण से कुछ विरोधाभाव भाषणों में हो रहा है। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव पढ़ कर सुनाता हूं, जिसमें विरोधाभास वाली बात मुझे नजर नहीं आती है :

"बंगला देश की साढे सात करोड़ जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों एवं आजादी के लिए गत एक मास से जूझ रही है। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह निहत्थे लोगों का बेरहमी से कत्ले आम कर रहे हैं। बंगला देश एक स्वाधीन गणराज्य घोषित हो चुका है। (दुनियां के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मुल्कों से उसको मान्यता प्रदन करने की अपील की गई है। भारतीय संसद् ने बंगला देश की जनता के साथ अपनी सहानुभूति एवं संवेदना प्रकट की है। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह अपने मष्तिष्क का संतुलन खो बैठे हैं। कूटनीतिक क्षेत्र में उन्होंने भारत के विरुद्ध भी जिहाद बोल दिया है। सीमा पर अतिक्रमण की घटनायें हो रही हैं। ढाका स्थित भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के कार्यालय के कर्मचारियों को नजरबन्द कर दिया है। डिप्टी हाई कमिश्नर की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस प्रकार की घटनाओं के बावजूद भारत सरकार मौन साधे हुए है। बंगला देश में एक महीने से भीषण नर संहार होने के बावजूद भारत सरकार कोई प्रभावी सहायता नहीं दे पा रही है। अन्य मुल्क और विशेषकर रूस क्या रुख अपनाता है, इस इन्तजार में सरकार बैठी है। स्थिति में निरंतर बिगाड़ हो रहा है। बंगला देश को शीघ्र मान्यता दिया जाना राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक है। जनमानस में भारत सरकार के इस रवैये से गहरी चिन्ता व्याप्त है। यह एक अत्यन्त सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है। अतः सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही स्थगित की जाकर पहले इस प्रश्न पर विचार किया जावे।"

मैंने जो प्रस्ताव में भाषा का उपयोग किया है, रूस को कन्डेम नहीं किया है, मैंने भारत सरकार की दब्बू नीति की आलोचना की है. दूसरे देश करें या न करें, हमारी जिम्मेदारी है, वह हमारा हिस्सा रहा है, वह हमारे भाई हैं, हमारी जिम्मेदारी है। रूस कह सकता है कि तुम रैकोग्नाइज करो, फिर हम से बात करो। बंगला देश के प्रधान मन्त्री श्री ताजुद्दीन ने अपील निकाली है:

"Mr. Taj-Uddin Ahmed to-day appealed to the neighbouring countries to grant immediate recognition to Bangla Desh and to give unconditional arms aid to help a new born country to set itself free from the clutches of a murderous army."

नेबरिंग कन्ट्रीज से अपील की है। ब्रदराना कन्ट्री है हमारा और पहले हमारी रैस्पोन्सिबिलिटी है। रूस की बाद में है। हम दूसरों का इन्तजार क्यों करें? यह आज का इन्डियन एक्सप्रेस है। नेबरिंग कन्ट्री के नाते भी प्रायर रेस्पोंन्सिबिलिटी हमारी है। भारत दूसरे मुल्क इस विषय में क्या रूख अपनाते हैं उसका इन्तजार न करें। रूस का जितना रोल रहा है उसको कन्डेम नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर): माननीय सदस्य ने इन्टरवीन किया। गलतफहमी फैलती है। भारत सरकार को पहल लेनी चाहिए। जो सैन्टेन्स रिजोल्युशन में जोड़ा है बाई इम्पलीकेशन कि इन्तजार नहीं करना चाहिए और रूस की इन्तजार में बैठे हैं This is factually wrong and I dissociate myself with this.

यह बिल्कुल गलत है। तथ्यहीन है और इस प्रकार का आरोप नहीं लगाना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
चाहिए। आपकी पार्टी की जो नीति है उसको आप दूसरों पर भी थोपना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शब्दावली में अन्तर हो सकता है। आप इन्टर-प्रिटेशन इसका जो चाहे लगा सकते हैं, लेकिन हमारा कोई इन्टेन्शन नहीं है। इसमें आप परिवर्तन कर दीजिये। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य भी इस संशोधन को एग्री करते हैं। इसमें संशोधन होना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कन्डेमनेशन नहीं है। रूस का नाम इसलिए दिया कि रूस ने बंगला देश के साथ सहानुभूति प्रकट की है। उसकी तरफ देखने की आवश्यकता क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूस का जो वर्णन है वह इस बात का द्योतक है कि रूस के इशारे पर इन्डिया उसके रोल को प्ले करता है और इन्डिया उसको देख कर डिसीजन लेता है। इसका मतलब यह है। यह गलत है।

श्री दौलतराम सारण : रूस का नाम आ जाय तो खराब और दूसरों का आ जाय तो कुछ नहीं। रूस का नाम इसमें से हटा दिया जाय, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि हमको बंगला देश को मदद देनी है तो मर्द की तरह से देना चाहिए और नाजायज तरीके से मदद देना वह तो सिद्धान्तहीन लोगों का काम है। सिद्धान्तहीन तरीके से चलने वाले लोगों का यह काम है हिन्दुस्तान को मदद देनी है तो उसको मान्यता देकर ही देनी चाहिए। जनता धन, अनाज, कपड़ा आदि देकर मदद कर सकती है अपने बन्धुओं की। सारी दुनिया समझती है इसलिए दुनिया को धोखे में नहीं रख सकते हैं। कायरता नहीं दिखानी चाहिऐ और इस मौके पर हमें चाहिये, भारत सरकार को चाहिये कि वह मान्यता देकर पूरी मदद करे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, में दो शब्द कहना चाहूंगा। यह बहस जारी रहे तो मुझे कुछ नहीं कहना है। खास तौर से विरोधी दल के माननीय सदस्यों की यह मान्यता है कि प्रस्ताव लाया जाय और विरोधी दल के और उधर के चार छः आदमी बैठ कर ड्राफ्टिंग करें। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : हमने पहले ही कह दिया था कि नेता की ओर से आजाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय दौलतराम जी ने कहा वह ठीक है। यदि कोई प्रस्ताव सदन को पारित करना ही है तो वह सर्व सम्मति से होना चाहिए। अगर वह प्रस्ताव सर्व सम्मति से नहीं है तो उस प्रस्ताव का मूल्य जो हम चाहते हैं वह नहीं रहेगा। वह घट जावेगा। तो सदन के नेता मुख्य मन्त्री जी से भी इस सम्बन्ध में चर्चा की जाये और उनसे यह बात कही जाय कि हमें प्रस्ताव लाने का हक है। उसका ड्राफ्ट

(श्री उपाध्यक्ष)

जो कुछ भी तैयार करके सदन में जितनी चर्चा करना हो करें। केवल दो तीन माननीय सदस्य प्रस्ताव लायें और उसका समर्थन सब कर दें और प्रस्ताव पारित हो जाय इस बात का मैं समर्थन करने में विवश हूं।

श्री रावतराम (छापर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस बारे में रूस और अमेरिका के क्या रीजन्स हैं, इस विवाद में हमें नहीं पड़ना चाहिये। कोई कन्ट्री हो, चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो वे अपने हित की दृष्टि से सोचेंगे। कोई माननीय सदस्य, रूस के पक्ष की बात करें, कोई अमेरिका के पक्ष की बात करें कोई चीन के पक्ष की बात करें, यह बात गलत है। हिन्दुस्तान की क्या जिम्मेदारी है और उसको कहां तक निभाना है यह देखना है। ज्यादातर इसी पर विचार करना चाहिए। सब पार्टीज के नेता मिल कर सर्व-सम्मति से प्रस्ताव करें तो अच्छा होगा। मैं एक बात कह रहा था कि हिन्दुस्तान की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। पाकिस्तान कहता है कि यह उसका इन्टरनल मामला है। एक प्रान्त ने विद्रोह किया है। आज बंगला देश की जनता निश्चित तौर से पाकिस्तान के साथ नहीं है और घबरा कर उन पर इस प्रकार कातिलाना हमले करे और उनका कत्लेआम करे यह इतिहास में कहीं भी नजर नहीं आती है। हिन्दुस्तान में श्री अंग्रेजों के खिलाफ लडाई लड़ी गयी। इस प्रकार का कत्लेआम नहीं किया; अत्याचार नहीं किये। उन्होंने गोलियां चलाईं, लाठियां चलायीं लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान की फौज बंगाली जनता को गोलियों से भून रही है दुनियां को देख कर शर्म ... इसलिए बंगाली जनता के साथ हमारी हमदर्दी पूरी तौर से होनी चाहिये और जब तक हम मान्यता नहीं देते हैं बंगला देश को कोई मदद नहीं करेगा। अब हम यह देखेंगे कि रूस क्या और कोई कन्ट्री मान्यता दे तो यह हमारी सबसे पहली कमजोरी होगी। रूस दे देगा हिन्दुस्तान को पहले मान्यता देनी चाहिये और देखे कि कोई चलने वाला तो हमारे साथ आये। सारा श्रेय इसका हिन्दुस्तान को मिलेगा। दूसरा पहले मान्यता देगा तो हिन्दुस्तान पीछे रह जायगा चाहे हिन्दुस्तान कितनी मान्यता देने के लिये उत्सुक हो। इसलिये पाकिस्तान से डरना नहीं चाहिये। पाकिस्तान की बुनियाद ही गलत हुई है। पाकिस्तान रहेगा उतने कबाडे करता रहेगा पाकिस्तान जितना पिटेगा उतना ही अच्छा होगा जितनी उसकी पिटाई होगी उतना ही अच्छा रहेगा।

पाकिस्तान के दिन आगये हैं और पाकिस्तान खत्म होगा। जिस प्रकार पाकिस्तान चल रहा है और जनता पर गोलियां चला रहा है अब वह अधिक दिन जिन्दा नहीं रहने वाला है और वह अपने पावों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Mr. Yashwant Singh Nahar is the only Congressman who has signed this

Page No 66

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

adjournment motion, may speak.

श्री बिरदाराम (जलोर) : बंगला देश हमारा पडौसी है। जिस प्रकार पाकिस्तान हिन्दुस्तान का हिस्सा है। भाई भाई अलग होते हैं हिस्से बांट लेते हैं। उसी प्रकार हिस्सा बांट लिया। पडौसी का एक भाई कहता है कि वह भाई मारेगा तो पडौसी उसको कैसे मारने देगा। जब एक भाई दूसरे भाई को मारता है तो तीसरे भाई का फर्ज हो जाता है कि वह उसकी मदद करे। पूर्वी बंगाल हमारा पडौसी भी है और हमारा भाई भी है। तो सबसे बडा पडौसी और भाई के नाते हमें उनकी जरूर मदद करना चाहिये। तन, मन और धन से उसे बचाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री पृथ्वीसिंह नाहर (धनेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव को लेकर इस सदन में कुछ विभिन्न मत प्रस्तुत हुये। सब चाहते हैं कि सदन कोई इस तरह का प्रस्ताव पारित करे जो सर्व-सम्मत हो। हम रूस की तरफ जाने को बुरा मानते हैं, कई कहते है कि रूस की तरफ भारत क्यों देख रहा है, यह गलत है। प्रश्न यह नहीं है। मैं एक निवेदन कर दूं। सन् 52 में भी पूर्व बंगाल में इस स्थिति के कुछ लक्षण दृष्टि गोचर हुये थे। विभाजन के बाद यह पहला अवसर था जब 52 में पूर्व बंगाल में चुनाव हुए। धर्म निरपेक्षता भारतीय संस्कृति की जान है इसकी सुरक्षा के लिये भारत पाकिस्तान से अलग हुआ, पर उस समय विश्व भूल गया था कि पूर्वी बंगाल इस तरह से संस्कृति और भाषा के नाम पर पाकिस्तान से दूर हट जायगा। इस 52 के चुनाव में जो भाषा और संस्कृति के नाम से पूर्व बंगाल में लड़े गये थे मुस्लिम लीग के केवल तीन आदमी आये थे बाकी सारे आवामी लीग के सदस्य आये जो भाशानी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। इस तरह से पाकिस्तान के अस्तित्व को तो पूर्वी बंगाल ने उसी समय झुठला दिया था। यह दुर्भाग्य का विषय है और इसका निर्णय इतिहास करेगा कि पाकिस्तान का निर्माण करना दुनियां की बहुत बडी गल्ती थी। इसका निर्माण केवल कुछ लोगों की सत्ता लोलुपता को शान्त करने के लिये किया गया था। आज जो कुछ नर-संहार का ताण्डव नृत्य पूर्व बंगाल में हो रहा है उस पर कुछ कह कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। हमारे सामने कम्बोडिया का उदाहरण है। केवल नर-संहार के बल पर किसी हिस्से के रहने वाले लोगों को दबाया नहीं जा सकता। दुनियां के बड़े 2 देश कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आन्तरिक मामला है। यह आन्तरिक मामला उन देशों के लिये हो सकता है हमारे लिये नहीं। क्योंकि इस नर-संहार का भयंकर असर हमारी आर्थिक स्थिति पर और हमारे मुल्क पर पड रहा है। भारत में लाखों की संख्या में शरणार्थी आ गये हैं। ये शरणार्थी भारत की धर्म-निरपेक्षता नीति के और भारतीय संस्कृति के सच्चे उद्घाटक हैं जो जो भारत में आकर देख रहे हैं। सौभाग्य का विषय है कि चारों तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उसमें भारत की सराहना की जा रही है।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
भारत सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाये हैं वे सराहनीय है और इसे सही दिशा में कदम कहे जा सकते हैं।

अब प्रश्न रहता है बंगला देश को मान्यता देने का। इस बारे में सदन का हर सदस्य जानता है कि यह लोकसभा का विषय है हमारा नहीं है।

हमारें और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन्स में तनाव आया हुआ है। पाकिस्तान इन सम्बन्धों को और बिगाड़ने के लिए तनातनी बढ़ाना चाह रहा है। सन् 65 में भारत पाक युद्ध हुआ तब भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन्स कायम रहे थे टूटे नहीं थे पर आज वे टूटने की स्थिति में पहुँच चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस अवस्था में इस प्रस्ताव का एक प्रस्तावक के नाते मैं समर्थन करता हूं। हम बहुत से सदन के सदस्य इस प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं पर इस दिशा में भारत सरकार को हर पहलू से सोचना है। यदि हम प्रस्ताव पास करते हैं और भारत सरकार कोई कदम इस दिशा में उठाती है तो दुनियां के वे मुल्क जो पाकिस्तान को कायम रखना चाहते हैं वे हमारे इस कार्य को गलत प्रचार का साधन न बना लें यह भी हमें देखना होगा। इसके उपरान्त भी पूर्व बंगाल को हथियारों की मदद हमने नहीं दी और इस मदद के अभाव में अगर पूर्व बंगाल लड़ खड़ा गया तो भारतीय संस्कृति हमारी धर्म निरपेक्षता की संभावना सदैव के लिये दफना दी जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि हम अपनी इन भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस प्रस्ताव को पास करें।

संसद 24125 को मीट कर रही है तो उन लोगों को भी हमारी भावनाओं की जानकारी हो सकेगी। अन्त में मेरी प्रार्थना है कि यह निर्दोष प्रस्ताव है। हमें इसे सर्वसम्मति से पास करके भारत सरकार से प्रार्थना करनी चाहिये कि वह पूर्व बंगाल को मान्यता देकर नर-संहार का जो तांडव नृत्य हो रहा है उसको रोका जा सके।

श्री शिवचरण (उप-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो चर्चा चल रही है इसमें दो राय नहीं कि इस प्रस्ताव को हमें समर्थन देना चाहिये क्योंकि हमारे देश की हालत ऐसी है हमारा जो भौगोलिक संबन्ध इस बंगला देश से है वह दूर नहीं रहने दे सकती। आज बंगला देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनायें घट रही हैं उनको देख कर प्रत्येक भारतवासी के लिये यह विचार करने का विषय हो गया है क्योंकि एक तरफ यह प्रकट होता जा रहा है कि पाकिस्तान खुल कर नर-संहार कर रहा है और दूसरी तरफ चीन व अन्य देश भी पाकिस्तान की मदद करते चले जा रहे हैं समाचारपत्रों में भी समाचार आये हैं कि पूर्व बंगाल में चीन के फौजी अफसर भी पाक फौजों का संचालन करते देखे गये हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व बंगाल को जो भी हालत बनेगी उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश पर पड़ने वाला है। पी.एल. 480 के अन्तर्गत जो खाद्यान्न पूर्व बंगाल में आने वाला था वह नहीं आ

(श्री शिवचरण)

रहा है। चीन की फौज हिन्दुस्तान की उत्तरी सीमा पर इकट्ठी हो रही हैं। पाकिस्तान की फौजें भी हमारी पश्चिमी सीमाओं पर एकत्रित हो रही है। चीन जैसे देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और चूंकि चीन के लिये सैनिक स्ट्रेटजी के पोइण्ट आफ व्यू से पूर्व बंगाल का बहुत बड़ा महत्व है? चीन के पास कोई समुद्री तट नहीं लगता इसलिये चीन का निगाह भी पूर्व बंगाल की घटनाओं पर पूरी तरह से लगी हुई है। चीन इस बात की ताक में है कि कोई बहाना उसे मिल जाय। हम भी इसको महसूस कर रहे हैं लोकसभा में भी चर्चा हुई है इस पृष्ठभूमि में। हमें सोचना है कि बंगाल को हमें किस तरह से मदद देनी चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रख कर हमें इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिये इससे केन्द्रीय सरकार पर प्रेशर पड़ेगा और जन भावनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। हम सब जानते हैं कि पूर्वी बंगाल की हालत का असर अत्यंत गहराई से हम पर भी पड़ने वाला है। पूर्व बंगाल में चुनाव हुए, चुनावों में शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी ने प्रचण्ड बहुमत से जीत हासिल की पर पाकिस्तान के फौजी शासकों को पसन्द नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान के फौजी शासक यह जानते हैं कि शेख मुजीबुर्रहमान ने हिन्दुस्तान के प्रति जो भावनायें प्रगट की हैं इस से पूर्व बंगाल हिन्दुस्तान का निकटतम दोस्त हो जायेगा। फौजी शासक यह नहीं चाहते। ऐसी हालत में हमें पूर्व बंगाल की अधिक से अधिक मदद करनी चाहिये और जब तक हम मान्यता नहीं देंगे, खुले आम मदद नहीं कर सकते हैं और न दूसरी सुविधाएं दे सकते हैं। तो जैसा कि उस ओर के माननीय सदस्यों का प्रस्ताव है उसमें समानता नहीं है। सतीशचन्द्र जी अग्रवाल और रामानन्दजी में विवाद चल रहा है। इसमें एक भाषा होनी चाहिये और सारे सदन की तरफ से बिना किसी कशमकश के सर्व-सम्मति से प्रस्ताव जायेगा तो निश्चित ही वह जनता का विचार होगा और सदन का गौरव भी बढ़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव यहां दिया गया है उसका आशय इस पर डिस्कशन करने से है। जो यह सुझाव है कि यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से बने, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रस्ताव में तो यह कहा गया है कि "यह सदन भारत सरकार से अपील करता है कि बंगला देश को मान्यता दे और नर-संहार को समाप्त कराने के लिये प्रभावी कदम उठावे।" मेरे को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं सभी विरोधी दल के नेताओं से बातचीत कर दो, तीन दिन में प्रस्ताव पेश कर दूंगा।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि वे दो तीन दिन में विरोधी दल के नेताओं से मिल कर एक और प्रस्ताव पेश कर देंगे। परन्तु यह एड-जोर्नमेन्ट मोशन तो रिजेक्ट कर दिया गया है फिर इस पर बहस किस बात की?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिजेक्ट नहीं हुआ है।

श्री दामोदर लाल व्यास : हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

श्री दामोदर लाल व्यास : सारी प्रतिक्रियाएं बता दी गई हैं। बहस करने का मौका नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकारी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मुख्य मंत्री जी ने बता दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने इसका समर्थन किया है। कहा है कि मान्यता मिलनी चाहिये। विरोध नहीं हुआ।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मेरे ऊपर देकर मैं आगे बात बताऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके साहबजादे बोल कर अभी यहां से गये हैं उन्होंने समर्थन किया है इस बात का कुछ ख्याल भी है आपको ?

एक माननीय सदस्य : बाप और बेटे अलग अलग बात कह सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों को एक जगह कर दूंगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं यह उदाहरण निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एम.एल.एज. बंगलों में रहता हूं। मेरे एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रामानन्दजी रहते हैं, मेरी उनसे नहीं पटती है। मेरे बंगले के दूसरी तरफ मनफूलसिहजी रहते हैं, मेरी उनसे भी नहीं बनती है और मेरे बंगले के सामने यशवन्तसिहजी रहते हैं, उनसे भी मेरी नहीं पटती है। तो यह समझ लेना चाहिये कि मेरी किसी से क्यों नहीं पटती, इसका कारण उनमें डिफेक्ट होना नहीं बल्कि मेरे ही में कोई डिफेक्ट है इसलिये कोई बात नहीं बनती है। यही बात हिन्दुस्तान के बारे में समझ लेनी चाहिये। उससे नही बनती, इससे नहीं बनती, इसका मतलब हिन्दुस्तान की सरकार में कोई डिफेक्ट है इस वजह से नहीं बनती है। तो यह समझने की बात है। दूसरा जो प्रस्ताव है उसका विरोध नहीं करता हूं। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरे को परसनल निवेदन करना है। क्या हमें विश्वास है? सन् 62 के अन्दर चीन का हिन्दुस्तान पर अटेक हुआ और हमारी लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, एक एक इंच भूमि को चीन से छुड़वा कर वापिस लिया जाये।...

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से दूर हो रहे हैं।

श्री विजयसिंह : दूर नहीं हो रहा हूं उसी पर निवेदन कर रहा हूं।......यह प्रस्ताव पास हुआ, उसका क्या हुआ। आज दिन तक प्रस्ताव पास किया पड़ा है और जमीन ? प्रस्ताव पास करना चाहिये।

(श्री विजयसिंह)

परन्तु साथ ही साथ उसको क्रियान्वित भी करना चाहिये और इसके लिये सरकार को मजबूर करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले के जमाने के अन्दर जो लड़ाइयां होती थी उनमें राजा आगे रहते थे, वे लड़ाइयों की अगुवाई करते थे परन्तु आज कोई भी नेता, मंत्री लड़ाइयां, युद्धों में आगे जाकर नहीं लड़ता है। इसलिये मेरा यह निवेदन करना है कि अगर आप प्रस्ताव ही पास करना चाहते हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। बंगला देश के अन्दर जाकर लड़ने की क्षमता आप में नहीं है। आप चुपचाप बैठे रहेंगे और दम है तो लड़ाई के लिये चलिये और इसके लिये हमें शांति से नहीं बैठना चाहिये। इस तरह का विश्वास होना चाहिये। अगर लाल क्रांति को आप लाना चाहते हैं और आपको लाना पड़ेगा परन्तु आप लोगों में दम नहीं है कि आप अगुवाई कर सकें। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो आपको पीछे धकेलना पड़ेगा और उससे कुछ असर होगा। यह कौनसा बंगला देश है, कौनसा बंगाल है? यह हमारा ही देश है, हमारा हिस्सा है। अगर पाकिस्तान हमारे काश्मीर के अन्दर ट्रबल क्रियेट कर सकता है और काश्मीर को हमने दो भागों में बना रखा है और आजाद काश्मीर पाकिस्तान के हाथ में है तो उस आजाद काश्मीर को उससे हमें छीनना चाहिए, उसका उद्धार करना चाहिये क्योंकि काश्मीर हमारा है और वह क्षेत्र जो आजाद काश्मीर है उसको छुड़ाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि बंगला देश और पूर्वी बंगला में हमें पूरी ताकत से लड़ कर किस प्रकार हमारी सत्ता वहां हो यह सोच कर चलना चाहिऐ।

श्री फूलचन्द बाफणा : एक मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया। चर्चा समाप्त हुई।

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय जो चर्चा यहां पर हो रही है, उसमें दो एक मिनट से कम समय लूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर चुनाव हो चुका है और जब पूर्वी बंगाल में चुनाव हो चुके हैं तो मान्यता हो चुकी है। परन्तु वहां पर सरकार कायम नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि जो लोकतन्त्र की पद्धति है वह वहां कायम नहीं हुई। तो वहां आज लोकतन्त्र और एकतन्त्र की लडाई है। वास्तव में यह पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल की लडाई नहीं है लोकतन्त्र और एकतन्त्र की लडाई है। लोकतन्त्र के हम हामी हैं। और मेरा ख्याल है कि एकतन्त्र के हम हामी नहीं हैं। यह भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है ऐसा मैं नहीं मानता। वह इस विषय पर पूर्ण सजग है और उसको दुबारा सजग कर दें तो कोई बात नहीं है। मेरा विश्वास है कि भारत सरकार सजग है। कुछ ऐसी बातें हैं जो जाहिरा में नहीं आ सकती हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि वह सजग है। इस मामले में वह लोकतन्त्र के साथ है और पाकिस्तान की एकतन्त्र की भावना को नष्ट करने के लिए पूरा सहयोग देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विधि मंत्री जी ।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान और आजाद हिन्दुस्तान में रहने वाले इन्सानों की हमदर्दी हमेशा उन लोगों के साथ है जो अपनी आजादी के लिये लड़ना चाहते हैं । चाहें अपने दिल के जज्बात को कितना ही रोकें दिमाग पर वजन डालें, दिल से यही निकलता है । चाहे अफ्रीका में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे बंगला देश में हो जहां पर भी लोग जद्दोजहद करते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं और जहां कहीं भी इस दुनियां के अन्दर लोगों में आजादी की लड़ाई लड़ी है, उनको अगर हम मदद नहीं कर सके हैं तो हमने ईमानदारी के साथ उनसे हमदर्दी जाहिर की है, मोरल सपोर्ट किया है । मैं समझता हूं कि यह हिन्दुस्तान जो महात्मा बुद्ध का है, महावीर का हिन्दुस्ताम हैं, चिश्ती का हिन्दुस्तान है, नानक का हिन्दुस्तान है, यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इन्सानों के ऊपर जुल्म हो और हम जहां महात्मा गांधी की जय जयकार बोलें जो एक अहिंसा का देवता यहां पैदा हुआ है, उसके खिलाफ वक्त करते हुए दुनियां में जुल्म हो और उसको हम बर्दाश्त कर सकें ।

हम यह जानते हैं कि पाकिस्तान हर तरीके से हिन्दुस्तान के ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहता है । वह यह जहर उगलना चाहता है कि बंगाल के अन्दर लड़ाई शुरू करवाने में हमारा हाथ था । पाकिस्तान इस बात की कोशिश करना चाहता है जो नर-संहार उसकी हुकूमत ने किया है, उसकी सारी जिम्मेदारी हिन्दुस्तान की है । मुझे अफसोस हुआ जब मेरे एक दोस्त ने यह कहा कि हिन्दुस्तान नाजायज तरीके से बंगला देश की मदद कर रहा है । मैं उनको बताना चाहता हूं · · ·

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह नहीं कहा है कि मान्यता नहीं देनी चाहिये । जो हम सम्बन्ध करें वह इल्लीगल सम्बन्ध न हों, बल्कि उसके खिलाफ, खुलेतौर पर हम सिद्धान्तों, नीति और प्रोग्राम के अनुसार उसके साथ हों, उसको मान्यता दें ।

श्री बरकतुल्ला खां : जो मैंने सुना है वह कहा है । जो कहा गया था वह कहा है ।

श्री दौलतराम सारण : नाजायज सम्बन्ध का मैंने नहीं कहा है · · ·

श्री बरकतुल्ला खां : इसका मतलब यह नहीं है कि हम इनडाइरेक्टली मदद कर रहे हैं · · ·

श्री दौलतराम सारण : आपके मतलब निकालने से मतलब नहीं निकलता ।

श्री बरकतुल्ला खां : जो सुना है वह कहा है । अब आपने अपनी बात को क्लीयर कर दिया तो मैं मान लेता हूं · · · ·

श्री दौलत राम सारण : आप इस तरह से गैर-वाजिब तरीके से · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज़ ।

श्री दौलतराम सारण : मुझे आपत्ति है इन शब्दों से उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री ब ब ुल्लाखां : आप चाहें तो प्रोसीडिंग्स देख लें। जब आपने बात को समझने की चेष्टा ही नहीं की तो क्या कहा जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जो कर रहा है वह जायज कर रहा है। जो वहां से नंगे भूखे आ रहे हैं उनको रोटी कपड़ा देना हमारा काम है। जो जख्मी आ रहे हैं उनकी मदद करना और मरहम पट्टी करना हिन्दुस्तान का कर्त्तव्य है। हमने यही नहीं किया है बल्कि वेस्ट पाकिस्तान से भी जिनको धक्का देकर निकाला जा रहा है उनके लिये भी हमने रास्ते निकाले हैं। यह आपके और हमारे लिये कोई एक्स्ट्रा आर्डिनरी चीज नहीं है। भूखों को रोटी देते हैं, जो नंगे आते हैं उनको कपड़े देते हैं, जिनको दवा की जरूरत होती है उनको दवा भी दी जाती है, जिनके पास रहने को छत नहीं है उसको रहने के लिये छत का इन्तजाम किया जाता है। जो भी सिविल ऐमीनिटीज हैं वह देंगे। जो जख्मी आयेंगे उनकी हम मरहम पट्टी करवायेंगे। हिन्दुस्तान में यह नहीं हो सकता है कि लोग नंगे, भूखे और जख्मी आयें और हम उनको पनाह भी नहीं दे पायें यह हमारी सोस्यिल लाइफ़ को डाइरेक्ट इफेक्ट करता है, हमारी पोलिटिकल लाइफ को भी अफेक्ट करती है। यह पाकिस्तान में हमेशा रहा है। जब भी झगड़ा हुआ है तो उन्होंने रिफ्यूजीज बना कर हिन्दुस्तान में भेज दिया यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान अलग हुये उस समय भी ऐसा हुआ था। आज भी हम देख सकते हैं हिन्दुस्तान में माइनोरिटी की तादाद बढ़ रही है और पाकिस्तान में माइनोरिटी की तादाद घट रही है। इसका मतलब है जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान इस रवैये को अख्तियार करता है। हिन्दुस्तान में वहां के रिफ्यूजीज आते हैं और जब ये आते हैं तो हमारी लाइफ अफेक्ट होती है, इमोशनल इफेक्ट होता है। हाउसिंग प्राब्लम एम्पलायमेंट की प्राब्लम दुनियां भर की प्राब्लम होती है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि हिन्दुस्तान की इकोनोमी को डिस्टर्ब किया जाय और वह बराबर डिस्टर्ब करता रहा है। तब भी हिन्दुस्तान में ताकत है उसको यह सहन कर सकता है। इसलिये आने वाले लोगों को हम पनाह देते हैं।

जहां तक मान्यता का ताल्लुक है इसके ऊपर ज्यादा न कहते हुये जो सदन के नेता मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है उस बात को ही दोहराना चाहता हूं और अर्ज करना चाहता हूं कुछ ऐसे मसले हैं जिसमें भारत सरकार को आजादी देनी चाहिये। अब चूंकि यह नीति का मामला है और डिफेन्स का मामला है और क्योंकि हम लोगों के पास पूरे फैक्टस भी नहीं हैं इसलिये मैं समझता हूं अगर कोई मेजर फारन पालिसी डिसीजन विधान सभा में लेते हैं तो वह मुनासिब नहीं है। हमारी जो भावनायें है वह भारत सरकार को मालूम हो ...

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : Excuse me for a minute. Not 'decision' but 'demand'.

डिमान्ड्स विधान सभा में की जाती है डिमान्ड्स और डिसीजन में फर्क है। We are simply making a demand We are not taking a decision. The House is not competent to

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

take a decision, the Parliament will take the decision, but we can make a demand.

श्री बरकतुल्ला खां : My purpose was not that. I was only explaining that sometimes Government of India should be given a free hand to understand the implications of an issue. But so far as pressure of public opinion is concerned, it is very much there. हिन्दुस्तान के लोगों का जो सोचने का तरीका है उसमें कोई भी हस्तक्षेप पाकिस्तान की सरकार नहीं कर सकती है। हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वह हर प्रकार से सोच सकती है। इसलिये हिन्दुस्तान के लोग क्या सोचते हैं यह एक अलग बात है। पाकिस्तान ने हमेशा हमारे मामलों में दखल दिया है। हमारे मिलिट्री ट्रेन्ड पर्सनल्स को भी नुकसान पहुंचाया है। वह यह समझता है यह कोई दूसरा मुल्क ही नहीं है लेकिन हमने उनके मामलों में कभी दखल नहीं दिया और जब इतना बड़ा रिवोल्ट होता है, माइन्योरिटी रिवोल्ट करती है तो भी हिन्दुस्तान की जनता और सरकार माइन्योरिटी के साथ में रहती है उस समय भी हिन्दुस्तान को प्रोटेक्शन देती है। हमारे संविधान में माइन्योरिटि को इक्वल राइट्स दिये हैं। लेकिन वहां कि मेजोरिटी माइन्योरिटी पर रूल करना चाहती है। हिन्दुस्तान की हमेशा माइन्योरिटी पर हमदर्दी रही है। मैं उस डेमोक्रेसी के साथ हूं और उन लीडर्स के साथ हूं जो हिन्दुस्तान की व अन्य देशों की डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। सिक्यूलरिज्म के साथ हूं। कल्चर को बेसिस बनाना चाहते हैं, रेस को नहीं बनाना चाहते हैं। आज वही बंगला देश के लोगों के साथ है। मजहब कल्चर सोशियल वेल्यूज, सोशियल लाइफ का सहारा लेकर अपने कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं उनके साथ हमारी हमदर्दी है, गुडविल है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। जो सदन के नेता ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय सदस्य ने कहा है तो आपस बैठ कर बात करें और सदन के नेता को कान्फीडेन्स में लेकर कोई रास्ता निकालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त की जाती है। दूसरा बिजनिस लेने से पहले मैं एक शब्द कह देना चाहता हूं। अपने मन में यह गलतफहमी है कि यहां से कोई प्रस्ताव नहीं कर सकते हैं कि भारत सरकार बंगला देश को मान्यता दे दें। मान्यता देने का काम भारत सरकार का है लेकिन जो सुझाव देने का प्रस्ताव है यह विधान सभा का है विधान सभा से कोई अलग बात नहीं है। हमारे यहां ट्रेनें निकलती हैं, राजस्थान से और ट्रेनें निकालती हैं भारत सरकार, लेकिन सुझाव हम देते हैं हमारे यहां तारघर या कोई बड़ी नहर या बड़ा कारखाना कोई खोलता है तो वह भारत सरकार का ही काम है लेकिन हम उसमें अपना सुझाव देते हैं। यह बात समझ में नहीं आई। यह उनका विषय है, ठीक है लेकिन प्रस्ताव के रूप में कोई सन्देश देना अन-कान्स्टीट्यूशनल नहीं है। यहां पर जो प्रस्ताव पास

Page No 74

श्री उपाध्यक्ष:)

ोता है, उससे भारत सरकार के हाथ जबूत होंगे बजाय इसके कि छोटी छोटी भायें करके प्रस्ताव पारित करके भेजें। हां का प्रस्ताव महत्व रखता है। मैं अपनी ात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री समानंद अग्रवाल: मैं समझता इस बात पर सरकार विचार करेगी ार मौके लगने पर मान्यता शीघ्र देने ा प्रयास करेगी।

श्री लाभचन्द वेद (सुजानगढ़): उपाध्यक्ष होदय, मैंने कल भी निवेदन किया था। रा भी एक स्थगन प्रस्ताव है सरदार शहर बारे में। 26 तारीख को स्थगन स्ताव रखा था।

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर वस्था हो गई है मा. सदस्य।

श्री लाभचन्द वेद: यह उसी पर चल ा है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिवेदनों का प्रति-क उपस्थापन। सभापति श्री पुख-ज कालोनी।

सभापति, श्री पुखराज कालोनी: ाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग लेखे, ·968–69, वित्त लेखे, 1968–69 एवं 1968–69 के लेखाओं पर अंकेक्षा तवेदन के सम्बन्ध में आबकारी विभाग ष विभाग, चिकित्सा विभाग, जन-ास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु नन विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा भाग, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग विषयक जन लेखा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष: ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कौनसा है या।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जुझारसिंह, सदस्य विधान सभा, कोटा जिले में ग्राम राजगढ़ में कुननपुर तक टूटी हुई सडक को ठीक करने सम्बन्धी विषय की ओर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस विषय का रखा है कि सन् 1969–70 में सांगोद रोड का पोर्शन फ्लड की वजह से डेमेज हो गया था। उसको जानबूझ कर राजनैतिक आधार पर रिपेयर नहीं करवाया गया और दूसरा ध्यान आकर्षण इस पर रखा है कि जो राजस्थान सरकार ने फ्लड्स का फण्ड सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उपलब्ध कराया था उसका राजनैतिक आधार पर किन्हीं अन्य जगहों पर उपयोग किया है जहां डेमेज नहीं हुआ था। यह जानबूझ कर किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1969 के पहले भी इस सडक को बनाने के लिए कई अड़चनें डाली गई हैं। 1969–70 में कोटा जिले में बहुत भारी बाढ़ आई। जिससे कि···

(श्री जुझारसिंह)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

(1.50 म. प.)

सड़क का दो मील का हिस्सा बाढ़ में बह गया। उसके लिए सेण्ट्रल कमेटी निरीक्षण करने के लिए आई। उस बाढ़ के आने के एक महीने के अन्दर ही वह कमेटी वहां पहुँच गई। पी. डब्ल्यू. डी. के मन्त्री महोदय भी वहां पहुँचे। उस वक्त उन्होंने यह आश्वासन दिलवाया कि इस सड़क को बहुत ही जल्दी भारत सरकार का फण्ड होते ही रिपेयर करवा दिया जायेगा। यह बात दो वर्ष पहले की है। उसके बाद मैंने माननीय मन्त्रीजी को बहुत पत्र लिखे और उनको याद दिलाया कि आपने जो वादा किया रिपेयर कराने का तो उसकी रिपेयर कराने का कष्ट करें। आखिर 23 दिसम्बर, 1969 को मेरे को पत्र द्वारा सूचना दी कि अब भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध हो गई है और शीघ्र ही रिपेयर करा दी जायेगी। 23 दिसम्बर, 1969 को यह सूचना मिली। जब कि लैप्स होने में 3 महीने बाकी थे। अगर राजस्थान सरकार उसको रिपेयर कराने में इण्ट्रेस्टेड होती तो भारत सरकार द्वारा जो धन-राशि दी गई थी, उसको रिपेयर करने में आसानी से लिया जा सकता था। माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि इस सड़क की जो जगह थी वह वहां से हट कर बनेगी। नहीं तो फिर टूट जायेगी। यह कहा गया कि दूसरी जगह जो जमीन है, वह काश्तकार देने के लिए राजी नहीं थे। यह सड़क काली सिंध और परवन नदियों के बीच में है।

पी. डब्ल्यू. डी. विभाग का कहना था कि सड़क उसी जगह रहेगी तो फिर टूट जायेगी। पी. डब्ल्यू. डी. का कहना है कि कालीसिंध की बाढ़ से यह सड़क टूट है। परवन नदी में जो इरोजन होता है, उससे बचाव तो ठीक है। कालीसिंध की वजह से तो वह अलग है। कालीसिंध और चण्डाली नदी का एक्सेस वाटर दूसरी नदी में आकर गिरता है। अब यह उम्मीद की जाती है कि कालीसिंध का पानी अब परवन में नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से फर्लांग दो फर्लांग दूर बढ़वाया जाये। लेकिन काश्तकारों की जमीन नहीं मिल रही है यह कहना गलत है। जहां वह डेमेज हुई है वहां के एग्जेस्टिंग एलाइनमेण्ट को फालो करना चाहिए। अब उस पोरशन का 5 मील का हिस्सा आता है जिसमें एलाइनमेण्ट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिस में कम से कम एलाइनमेण्ट की दिक्कत नहीं आती है वह तो शीघ्र से शीघ्र कर दें। जो हिस्सा बिल्कुल कट गया है उसके लिए दूसरी जगह देनी पड़ेगी। मैं निवेदन करूंगा कि जिस जगह कट गई है, उसके लि गांव के लोग जमीन देने में कोई एतराज नहीं करते हैं। दूसरे इस सड़क के बाबत मेरा यह कहना है कि 1955 से कई बार मुझे आश्वासन दिया गया है। 23 दिसम्बर, 1969 को सूचना दी गई उसमें भी आश्वासन दिया गया और माननीय मंत्री महोदय ने मुझे जो कहा, उसका रिपीटीशन करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। उस के बाद वह नहीं किया गया। कोटा और झालावाड़ में 35 लाख और 10 हजार

(श्री कुम्भारसिंह)

फ्लड में खर्च किया गया। उस 35 लाख 10 हजार को ऐसी जगह खर्च किया गया। पिड़ावा में 2 लाख 85 हजार खर्च किया गया। आपने यह बताया है कि झालरापाटन और आगर सड़क की मरम्मत करने के लिए मन्त्री महोदय ने झालावाड़ आगर सड़क बताई है। 2 लाख 30 हजार फ्लड के मंजूर हुये। 4 लाख आपने खर्च किये हैं। उसके बाद आप यह कहते हैं। इसी तरह से पिड़ावा क्षेत्र में आप ने जो लिया है। पिड़ावा में आपने 1 लाख 10 हजार रुपया खर्च कर दिया है कोई आवश्यकता वहां पर नहीं थी। राजनैतिक आधार पर 1 लाख 10 हजार रुपये आपने एक राज्य के मन्त्री के लिए खर्च किया है। उसका भी 60 हजार खर्च किया गया है। कोई डेमेज नहीं है।

राज्य का पैसा है, कलेक्टर की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है, उस एरिया में फ्लड नहीं आया है क्या? क्या राजनैतिक तरीके से बख्शीस करनी है। आप कर सकते हैं। आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिये, राजनैतिक आधार पर कहीं डेमेज न होते हुए भी लाखों रुपया आपने पानी की तरह बहा दिया और जहां पर वास्तव में डेमेज हुआ है, जिसको सेन्टर की टीम देखने को आई, और उसने जो कहा वह मंत्रीजी ने बताया है, इसके अलावा कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है, लेकिन उस पर गौर नहीं करते, उस एरिया को नेगलेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा दुःख की बात है कि इस पर्टीक्यूलर रोड के बारे में मंत्री महोदय कम से कम तीन चार बार इस सदन को आश्वासन दे चुके हैं, उसके बाद भी एवरी टाइम यह होता है कि हमारे पास फंड नहीं है। वास्तव में यह सही नहीं है। इस सड़क को बनाने के लिये बजट में प्राविजन हर साल किया गया है। उसके बाद में प्रोवाइडेड फण्ड भी यूटिलाइज नहीं हुए हैं। पिछली साल हुआ था, वह एक लाख था। अब फिर प्राविजन है। यह प्रावीजन बजट होने के बाद भी डेमेज को सुधारने का प्रश्न तो अलग रहा, रिपेअर तक नहीं की है, और कहीं रिपेअर की तो की, नहीं की तो नहीं की। तो बजट में ग्रान्ट होते हुए भी उस प्राविजन को यूटिलाइज नहीं किया है और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। मेरा यह निवेदन है कि मंत्रीजी इसकी सीरिअसनेस को देखते हुए और आपने जो आश्वासन दिये हैं उसको देखते हुए रिपेअर करने की बात फर्मायेंगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय !

श्री मनीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : सभापति महोदय, इसमें शक नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि बाढ़ से क्षति और हानि इस सड़क को पहुंची है। वह मेरी भी देखी हुई बात है, और इसमें भी शक नहीं कि मुझे देखते ही ख्याल हुआ कि जल्दी से जल्दी मरम्मत सड़क की हो जानी चाहिए। अब इसकी मंजूरी जो बाढ़ के फण्ड से हुई, वह दिसम्बर में हुई और मुझे अफसोस यह है कि वह पूरे तरीके के ऊपर मार्च तक इस्तेमाल नहीं हो सकी। अब जैसा कि माननीय सदस्य कोई यहां आधार के नाते कहते हैं, यह कुछ कहते हैं कि राजनैतिक कारणों से हुआ है तो उसके लिए मुझे ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि अगर मैं कोई उसके मुतल्लिक कहूं तो माननीय सदस्य उसी हद तक वजन देंगे जिस

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

हद तक उनका दिल मानेगा। मैं कोई जवाब दूं तो मेरा भी जवाब दूसरे के लिए उसी हद तक सही हो सकेगा जिस हद तक मैं यकीन दिला सकता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरे मन में राजनैतिक आधार की यह चीज नहीं थी। इस प्रकार का धोखा दिया जाय तो आप कह दीजिये कि आपके लिए तो मंजूरी हो और दूसरी तरफ इशारा हो जाय कि काम नहीं हो। इसको माना जाय या न माना जाय, लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जरूर मानेंगे, मेरे दिल में यह बात नहीं थी कि राजनैतिक आधार पर काम हो। यह काम नहीं हुआ इसका मुझे खुद दुःख है, क्योंकि हमारा फर्ज है, उस फर्ज को पूरा करने में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं तो हमारे लिए बदनामी की बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे यह इस साल काम क्यों नहीं हुआ, वैसे बेशक मैं कहूं, हम बनायेंगे, लेकिन दरअसल फण्ड का प्रोविजन नहीं हो सका। माननीय सदस्य कहते हैं कि प्राविजन हुआ, तो मैं समझता हूं कि बी. अण्ड. आर. के अन्दर कहीं प्रोविजन नहीं हुआ और अगर हुआ है तो मैं सही मायिने में उसकी जानकारी करूंगा। अब राजनैतिक आधार पर यह कहा कि वहां के लिये प्राविजन हुआ और दूसरी जगह लगा; तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई काम हुआ है तो किसी इशारे से पर वहां से नहीं हुआ है। अगर गलत काम हुआ है, गलत काम है तो उसकी जवाबदारी है वह आफिसरान को देनी पड़ेगी क्यों यह गलत काम हुआ। इस विषय में माननीय सदस्य ने कहा तो मैं इन्क्वायरी कराने के नाते अब मुख्य अभियंता को हुक्म दूंगा कि वह जानकारी करें, यह बिना मंजूरी के किसी एक जगह से दूसरी जगह पर रुपया आवंटन होकर खर्च हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो किसके आदेश से हुआ और क्यों हुआ और जो सजा है वह जरूर होनी चाहिये। मैं साधारण तरीके पर इतना कहूंगा कि जल्दी से जल्दी उसकी पूरी रिपोर्ट आने वाली है, और क्या प्राविजन हुआ, क्यों दूसरी जगह गया, किस आदेश के तहत खर्च किया गया, और अगर वह बेजाब्ता काम किया है तो जो उसके अन्दर सजा होनी चाहिये व लाजिमी तौर पर होनी चाहिये। इसमें दो राय वाली बात नहीं है। इस साल में खास तरीके पर रखा है, इस साल आपकी सड़क के लिए एक लाख रुपये का प्राविजन रखा गया है, अब आपकी मन्शा के मुताबिक, आपकी राय के साथ मिल कर, जैसा आप कहते हैं कि पुराना एलाइनमेंट काम दे सकता है तो वैसा करेंगे। आपके यहां की जमीन है, आप बेहतर जान सकते हैं। मैंने देखा, नदी नाले हो गये हैं। लेकिन आपने देखा है, उससे आपका ख्याल है कि वह सड़क सही मायने में बन सकती है तो हमें आपत्ति नहीं है। अब सड़क किस तरह बनाई जा सकती है, इसके लिए मैं एस. ई. को हुक्म दे दूंगा, आपको लेकर वहां चले जायें और डिमार्केशन देख लें और जल्दी से जल्दी यह काम पूरा हो और इस काम में कामयाबी हो—इसमें दो राय नहीं है। राजनैतिक आधार का मैं जवाब दे चुका हूं। माननीय सदस्य मुझे, उम्मीद है, इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे। इस विषय में इतना ही कहना है।

श्री कुमारसिंह : सभापति महोदय, मैं दो तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं,

(श्री जुझारसिंह)

एक तो यह है कि एक पोर्शन है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि यह छः मील के लिए ही ग्रान्ट आई थी। पलड़ से डेमेज हुआ था, जो डेमेज पोर्शन है, एलाइनमेंट का प्रश्न रहता है उसके लिए क्या कर रहे हैं। दूसरे एलाइनमेंट को चेंज करने की व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं समझता हूं उसकी जरूरत नहीं है यह टैक्निकल पाइन्ट है, आपने फर्माया कि एस. ई. देख ले, उन्हें टैक्नीकली इस विषय का पता है, लेकिन इस एलाइनमेंट को फोलो अप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, जल्दी हो जायगा। वह समझते हैं कि चेंज करना आवश्यक है तो दूसरा प्रश्न है। जो पोर्शन डेमेज पड़ा हुआ है, जिसमें एलाइनमेंट चेंज करके जो मौजूदा सड़क है उसकी रिपेअर करने की क्या प्राविजन करेंगे और रिपेअर करने के लिए जो फण्ड उपलब्ध करने हैं वह कितने फण्ड उपलब्ध करेंगे It would come from whatever you might allow for the second portion. और इस इलाके को कितना न्याय आप देने वाले हैं?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने दो बातें साफ कर दीं, एलाइनमेंट के बारे में दो राय नहीं है, एलाइनमेंट बताया यह पासिबल हो सकता है तो पुराना एलाइनमेंट रखें, और नया एलाइनमेंट पैदा करने की बात हो तो वह करें। आप समझते हैं कि वह एलाइनमेंट सही हो सकता है और उस पर काम किया जा सकता है।

फण्ड के मुतल्लिक कहा, पहले उपलब्ध हुआ था फण्ड व बांड के नाते हुआ था। मेरा यह कमिटल है, मैंने इसके लिये एक लाख रुपये का प्रावधान रखा है। आपकी मर्जी के मुताबिक, जैसा आप चाहें, उ एलाइनमेंट को उस तरीके से बनवा लिया जाय।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं प्रश्न पूछूं आपने एक लाख रुपया का प्रावधान रखा है उसमें जो सड़कें समय में टूट जाती हैं, उनका रिन्यूवल करायेंगे। लेकिन आप इसके नक्शे तो बनाते हैं कि इतनी लम्बी है, इतनी चौड़ी है, इतनी मोटाई है और उस के आधार पर प्रावधान होता होगा। जो कोई भी सड़क बनाते हैं वह आप एस. ई. पर छोड़ देते हैं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

भूतपूर्व नरेशों के प्रीवीपर्स और विशेषाधिकार सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

गैर सरकारी सदस्य कार्य। श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा यह संकल्प पिछले सत्र में दिनांक 31 मार्च, 1970 को प्रस्तुत किया गया था। उस समय सदन में इस संकल्प पर बहस अनिर्णीत रही थी, इसलिए अब इस पर अग्रेतर विचार किया जायगा। इसके अन्दर पहले श्री मदनसिंह दांता, महारावल श्री लक्ष्मणसिंह, श्री जसराज, श्री माधोसिंह बोल चुके हैं। अब मैं सुरेन्द्र व्यास को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा!

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल!

(अनुपस्थित)

ी सभापति)

श्री यशवन्तसिंह नाहर !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरण सिंह !

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा !

(अनुपस्थित)

इस पर कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री रावतराम : इसको पास समझ ा जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : निर्विरोधक स समझ लीजिये।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं हाजिर गया हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : आपका नाम बोल ें हैं।

श्री रावत राम : आपका नाम पुकारा ा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपका प्रमो-न हो गया है, केबिनेट में चले गये।

श्री सभापति : प्रिवीपर्सिज ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अपने ?

श्री सभापति : राजा महाराजों के ।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : मैं अपने रे में सोच रहा था । मैं सोच रहा था ; अपना प्रिवीपर्स भी है या नहीं । डिग्निटी कोई बाकी रही है, उसको लेकर कुछ कहना चाहूंगा । इससे पहले आज का प्रस्ताव मुझे याद आ गया है। प्रस्ताव यह है कि जो हमारे सामने वाले अलवर से आने वाले माननीय सदस्य रामानंदजी ·····

श्री सभापति : साइड में हैं सामने नहीं ।

श्री यशवंतसिंह नाहर : सामने हैं, जहां हम रहते हैं, हमारे सामने हैं। आज यह प्रश्न नहीं रहा जो कि मध्यावधि चुनाव से पहले और बाद में था । किसी माइने में जो हमसे ज्यादा प्रगतिशील हैं, हम उनके प्रिवीपर्सिज को और प्रिविलेजिज को, इस जमाने में कायम रखने की बात करते हैं। उदाहरण के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कई ऐसे सोचने वाले हैं जो अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं कि सरकार ने जो उनसे राज छीना उनसे क्वेनेन्ट्स किये थे, उसके आधार पर आज भी कांग्रेस का राज है–उस समय भी कांग्रेस का राज था इसलिए कमिटमेंट्स को मीट करना चाहिए । प्रश्न यह नहीं है । मैं राजस्थान और भारत की स्थिति पर थोड़ासा प्रकाश डालूंगा और निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उससे पहले बता चुका हूं, बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे सामने है । उसके बाद भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या प्रिवीपर्सिज प्रिविलेजिज, डिगिनेटीज और परसनल राइट्स की जो संविधान में गैरंटी दी गई है, हम इस भारतवर्ष को जिन्दा रखें खास तौर से मध्यावधि चुनाव के बाद।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मैं इसलिए मध्यावधि चुनाव का नाम लेता हूं कि भारतवर्ष के इतिहास में यह मध्यावधि चुनाव बहुत बड़ा मोड़ है और गरीब ने करवट बदल कर देखा कि शायद सही अवसर अब आया है। 1947 में हमने आजादी ली और संविधान का निर्माण किया और उस संविधान के निर्माण पर हमने कुछ ऐसी चीजें रखीं, शायद जो हमारे बस के बाहर थीं। जिनको पहले अपना लिया था वह हैं मूलभूत अधिकार। बहुत सुन्दर चीज है। 1952 का चुनाव हुआ। पर्चियां बांटी गई और उसमें खातेदार किसान का नाम लिखा गया। काश्तकार ने देखा सरकार जमीन की मालिक होगी। पता नहीं कौनसी आशंका थी जो हमारी भूतपूर्व रियासतें थीं, जहां तीसरा इटरमीज्यरी था, उसके होते हुए अपने आप को शायद जमीन का मालिक समझा जो कभी नहीं रहा। सबसे पहले हकूमत आई 1952 में। पहले कांग्रेस का राज्य था और कांग्रेस के राज्य में किसान को जमीन का अधिकार दिया खातेदार बना दिया जो पहले कभी नहीं था, सही भाषा में आज भी सरकार जमीन की मालिक है। बीच में इन्टरमीजियरी रहता है, खातेदारी का हक जो मिल्कयत के सामान है, उसके बाद भी जनता ने स्वीकार किया। यह अधिकार आपको संपदा का अधिकार है, निकट है, लेकिन निकट होते हुए भी उस संपदा के अधिकार को नहीं रखना चाहिए। राइट टू प्रापर्टी का जो मूलभूत अधिकार दिया गया है उसके लिए बहुमत से निर्णय किया गया था कि इसमें कहीं न कहीं राइट टू प्रापर्टी इन्वाल्वड है। इसलिए जो कुछ कहा गया है, रूल्स के डेफीनेशन को लेकर 364 में 22 नंबर पर रूल्स की परिभाषा: Recognised by the President of India for the time being.

इसमें एक प्रश्न था, राइट आफ प्रापर्टी क्योंकि इन्वाल्वड है और वह हमारे फंडामेंटल राइट है। इसमें पहले गोलकनाथ केस हो चुका था। फंडामेंटल राइट को संसद अमेंड नहीं कर सकती है, इसलिए इसको ओ कर दिया जाय। लेकिन क्या आज हम सोच सकते हैं कि देश में एक तरफ ऐसे आदमी हों जिसकी एक कमरे में टांग हों, दूसरे कमरे में सर हो, तीसरे कमरे में हाथ हो, चौथे में धड़ हो, पांच कमरे हों, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो सड़क पर जीते हैं, मकान नहीं। क्या हम स्वीकार करेंगे कि एक तरफ तो हम सोते सोते किसी को शराब पिलाते रहें और दूसरी तरफ किसी को सुबह से शाम तक अन्न न मिले? क्या हम स्वीकार करेंगे कि एक तरफ चिथड़ों में लिपटा हुआ मानव सड़क पर पड़ा रहे और दूसरी तरफ महलों में रंगरेलियां उड़ती रहें तो वह प्यूरिटी का कान्ट्रेक्ट नहीं है। आज हालत यह है कि अभी भी गुजरात हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग में आवास मंत्री ने कहा था कि भारत वर्ष में 1.20 करोड़ ऐसे आदमी हैं जो सड़क पर जीते हैं। मैं समझता हूं, बहुत कम बताया है, वह दो करोड़ से ऊपर हैं, जो सड़क पर जीते हैं।

भारतवर्ष में आप और हम सभी जानते हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर एक ग

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

है, जिसको वार बार रिपिट करता हूं। आज की इस दुनियां में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक स्लीपिंग रूम, एक डाइनिंग रूम, एक गेस्ट रूम और काश्तकार को एक कमरा है जिसमें हर बात का उपयोग होता है। अन्हेल्दी होता है। बरसात के दिनों में उसके चौक पर, आंगन पर हजारों लाखों मच्छर भूं–भूं करते रहते हैं। मेरे अनुमान से यदि भारतवर्ष की यह हालत रही, संविधान का जिस तरह से रूप है, तो 65 पंचवर्षीय योजनायें होंगी, मान लीजिए भारतवर्ष की आबादी 55 करोड़ है और राजस्थान की आबादी 2 करोड़ है तो सारे लोगों को मकान देने की व्यवस्था में 65 पंचवर्षीय योजनायें लग जायेंगी। याने 300 वर्ष। आदमी के क्षेत्र में अन्तर आया है, मुझे याद है बचपन में एक बात होती थी। जहां हम रहते थे वहां मेरा घर भी था, शाम को किताबों और बच्चों के साथ दुनियां खतम हो जाती थी। आज दुनियां इतनी बड़ी हो गई है कि ब्रह्मांड में जा रहे हैं तो क्या राजस्थान का नागरिक वरदाश्त करेगा ? हम आज 25 वर्ष से इन्तजार कर रहे हैं गरीबी को मिटाने का। इस मध्यावधि चुनाव के बाद अगर राजस्थान में, भारतवर्ष में और हमारे देश में और इस राज्य में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे लोगों की गरीबी दूर हो तो आने वाले 5 वर्ष हमारे लिए, राजस्थान की जनता के लिए चुनौती के वर्ष होंगे। गरीब इंतजार करने वाला नहीं है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि किसी देश को फना होते हुए देखें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राइट टू प्रापर्टी जो बहुत निकट है, जिनका प्रस्ताव है, वह साम्यवाद में विश्वास करने वाले हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रोपर्टी नहीं है। संस्कृति का उपयोग हमेशा ज्यादा हुआ है। इससे अधिक और क्या कर सकते थे। मेरे पड़ोसी ने मकान बना लिया। उसको गांव वाले देखने आते हैं। परिवार में पत्नी और 2) बंगले रहने के लिये और क्या ठाठ। वह ठाठ और वैभव के साथ चला जा रहा है। मैं उनको दोष नहीं देता हूं आपत्ति भी नहीं करता हूं। हमारी जमी जमाई आस्थायें थीं। वे आस्थायें ये भूली भटकी हमारी जनता के मन में कहीं न कहीं जम गयी। प्रभू की कृपा है, राज्य उसको मिला है, वैभव मिला है, पहिनने को खूब कपड़े हैं, रहने के लिये खूब मकानात और महल हैं, खाने को रोटी मिली है और एक तरफ दुर्भाग्य है कि सुबह और शाम सड़कों पर पड़े रहने वालों को न खाने को रोटी और न ही पहिनने को कपड़ा, न रहने को मकान। जीता है तो वहीं, मरता है तो वहीं। किसी को न उसकी रोटी और कपड़े की चिन्ता। मैं बम्बई गया तो मैंने बड़ी दुर्गति देखी। सब पार्टीज के नारों के पोस्टर लगे हुए थे। उनमें सब में था कि समाजवाद के लिए कांग्रेस को वोट दो, समाजवाद के लिये फर्नान्डिस को वोट दो। आपके बच्चों को खाने को मिलेगा, दूध मिलेगा और आप ऐसे कमरों में रहेंगे जहां पर टेलीफोन होगा और पंखे होंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : 15 मिनिट का आपका समय है । दो मिनिट और ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दो मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा ।

जब मैं घूमने जा रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस का कर्मचारी आया । लोग उठ उठ कर भागने लगे । एक व्यक्ति वहां से उठा नहीं । एक ने कपडा ओढ़ा हुआ था । वह व्यक्ति मरा हुआ था । वहां मैंने देखा कि समाजवाद के नारे फीके पड़ रहे थे पुलिस वाले ने पूछा यह कौन है और कपड़ा हटा कर देखा तो वह व्यक्ति मरा हुआ था । प्रोपर्टी को पहले समाप्त करिये और इतनी बड़ी डिस्पेरिटी है कि एक को खाने को नहीं है और दूसरी तरफ खाने को अपार है । प्रिवीप्रर्स खत्म करिये और गरीबी को मिटाइये ...

श्री दौलतराम सारण : कांग्रेस तो यह नहीं मानती ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं मानता हूं ।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र व्यास ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : सभापति महोदय, प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त करने के विषय में चर्चा चल रही है और उस विषय में सर्व प्रथम मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल कठिनाइयां रास्ते में आती हैं–फन्डामेन्टल राइट्स और प्रोपर्टी । जहां तक इन टेक्निकल डिफिकल्टीज का सवाल है, जब तक जो कानून एक्स्प्लोयटेशन के आधार पर बनाये गये है, उनका ओवर आल रिवीजन नहीं होगा तब तक ये दिक्कतें, चाहे प्रिवीपर्स के मामले मे समाजवादी कदम उठायेगी और दूसरे मामलों में समाजवादी कदम सरकार उठायेगी तो वे आने वाली है । इस प्रकार का कानून बनाने पर एक्सप्लोइटेशन को डिनाई करेंगे ।

सभापति महोदय, एक बड़े मुद्दे को लेकर चुनाव हुए कि हमें किस प्रकार की व्यवस्था अपनानी है । जनता ने यह फैसला दिया कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था कायम रखनी चाहिये । उस जनता के फैसले को मान कर सरकार यह चाहती है कि आवश्यक संशोधन संविधान में करें, प्रिवीपर्स की बात को लेकर, सब बातों को लेकर गरीब अमीर के भेद को मिटाने के लिये सही रूप में समाजवाद लाये । राजा महाराजा और नवाबों को प्रिवीपर्स आदि के जो ये घोटाले हुए हैं वे बहुत ज्यादा तादाद में हुए हैं और मैं ऐसा मान कर नहीं चलता हूं कि इनके प्रिवीपर्स खत्म कर देने से और प्रिविलेजेज खत्म कर देने से एकदम समाजवाद आ जावेगा और हमारे देश की इकोनोमी ही दूसरी हो जावेगी, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों से हमें यह देखना होगा कि देश में जो परिस्थिति है, बिना काम किये हुए राजा महाराजा जनता के पैसे से मौज करते है, इससे गरीब आदमी के अन्दर हार्ट बर्निंग पैदा होती है । सभापति महोदय, प्रिवीपर्सेज से ज्यादा प्रिविलेजेज हैं जिनके ये घोटाले थे । जयपुर में ही नहीं सब जगह इम्पोर्ट करने की सुविधा है, लिकर आदि की सुविधा । राजा महाराजा इंग्लैंड घूमने जायं तो कोई पाबन्दी नहीं । उन पर कुछ भी करें मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है । सभापति महोदय, इम्पोर्टेन्ट और हिस्टोरिकल आर्टिकल्स उनके पजेशन

Page No 83

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

में हैं जो कि उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है लेकिन वह राष्ट्र की है और राष्ट्र की सम्पत्ति को इन्होंने अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति बना ली जो कि उस समय स्टेट की थी। वे उनको बाहर ले जाकर बेचते हैं। यह भी विशेषाधिकार की वजह से है। राजा महाराजा बाहर अपनी सम्पत्ति को लेजाकर इन्वेस्ट करते हैं। यह स्थिति इतनी असहनीय है कि जो बर्दाश्त के बाहर है। इनकी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हिन्दुस्तान के बाहर रहती है। अमेरिका और ब्रिटेन में एक दूसरी तरह का राजनीतिक आधार है। हिन्दुस्तान में उनकी पोलिटिक्स को ये लोग फैलाते हैं और बिना जनता की इच्छा के पैसे के बल पर फौरिन कंट्रीज की विचारधारा पर देश को ले जाते हैं। यह विशेषाधिकार के कारण है। बड़े बड़े होटल्स चलाये, बिजनेस करें हमें एतराज नहीं। बिजनेस का कर माफ और गाड़ियों पर टैक्स माफ। प्रिविपर्स उनको अनाप शनाप मिलते है जिसको उन्होंने अपनी प्रोपर्टी मान लिया है। ये जो कुछ बातें हैं। चुनाव परिणाम के बाद जैसा अखबारों में पढ़ने को मिला कि राजा महाराजा प्रिवीपर्सेज और विशेषाधिकारों को छोड़ने की बात करते हैं। सभापति महोदय, यह उनका भ्रामक सजेशन है। ऐसा करने वाले नहीं है। राजा महाराजा कांग्रेस में बैठ कर चुनाव लड़ते हैं तो लाल झंडी लगाते हैं। जब कांग्रेस में बैठ कर राजा महाराजा अपने विशेषाधिकार और प्रिवीपर्स छोड़ने को तैयार नहीं है तो विरोधी दल इण्डिया लेवल पर छोड़े, यह सम्भव नहीं है। एक सवाल पैदा होता है कि इसके एवज में इन लोगों को सबसिस्टेंस अलाउन्स या मुआवजे के लिए भारी रकम देनी चाहिए क्योंकि वर्षों के बाद अगर उनको एकदम देना बन्द कर दिया तो वे उखड़ जावेंगे। क्या करेंगे, कुछ बहुत गरीब भी हैं, कुछ बहुत बड़े भी हैं तो इस हिसाब से प्रोग्राम बनाने की बात भी कही जाती है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

(2.30 म. प.)

ये कोई कम्पेनसेशन के लायक नहीं है। 25 वर्षों तक काफी रकम हम इनको दे चुके। जब तक हम इनको देते रहेंगे यह मेहनत करना नहीं सीखेंगे। हमने सोचा था कि इन 25 वर्षों में ये मेहनत करना सीख जायेंगे पर इस अवसर का उन्होंने लाभ नहीं उठाया। तो, सभानेत्री जी, मैं उनको कोई भी मुआवजा दिये जाने का कड़ा विरोध करता हूं और मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि उनको किसी भी प्रकार का मुआवजा चाहे सबसिस्टेंस या रीहेबिलीटेशन या और किसी नाम से हो एक छदाम भी नहीं देना चाहिये। सभानेत्री जी, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इससे देश की इकोनोमी बनने विगड़ने वाली नहीं यह सही है। पर एक कदम जब उठाना है तो उठाना ही है। आज राजा महाराजाओं को प्रिवीपर्स देना खत्म करते हैं और उनके विशेषाधिकारों को खत्म करके साधारण लोगों की स्थिति में लाते हैं तो इसका असर समाज के अन्य धनिक वर्गों पर भी पड़ने वाला है। बड़े बड़े उद्योगपति जमीदार-जागीरदार का भी नम्बर आने के बाद ही

Page No 84

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
निश्चित रूप से समाजवाद इस देश में पनपेगा।

प्रेक्टिकल डिफिकल्टी के बारे में जिक्र किया गया। मैं निवेदन कर दूं ये तभी तक हैं जब तक हम इस दिशा में बढ़ते नहीं हैं। एक समय था जब इन लोगों ने बेगार को जायज मान रखा था। वह भी समय के साथ समाप्त हुई जो 25 वर्ष पहले सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल गिनी जाती थी।

समाजवाद को तेजी से लाना है। लोकतन्त्र के नाम पर किसी प्रकार का शोषण चलने वाला नहीं है। इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन भी अगर करना पड़ेगा तो करेंगे। फन्डामेंटल राइट्स के चेप्टर में आवश्यक संशोधन करने के लिये शीघ्र-अति शीघ्र भारत सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे यह मेरा निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदय....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनको प्रिवीपर्स बचाने के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ी।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मेरे पास प्रिवीपर्स नहीं। एम. एल. ए. के नाते जो प्रिविलेज है वे भी छोड़ने को तैयार हूं। आज ऐसी बात करते है जो हमारे बूते के बाहर है अमेरिकन चान्द पर जा रहे हैं। पर हिन्दुस्तान के लोग ये नहीं समझ पाते कि हम भी वहां पहुंचने का प्रयत्न करें। किन्तु उनको एक ईर्ष्या पैदा होती है कि वे चांद पर कैसे पहुंच गये तो आप बात करते है प्रिविलेज की पर आप को पता नहीं, उसके ग्राउन्ड का पता नहीं।

रियासतें बा हिसाब ऐसे नहीं आई थी। उन्होंने अपने सिर कटाये थे, आप की तरह पुलिस के रौब से और तिकड़मबाजियों से और भ्रष्ट तरीकों से कुर्सियों पर नहीं आये थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सिर भी जनता ने कटाये थे। राजा महाराजा ने तो ऐश किया था।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : घर वालों के नहीं कटाये, दूसरों के कटाये लुटेरे बन कर आगये और राज ले लिया।

श्री विजयसिंह : राजा महाराजाओं ने, उनके परिवारजनों ने और सगे सम्बन्धियों ने भी कटाये हैं, अपने देश और राज्य की रक्षा के लिये कटाये हैं जनता की रक्षा के लिये कटाये हैं।

श्री दौलतराम सारण : गोकुलप्रसादजी तो राजा महाराजाओं की मंगल कामना के लिये जाप किया करते थे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : राजा महाराजा ने अकेले नहीं कटाया, देश की आजादी के लिये नहीं लड़े हैं वे तो लुटेरे डाकूपन करके जागीरें लूट कर जगह जगह बैठ गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : सत्यमब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं गोकुल प्रसाद जी से जानना चाहता हूं कि राजा महाराजाओं और नवाबों जागीरदारों ने लूटपाट

(श्री दिग्विजय सिंह)

कर जागीरें ली या राज्य जमाये तो और जब उनके राज और जागीरें आज की सरकार ने 25 वर्ष पहले उनसे लीं तो वह भी सरकार आपकी ही थी। आपने राजा महाराजाओं से फिर इस तरह के इकरारनामे क्यों किये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये राजनैतिक अंशदान थे।

श्री दिग्विजय सिंह : आपका तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था।

श्री विजय सिंह : इस देश के विकास के लिये उन्होंने त्याग किया नहीं तो उनके पास पूंजी भी थी, हर तरह के साधन थे, वे भी लड़ सकते थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसा किया था उसका परिणाम आप भी जानते हैं।

श्री विजय सिंह : आप एक स्टेट का मालिक बना कर देखलो फिर मुझ से लड़ने आ जाओ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि देश हित की दृष्टि से उन्होंने त्याग किया था। राजा महाराजा आज भी गांवों में जाते हैं किसी के घर जाते हैं तो दस बीस रुपया दे कर आते हैं और ये कांग्रेस के एम. एल. ए. मिनिस्टर गांव के एक गरीब से गरीब किसान को भी नहीं छोड़ते उससे भी पांच दस रुपया ऐंठ कर ले आते हैं।

उन्होंने किले बनाये, वे किले केवल इसलिये नहीं कि वे ही रहें। उनमें जनता की रक्षा होती थी। जब कि पिछले 20-25 सालों में इन भाई लोगों ने भ्रष्टाचार करके जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को सरकारी पैसे को भ्रष्ट तरीकों से लूटकर अपने बड़े बड़े बंगले खड़े कर लिये। मैं सुरेन्द्रजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत हो तो मेरे बाप दादों की हजार वर्षों की कमाई से जो मकान बने हैं उनको वे अपने पिताजी के बंगले से ही अदल बदल करदें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप के बाप दादों ने राज्य किया नहीं। ठाकुर हैं, आप राजा नहीं।

श्री विजयसिंह : फिर भी हम आप की तरह चमचे नहीं थे। फिर भी, सभापति महोदय कोई चिन्ता नहीं आप प्रिवीपर्स ले लें विशेषाधिकार ले लें, यह मामूली बात नहीं है। और आप खुद क्या करते हैं। आप क्या संधि करते हैं। जो प्रिवीपर्स के लिये संधि की है उसको भी मान्यता देने के लिये तैयार नहीं है। यह जनता के हित में होगा, इसलिये होगा तो यह होना चाहिये, क्योंकि यह जनता के हित में है इसलिये आप प्रिवीपर्स को बंद करेंगे। किसी के पास मोटर है तो वह मोटर में जाता है। मेरे पास में साइकिल है तो साइकिल से चलता हूं। मेरे को भी मोटर मिलना चाहिये यह कोई बात नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां होती हैं उनको मानना चाहिये। कोई पैसा कमा लेता है और कोई पैसा नहीं कमाता है, भूखा रहता है। तो यह "सब इन्सान पर निर्भर करता है। वह कितना

(श्री विजय सिंह)
प्रगतिशील होगा और कितना कार्यकुशल है। कई राजा महाराजा हुए हैं और आज कुछ भी नहीं है। ये ही ब्राह्मण उनको देवता का अवतार मानते थे। गिरधारीलाल जी व्यास ब्राह्मण हैं, तो तपस्वी हैं इसलिये इस घर में जन्म लिया है। आप ही लोग तो ऐसी बातें हमें बताया करते थे...

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : मैं चीफ व्हीप साहब से निवेदन करूंगी कि वे आपकी नींद को जगावें। मैं चाहती हूं कि राज्य मंत्री महोदय को नींद जोर से आ रही है उनको जगावें।

श्रीमती सुमित्रा : नींद में ही जाग रहे हैं। आपको गलतफहमी हो रही है।

श्री विजयसिंह : उनको मेरी बातों में आनन्द आ रहा है। इसलिये वे अब मुस्करा भी रहे हैं। कोई बात नहीं।

तो मैं यह निवेदन करूंगा, सभापति महोदया, कि इस प्रकार की बातें करना व्यर्थ है। आज आप अगर किसी बात का ख्याल नहीं करते हैं तो कल जो अवार्ड दिया जाता है उसको भी खारिज कर देंगे। एक जमाने में बहादुरी बताई थी किन्तु आज तो वह निकम्मा है। घर पर बैठ कर खाता है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर जिसने वास्तव में जनता के लिये काम किया है, बहादुरी दिखाई है उसका तो अवार्ड रहेगा लेकिन जिसने जनता के लिये कुछ भी काम नहीं किया है, जनता को दबा ने की हमेशा कोशिश की है वह तो छीनने वाला है यह नहीं छीनेंगे तो कोई दूसरा छीनेगा।

श्री विजयसिंह : यह तो मुझे मालूम है। अलवर के राजा की जमीन छीनने गये थे तो उनके कुत्ते से जान छुड़ाकर आप भाग आये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुत्ते से नहीं डरता हूं।

श्री विजयसिंह : राजा महाराजाओं से आप क्या मुकाबला कर सकते हैं। उनके कुत्ते भी आपसे डरने वाले नहीं हैं जिस प्रकार कि हमारे माननीय सदस्य...

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजाओं ने अपने जगह जगह पर कुत्ते खड़े कर रखे हैं।

श्री विजयसिंह : मै निवेदन करना चाहता हूं कि कल को आपने किसी मिलीटरी परसोनल को अवार्ड की घोषणा की। एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, मैं आपको निहायत दुःख के साथ यह बताना चाहता हूं कि चीन की लड़ाई का हीरा मेजर शैतानसिंह के बारे में आपका अनाउन्समेंट हुआ। वह अधिक प्रचारित भी किया गया। उनके छोटे भाई को आप नौकरी देंगे। उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ यह दुःख के साथ कहना पड़ता है। हजारों रुपये खर्च करवा दिये किन्तु आज तक उनकी नौकरी का पता नहीं है। जो व्यक्ति एम. ए. पास है। किसी व्यक्ति को पहले आप यह कहे कि हम आपको नौकरी देंगे। पहले कहते

(श्री विजय सिंह)

एक हजार की नौकरी देंगे । दूसरी बार कहते हैं पांच सौ की नौकरी है । और ऐसे करते करते आप दो सौ की नौकरी देने की बात पर आ जाते हैं । आपने ऐसा व्यवहार चीन के साथ हुई लड़ाई में बहादुरी दिखाने वाले मेजर शैतानसिंह के भाई के साथ किया है नौकरी दिलाने के बारे में और उसको आपने वायदा किया था । तब आपकी जुबान के अन्दर क्या सच्चाई है ? क्या उसको कोई मान सकता है ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : राजाओं के प्रिवीपर्स से मेजर शैतानसिंह का क्या सम्बन्ध है ? हम उनका आदर करते हैं।

श्री विजय सिंह : आदर तो करना पड़ेगा, सारा हिन्दुस्तान करता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : राजा हिन्दुस्तान नहीं है । हिन्दुस्तान में सब तरह के लोग हैं । राजपूत होने से ही आप राजा नहीं हो ।

श्री विजय सिंह : तो आपको चाहिए कि आप किसी भी राजा महाराजा को अपनी पार्टी में नहीं रखें । आप तो उनकी चम्पी करते हो । नवाब लुहारू साहब आपकी पार्टी में है । भैंसवाड़ा साहब हैं। आप उनकी चम्पी करते हैं । आप लोग राजाओं की गुलामी करते हैं । यह तो आपकी रीति नीति है और इस प्रकार की बातें करते हैं । यह कौनसी व्यवस्था है । कल को यह कहेंगे, यह जो सौ रुपया का नोट है और उस पर यह लिखा है आई प्रामीज टू पे रूपीज वन हन्ड्रेड, तो इसका मतलब है कि उससे भी इन्कार कर दोगे। तो यह क्या है । आज रेजगारी नहीं मिल रही है । क्या आप सोच नहीं सकते कि रेजगारी नहीं मिलने से, इसकी वजह से लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । यहां आप कहते हैं कि प्रिवीपर्स खत्म हो, उनकी प्रिविलेज समाप्त हो । यह तो छोटी बातें हैं और ऐसी बातें आप ही करते हैं। जो वास्तव में आज समस्या है और जिससे जनता पीड़ित है, उन समस्याओं को सुलझाने की आप कोशिश नहीं करते हैं। मैं आपको चेलेंज के साथ कहता हूं, एक दिन के लिए आप राजाओं को सरकार सौंप दें और हट जायें, फिर देखिये रेजगारी बाजार में कैसे नहीं आती है । कहां जाती है रेजगारी ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन लोगों ने जितना त्याग किया है उस त्याग को देख कर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उस महान व्यक्ति ने राजाओं के साथ यह समझौता किया था...

श्री सुरेन्द्र व्यास : थोड़ा सा त्याग कर दो । त्यागी व्यक्ति के लिये क्या है ?

श्री विजयसिंह : वे तो त्यागी हैं, आप गरीब हो जाइये । आप गरीब होंगे तो सौ, पचास आपको भी मिल जायेगा ।

श्री मदनसिंह : पात्र, कुपात्र देखा जाता है ।

श्री विजयसिंह : आपको जलन है कि ये क्यों मैदान में आते हैं । इस वजह से आप जलते हैं क्योंकि जब वे मैदान में आते हैं तो जनता उनके पीछे हो जाती है...

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको कम्पेनशसेन कितना मिलेगा ?

श्री विजयसिंह : उदयपुर के महाराणा निकले और जनता उनके साथ हो गयी और आप लोगों को मात खानी पड़ी.....

श्री गिरधारीलाल व्यास : जहां हम थे वहां महाराणा साहब गायब हो गये।

श्री विजयसिंह : आप भी गायब हो जाओगे, यह किसी को पता नहीं है। आपको जलन है कि उनका इतना प्रभाव क्यों है। उनका प्रभाव खत्म हो इस लिये आप प्रिविलेज और प्रिवीपर्स खत्म कराना चाहते हो। उनके मोटर पर जो लाल रंग की प्लेट है उससे जनता को यह मालूम हो जाता है कि राजा साहब निकले हैं। वरना क्या होता है जब निकलते हैं तो। मैं आपको एक बात बताऊं। पिछले साल की बात है और गोकुलप्रसाद जी शर्मा को मालूम है। अकाल पड़ा था बीकानेर में और इन्दिराजी, आई थी। करनीसिंह जो एम.पी. ने भी अपनी निजी कार में उनके साथ टूर किया और जिधर से भी निकले जनता ने उनका जय जयकार किया घणी खमा घणी खमा अन्नदाता...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कहां दौरा किया ? वे इन्दिराजी के साथ नहीं थे। शिकार खेलने चले गये थे विदेश में जब बीकानेर में अकाल पड़ रहा था...

श्री विजयसिंह : शिकार खेलना भी छोटा मोटा काम नहीं है...

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : चिड़िया मारने गये थे...

श्री विजयसिंह : चिडिया तो आप लोग मारो...

श्री दौलतराम सारण : वह चिड़िया जिन्दी नहीं थी। मिट्टी की चिडिया थी...

श्री विजयसिंह : वैसे चिड़िया मार कर दुनियां के अन्दर नाम किया है...

श्री गिरधारीलाल व्यास : आज राजा चिड़िया नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे ?

श्री विजयसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब वे निकले तो जनता ने उनका जगह जगह अभिनन्दन किया। घणी खमा अन्नदाता पधारो बोलने लगे इन्दिराजी को यह देख कर जलन हुई। मैं यहां फिर रही हूं और मेरी कोई परवाह भी नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको गलतफहमी हो रही हैं। इन्दिराजी का जो दौरा हुआ था उसमें करनीसिंह जी साथ नहीं थे और न उनका अभिनन्दन हुआ था। यह सब गलत है जो आप यहां कह रहे हैं। गलत रिपोर्ट न दीजिये।

श्री विजयसिंह : आपको गलतफहमी हो रही है। आप अपनी जिम्मेदारी निभायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दौलतराम जी की वजह से आ गये वरना साफ हो गये होते।

एक माननीय सदस्य : धांग्ध्रा के महाराजा से आपका सहयोग है ?

श्री विजयसिंह : दौलतरामजी हमारे सहयोगी हैं और रहेंगे। और धांग्ध्रा के महा॰

(श्री विजय सिंह)

राजा भी हमारे सहयोगी हैं। दौलतरामजी ने तो मिनिस्ट्री के ठोकर मारी है एक उसूल के लिये इन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है···

श्री गिरधारीलाल व्यास : अब आप दौलतरामजी की तारीफ करने लग गये···

श्री दौलतराम सारण : मैं किसी राजा की खुशामद नहीं करता और न किसी का समर्थन ही करता हूं। आप बीच में क्यों दौलतराम को घसीट रहे हैं। दौलतराम के क्या विचार हैं जब वह बोलेगा सुन लेना।

श्री गिरधारीलाल व्यास: हमने तो यह कहा कि दौलतरामजी के गुण गाओ तो ठीक रहेगा।

श्री विजय सिंह : माननीय मंत्री महोदय 20 हजार की कारों में फिरते फिरें··

(एक माननीय सदस्य के द्वारा व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

हमारे माननीय दौलतरामजी और बद्रीप्रसादजी तो मिनिस्टर रह चुके हैं। सादा जीवन और उच्च विचार रखते हैं। इसीलिये उन्होंने त्याग किया है परन्तु आप में त्याग करने की भावना नहीं हैं। आपको तो कुर्सी से चिपकने का मोह है। मैं क्या बताऊं हमारे डागा साहब यहां विराजमान नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं माननीय सुरेन्द्रजी व्यास भी हमारे साथ थे-कश्मीर में। वे बार बार यह कहते थे। एक बात कहनी है मुझको···

"बेटी बढ़ गई बाप से वाह री इन्दिरा वाह री इन्दिरा।" काफी दिन हो गये यह बात कही थी। मैंने कहा डागा साहब मैं भी तुकबन्दी करता हूं मेरे से सुन लीजिये। मैंने उनको निवेदन किया। एक बात कहनी है मुझको आपसे खुल्लमखुल्ला, आप तो चुपके चुपके कहते हैं और मैं खुल्लमखुल्ला कहता हूँ–

× × ×

श्री दौलतराम सारण : क्या, समझ नहीं सके।

श्री विजयसिंह : मैंने यह कहा एक बात कहनी है मुझको खुल्लमखुल्ला आप से

× × ×

(माननीय गोकुलप्रसादजी के व्यवधान करने पर)

आपका दिमाग खराब है फिर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय डागाजी के साथ साथ का उदाहरण क्यों दे रहे हैं जो माननीय सदस्य सदन में अनुपस्थित हैं। अभी आपने यह भी कहा कि सुरेन्द्र व्यास भी मौजूद थे। मैंने कभी डागाजी की बात नहीं सुनी। आप असत्य बोल रहे हैं···

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : आप फिर पूरी सुनिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप तो अपनी असलियत पर आ गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डागाजी की जो बात कही है वह झूठी है ···(अश्रव्य)

श्री शंकर लाल : व्यवस्था का प्रश्न है।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री विजय सिंह : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है··· (अश्रव्य)··20 कोठी और तीस बंगले हो गये ।

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

(2.53 म. प.)

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय श्री विजय सिंहजी जो भाषण दे रहे हैं इस बीच के अन्दर हमारे भारत के प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में कुछ शब्द कविता के रूप में कहे । मैं समझता हूं वह शोभाजनक नहीं है ।

श्री विजय सिंह : 20 कोठी और 30 बंगले वाली बात क्या सही नहीं है ?

श्री शंकर लाल : यह बात तो बाद में कही है । जहां तक हमारे सामने विचारणीय प्रश्न है और जो वाद-विवाद चल रहा है वह राजाओं के प्रिवीपर्स से सम्बन्धित चल रहा है—भारत की प्रधान मंत्री से नहीं है । व्यक्तिगत बातें कहना शोभा जनक नहीं है । वे शब्द वापिस लेने चाहिये या ये शब्द प्रोसीडिंग्ज से निकालने चाहिये ।

श्री विजय सिंह : मैंने यह नहीं कहा है, आपको गलत फहमी हो गई है । इसका मतलब यह है कि वास्तविकता क्या है । वह तो वास्तविकता की बात थी । यह गलतफहमी में ले रहे हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, वह प्रोसीडिंग उठा कर देख लें । यह अपमानजनक शब्द है । इसके बारे में···

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

जिस कन्टेक्स्ट में जो बातें कहीं हैं प्रोसीडिंग उठा कर देखें ।

श्री विजय सिंह : आपको तो इतना ही बर्दाश्त नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप वापिस लीजिये अपने शब्द ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आर्डर । माननीय सदस्य ने जो कुछ भी दोहा वगैरह कहा है और जिस ध्वनि से कहा है, जिस व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कहा है वह अनुचित है, बिलकुल अनुचित है···

(व्यवधान, अश्रव्य)

उससे जो ध्वनि निकलती है-अर्थ से और अनर्थ अर्थ के अतिरिक्त जो ध्वनि निकलती है वह उपयुक्त नहीं है । माननीय सदस्य उचित नहीं है, अशोभनीय है । मैं उसको एक्सपंज करता हूं ।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जो भी व्यवस्था दें वह तो शिरोधार्य है लेकिन मैंने यह नहीं कहा, गलतफहमी हो गई है···

(माननीय गोकुल प्रसादजी के व्यवधान करने पर)

(श्री विजय सिंह)

सुनिये गोकुलप्रसादजी पहले। आपको वास्तव में गलतफहमी हो गई है परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं एक तरफ जो कांग्रेस के एम.एल.ए. कहते हैं मिनिस्ट्री बढ़ावो और जो हमारी प्रधान मन्त्री दूर करती है उसमें एक लाख 10 हजार का खर्चा बताते हैं उसको क्या आप वाजिब मानते हैं ? परन्तु प्रिवीपर्स जो त्याग की बात है वह न्यायोचित है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : समय बदल गया। कौनसे त्याग की बात है ? प्रिवीपर्स कौन से त्याग से मिला है, प्रिवीपर्स को त्याग की बात कहते हैं।

(माननीय श्री विजयसिंहजी के साथ साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

सिर काट कर कोई प्रिवीपर्स लिया है। ऐश आराम में रह कर अंग्रेजों की गुलामी करके करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति अर्जित करके आज प्रिवीपर्स की बात करते हैं और त्याग की भावना बताते हैं।

श्री विजयसिंह : राजा महाराजा ने गुलामी की कोई बात नहीं की लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप पिये हुये हों।

श्री गिरधारीलाल : ऐसा लगता है कि जैसे दारू पिये हुये हों।

श्री विजयसिंह : हमारे बाप दादा तो दारू पीते थे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारे बाप दादा भी भांग पीते थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भांग तो बाप दादा पीते थे और असर बेटों में आ रहा है, अध्यक्ष महोदय यह कैसे ?

श्री अध्यक्ष : वह तो बीमारी है, चलती रहती है।

श्री दौलतराम सारण : यह और दारू पिये हुए लोगों के बीच में हमारा क्या होगा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : यह तो बाप दादों से सम्बन्धित है। माननीय सदस्यों से नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : .... (अश्रव्य) ...तूफान... समझते .... हुये... शराब की प्याली और भंग...

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसा लगता है, दोनों माननीय सदस्य नहीं हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : और तीसरा नम्बर आपका भी है।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सबसे पहले हमारे कांग्रेस के एम.एल. एज. का कहना है त्याग करके नहीं लिया है तो दूसरों को कहते हैं पहले आप खुद तो··

श्री गिरधारी लाल : यह नसीहत आपकी नहीं है ···

श्री विजयसिंह : आप भी लीजिए। एम. एल. एज. की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। 500 रुपया मिलता है तो आप भी 500 रु. लीजिये

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। बहुत कुछ हो चुका है।

श्री विजयसिंह : बात उसूल की है। बात की बात पर है, इतना दर्द हो रहा है इतनी तड़फन हो रही है। मंत्रियों के लिये यहां विधान सभा में सवाल आये 35-35, 37-37 हजार रुपयों के ट्रंक काल के बिल आये वे वाजिब हैं ? वह हो सकता है और मंत्रियों की गाड़ियों पर लाखों रुपये आ जायं। मिनिस्टरों की मोटर कारें कहां कहां जा रही हैं। इधर से उधर फर फर दौड़ती रहती हैं। मंत्रियों की कार में बैठकर बीबी जी कहां जा रही हैं ? बीबी जी कार में पाउडर लेने जा रही है। कभी कार में बैठ कर बाप दादा घूमने के लिए जा रहे हैं। कहीं बाप दादा की राख जा रही है। जयपुर में हर मिनिस्टर के बंगले पर स्टेट गैराज की कार मिलेगी। उनके लिये क्यों नहीं कटौती लाना चाहते हैं। क्यों नहीं उस खर्चे में कटौती करते हो। हो सकता है आपका यह आखिरी बजट सेशन हो। मेम्बर्स अगर चाहेंगे भी तो दल बदल कर कहां जायेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या आप का सुझाव यह है ?

श्री अध्यक्ष : आप का कोई सुझाव नहीं है। आरम्भ रखें।

श्री विजयसिंह : जिन लोगों ने त्याग और बलिदान किया है, माननीय सरदार पटेल ने इस बात को स्वीकार किया है। आप अपने नेताओं की बात कितनी मानते हैं। महात्मा गांधी हिन्दुस्तान के बापू कहलाते थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। उन्होंने कहा था कि नहीं तो 20 साल के बाद वह टाइम आयेगा कि सफेद टोपी वालों को लोग चुन चुन कर मारेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बाफना साहब (श्री फूलचन्द बाफना) की तरफ इशारा करके क्यों कह रहे हैं ?

श्री विजयसिंह : इस धोली टोपी में उन टोपी वालों का असर नहीं है।

श्री शंकरलाल : (अश्रव्य)।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये तो अपनी आदत से लाचार हैं।

श्री विजयसिंह : मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप यह अनुभव करते हैं कि आप ज्यादा पॉपुलर हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए अपना मन्त्री पद छोड़ दीजिये। और ठेकेदारों से काम मत लीजिए।

श्री अध्यक्ष : फिर बोलिये भी मत और घर में बैठे रहिये।

श्री विजयसिंह : फिर आप खूब घूमिये, जब आपको पता चलेगा कि आप की पापुलरिटी क्या है ? आप चुनावों में एस. पी. और क्लेक्टर को साथ लेकर लोगों पर हावी होते हैं। किसी से कहते हैं कि तुम्हारे लड़के को नौकरी दिलवा देंगे। किसी को कोई ऐजेन्सी देकर गुमराह करते हैं। मैं आप को यह कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप ऐशो आराम करते हैं। बंगलों में रहते हैं। और अपने को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं। यहां आकर जनता से मुख मोड़ रहे हैं। यह कभी बरदाश्त नहीं होगा।

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय · · ·

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, श्री गोकुल प्रसाद जी बोलें उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों के अनुसार यह प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस डे है। इसमें जो हवाला दिया गया है रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से यह प्रस्ताव लाया गया है। मैं इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव 31 मार्च, 70 को इस हाउस में लाया गया था और इस पर डिबेट हुई थी। आज लगभग 1 वर्ष और 1 महीने के बाद यानी 13 महीने के बाद इस प्रस्ताव पर यह कहा गया है कि यह अधूरा रह गय है, इस बीच में प्राइवेट मेम्बर्स डे नहीं हुआ है। इसलिए 13 महीने के बाद एक ही संकल्प पर विचार करें। यह उचित नहीं हो सकता है। काफी डिबेट मार्च 70 में कर चुके हैं। उसके बाद भी जो और संकल्प हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह भी आज के बिजनेस में हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि नियमों के आधार पर इस संकल्प को डिस्पोज आफ कर दिया जाये और आज जो अनएम्पलायमेंट वालों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाये, वह महत्व पूर्ण है, उसे लिया जाये। बाकी इस पर मार्च, 70 में विचार किया था। उस समय भी यह डिस्प्यूट था कि भारत सरकार करेगी या नहीं। भारत सरकार ने निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट में मेटर गया। चैलेंज किया गया। भारत की जो वर्तमान हुकूमत है वह इस बात के लिए कमिटेड है। इस प्रकार का रिवोल्यूशन आयेगा। यह एक प्रकार से रिडेण्डेण्ट हो चुका है। हम कर्टेल नहीं करना चाहते हैं डिबेट को। इसलिए इसको 4 बजे तक डिस्पोज आफ कर दिया जाये। उसके बाद बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा गया है, उस सिलसिले में हम क्या नीति रखते हैं, उस पर विचार किया जाये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सतीशचन्द्र जी ने रिजोल्यूशन के बारे में बताया है। इस पर अभी तक 3–4 माननीय सदस्य, जो कि अपोजीशन के हैं, अपने विचार व्यक्त किये हैं। हमारी पार्टी की तरफ से कुछ और मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि यह मसला आज भी कायम है। हम जल्दी से जल्दी यह जो हमारे देश पर इतना बड़ा बोझ इन लोगों के कारण पड़ा हुआ है। यह एक असाधारण बोझा है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया कि आप विरोध करना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय श्री सतीशचन्द्र जी, "बिना किसी प्रकार का मुआवजा दिये" यह शब्द हैं।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उनका कहना यह है कि इस पर मेण्टली एक्सरसाइज करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेण्ट से यह स्पष्ट हो चुका है।

(श्री दिग्विजयसिंह)

अब उस जजमेंट के होने के बाद आपका बिना मुआवजा वाला प्रश्न भी इतना काम्प्लीकेटेड बन गया है, कि उस पर डिस्कशन करने के बाद भी कोई लाभ नहीं होता है। आप डिस्कशन करें, इसमें आपत्ति नहीं है। आप समय निश्चित कर दें, उसके बाद में राजस्थान में बेरोजगारी का रिजोल्यूशन है, यह तो केवल छब्बीस रजवाड़ों का प्रश्न है। लेकिन वह लाखों का प्रश्न है। वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। महज आप पब्लिसिटी के लिहाज से बोलना चाहें, और यह पब्लिसिटी करना चाहें कि राजाओं के खिलाफ बोल गये तो बात अलग है, वरना बेरोजगारी का प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : संकल्प पारित कर दें।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, बेहतर होगा, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य को कह दें, बीच–बीच में न बोलें और बाद में जो अपने विचार रखना चाहें वह रख दें। मेरा निवेदन करना है, समय अवश्य निश्चित कर दीजिये, और उसके बाद में अगला रिजोल्यूशन है उसको ले लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यदि सदन बिना बहस के भी मेरा संकल्प स्वीकार कर ले तो मुझे खुशी होगी, परन्तु जिस प्रकार माननीय सदस्य बोले, उससे यह ध्वनि निकलती है, वह मैं यह समझ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया और वह उनके फेवर में हो गया। इस लिये वह होने के बाद यह रिजोल्यूशन बेकार है। कुछ समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने डिसीजन ले लिया, और यह मामला पूर्ण रूप से कम्पलीट हो गया है। मैं समझता हूं, जो कोर्ट से जजमेंट हुआ, उसके बाद भी यह विवादास्पद प्रश्न रहा है और इसको लेकर चुनाव लड़ा गया है देश में। इसलिए आज भी यह प्रश्न देश के सामने है। मैं समझता हूं, जैसा प्रिन्सेज की तरफ से कहा कि उन्होंने गिव इन कर दिया है, तो वह बात नहीं है। गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया के सामने यह मामला मौजूद है। वह करना चाहती है, ऐसी घोषणा हुई है, चुनाव घोषणा और कम्पेन्शन की बात अभी कही जाती है कहीं नेताओं के द्वारा, तो इस सदन की राय भेजी जाय–यह जरूरी है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट आज रिप्लाई देने को तैयार हो तो आज शाम को निर्णय ले लिया जाय। मुझे खुशी होगी अगर यह जल्दी से जल्दी पास हो। वैसे बहस में जो बोलना चाहें उनको मौका मिल जाय तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की सहमति है या नहीं इस प्रश्न पर कि इसको चार बजे तक समाप्त कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चार बजे तक कैसे हो सकता है, पांच सात हम बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं इस स्थिति में नहीं हूं, माननीय सदस्यों का समय मैं सीमित कर रहा हूं बोलने का। माननीय सदस्य चाहें तो दस–दस मिनिट दे सकूं तो समय में यह प्रिवीपर्स का प्रश्न समाप्त हो सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दस मिनिट तो कम रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी ओर से प्रयत्न करूंगा, कम से कम समय सदस्य लें। उसके बाद समय रह जायगा तो दूसरा प्रश्न ले लिया जायगा। श्री गोकुलप्रसाद !

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : टाइम फिक्स आप कर दें।

श्री अध्यक्ष : अपनी तरह से करूंगा। अभी उचित नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रिवी पर्स खत्म करने की बात कई वर्षों से चल रही है। राजाओं को प्रिवीपर्स कुछ गलतफहमी की वजह से मिल रहा है। राजाओं ने कोई त्याग किया हो–ऐसी बात कोई नहीं दिखती मुझको। त्याग तो तब मनुष्य करता है जब अपनी इच्छा से दे, या स्वयं की कोई सम्पत्ति हो। राजाओं की न तो कोई स्वयं की सम्पत्ति थी, न अपनी इच्छा से दी। यदि वह अपने आप दे देते तो उठ कर चले जाते राज्य सौंप कर। देश में इसकी शुरूआत भी हुई थी, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में हुआ, वैसा सारे देश में होता तो पता चल जाता कि राजा कहां गये। उनकी बड़ी मुश्किल होती। उन्होंने समझ लिया कि देश की हवा किस तरफ जा रही है, इसमें सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि हम छोड़ कर चले जायं और कुछ गुजारे के लिए ले लें। पहले इस इलाके में, जयपुर के इलाके में गूजरों का राज्य था, मीणों का राज्य था, वह पंचायतों की तरह राज्य करते थे। कुछ लोग बाहर से आये, दूसरे प्रान्तों से और उन्होंने बड़गूजरों का जो राजा था, उस पर अधिकार कर लिया, कब्जा किया रात को शराब पिला कर, मारा काटा और कब्जा कर लिया। दौसा में भी बड़गूजरों का राज्य था, यही हालत आमेर में थी। बीकानेर मे भी इसी तरह लोगों को बुलाकर दावत दी गई और सौ डेढ़ सौ को शराब पिला कर, मांस खिला कर कह दिया कि राज्य हमारा हो गया। हर जगह यही मिलेगा। हकीकत यह है कि दूसरे प्रान्तों से आये · · ·

श्री रामचन्द्र आर्य : जिस तरह कांग्रेस ने किया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जिस तरह रामचन्द्र जी बीच में बोले। माननीय सदस्य, महवानी करके बीच में न बोलें।

तो राजाओं ने किस प्रकार से अपना राज्य जमाया और किस तरह पब्लिक में राज्य के प्रति श्रद्धा पैदा की। मैं निवेदन करूं, जयपुर में राज्य किसका था ? राज्य जयपुर महाराजा का नहीं था, यहां पर तो गोबिन्ददेवजी का था, और मानसिंह तो इन्तजाम करने वाले थे। तो इन्तजाम करने वाले मालिक हो गये और जनता को यह बताया कि राज्य गोबिन्द देवजी का है। धर्म भीरु जनता को कह दिया कि गोविन्ददेवजी का राज्य है मैं तो इन्तजाम करने के लिए बैठा हूं, आपकी तरफ से इन्तजाम करने के लिए लोग समझे, यह बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन उसके बाद, जिस तरह से याहया ने किया, एक तरफ तो चुनी हुई सरकार बनाने की बात करता रहा और उधर पश्चिमी पाकिस्तान से जाकर पठान सैनिक ले आया और लोगों को मारना शुरू कर दिया · · ·

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)
(13.15 म. प.)

तो उसी तरह यह कहा कि गोविन्ददेवजी का राज्य है, लोग यह समझे कि ठाकुर जी का राज्य है और उधर अपने लोगों को बैठाया, फौज में बैठाया और लोगों पर राज्य करना शुरू कर दिया। इसी तरह जोधपुर में राज्य किसका है, राज्य कुंजबिहारी जी का है। कुंजबिहारी जी को तो कोई मुआवजा नहीं मिला, उनके मंदिर में तो गये बैठे रहे हैं, उनका कोई पता नहीं और जोधपुर का राज्य जोधपुर नरेश अपना बताता है और सारा रुपया लेता है। यह मेरे कहने की बात नहीं है, यह स्टाम्प्स पर लिखा है। जयपुर का राज्य गोविन्ददेव जी का है। जोधपुर में स्टाम्प पर लिखा है, जोधपुर राज्य कुंजबिहारी जी का है। उदयपुर के स्टाम्प पर लिखा है, उदयपुर का राज्य एकलिंग जी का है और बीकानेर के स्टाम्प पर लिखा है, बीकानेर का राज्य लक्ष्मीनारायण जी का है। यह आपको हर स्टाम्प और खातों में मिलेगा, उस वक्त जो लेन देन करते थे उनमें मिलेगा, तो जो राज्य गोविन्द देवजी का है तो यह मानसिंह कहां से आ गया, इसलिए कि प्रिवीपर्स मैं ले लूं। बीकानेर में लक्ष्मीनारायण जी का राज्य था। तो जब राज्य देवता के नाम पर बताया है, जनता के नाम पर बताया है और वह इन्तजाम करने वाले के तौर पर बैठे थे तो उनको इतना बड़ा मुआवजा नहीं लेना चाहिए था। वैसे राज्य किसी का भी नहीं है, ठाकुर जी का भी नहीं है क्योंकि मूर्तियां तो मंदिर में रहती हैं। लेकिन इन्होंने किया यह कि अपने पायेदारों को, जागीरदारों को लाकर खडा, किया, माफीदारों को खडा किया कुछ राजपूतों को बड़ा, कुछ ब्राह्मणों को माफीदार बनाया। इस तरह सैंकड़ों हजारों एक एक रियासत में माफीदार लोग होते थे। यह माफीदार हैं, यह मालिक हैं। लेकिन जब पायेदारों की जागीर गई तब वह राजा कुछ नहीं बोले। आज मकराना से आये हुए माननीय सदस्य बड़े जोर से बोले प्रिवीपर्स के बारे में, लेकिन जागीर उन्मूलन के वक्त कोई राजा नही बोला। उस वक्त आपके पिता थे, वह जागीरदार थे, तो जिस वक्त जागीरें खत्म हुईं तो जागीरदारों ने अपनी रोटी रोजी के लिए संघर्ष किया. लेकिन राजस्थान में किसी राजा ने उनके पक्ष में कोई बात नहीं कहीं। उन्होंने सोचा हम बोलेंगे तो हमारी रोटी खत्म हो जायेगी। तो उस वक्त कोई राजा नहीं बोला। वह क्यों नहीं बोले, क्योंकि राजा कोई जागीरदारों की चिलम नहीं भरते थे, जी हुजूरी नहीं करते थे। जो हुजूरी करते थे जागीरदार, वह आज भी चिलम भरते हैं। मकराना से आये माननीय सदस्य गुलामी नहीं करते हैं लेकिन बड़े बड़े जागीरदार चिलम भरते थे, आज भी भरते हैं। दूसरे भी जागीरदार हैं, ब्राह्मणों की माफियां हैं, बनियों की माफियां हैं। उनका अगर स्वर्गवास हो गया तो उनकी माफी को पांच टुकड़े हो गये। लेकिन राजा की मृत्यु हुई तो बड़ा लड़का राजा हो गया और छोटा जागीरदार हो गये। उनके आदमी खेती में बैठे हैं। वह शोषण वहां भी करते थे। हालत यह थी कि जागीरदारों ने तय कर लिया था कि गांव में

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लड़के खुद खेती नहीं करेंगे, और जो लोग छोटे थे वे उनकी काश्त करते थे। हाली से यह अनाज पैदा कराते थे। जो लोग भूमिहीन थे, उनको नौकरी करनी है तो उनके खेत में नौकरी करें। इस प्रकार हद से ज्यादा शोषण किया है। जागीरदार जो थे उनकी यह हालत थी कि पांच घोड़े की जागीर हो, तो वह नौकरी करने के लिये बुला लिया जाता था और पहरे पर खड़ा कर दिया जाता था। अब कहां महलों पर पहरा है? पहले जो छः महीने तक पहरा देना पड़ता था, वह तकलीफ भी आज खत्म होगई। वे भी आज आजाद हैं। न उनको अब पहरा देना पड़ता है और न उतना खर्च होता है कि दरबार में जाकर मुजरा करना पड़े। अभी दशहरे पर यहां आ जाते हैं तो पांच साल और आ जायेंगे ये जो राजा हैं, इन्होंने हमेशा खुशामद की है, जब मुगल सल्तनत थी, तो राजाओं ने मुगलों की खुशामद की। आज यह किताबों में वह पढ़ाया जाता है और रिकार्ड के अन्दर भी वह लिखा हुआ है। उसके बाद में अंग्रेज आये तो उनकी खुशामद करना शुरू कर दिया। यह कौनसी आजादी के लिए लड़ाई लड़ने गये, कौनसा देश की भलाई के लिये राज्य में काम किया? कुछ नहीं किया। राजाओं ने एक ही काम किया, कि आराम से कैसे रहें। चाहे मुगल आ गये तो उनके साथ हो गए, शेरशाह आ गये तो उनके साथ भी हो गए। बाबर के साथ शेरशाह का साथ दिया, फिर अकबर आया उसका साथ दिया। जाते जाते मुगल कमजोर हो गए तो अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज गए तो आपके साथ हो गये। अंग्रेज गए तो जनता के साथ हो गए। जनता के ऊपर आपने अपनी ताकत का सिक्का जमाये रखना चाहा, हम चाहे कितने जुल्म करें, हमको कुछ न कहें। जनता का राज है, एक वोट के हकदार हैं, आप क्या चाहते हैं? हम कितना ही पानी ले लें, पानी का पैसा नहीं लगना चाहिये। गरीब मजदूर अगर तीन रुपया बिल समय पर नहीं दे तो भीखा भाई का विभाग उनसे 3।) लेगा। यह तीन लाख गैलन पानी लें तो बिल नहीं आयगा। बिजली का बिल नहीं देता तो फौरन बिजली विभाग का आदमी वहां पहुंचेगा और डिसकनेक्शन करेगा लेकिन राजा के घर नहीं जायगा। तो मुफ्त में पानी व बिजली और कोई बिजनेस करे तो उस पर कोई टैक्स नहीं। राजाओं को 50 पैसे में या 33 पैसे में पैट्रोल प्रति लीटर और हमको 1.33 रु. लीटर क्योंकि वह राजा हैं। कई सेठ साहूकार पानी की प्याऊ लगा देते हैं कई आदमी जो प्यासे हैं पीते हैं, मुफ्त की प्याऊ है दरवाजे पर। सब की कमाई का पैसा है। हमें तो उनको अच्छा बनाना चाहिये। यह मुफ्तखोरी बंद हो। तो प्रिवीपर्स कतई बंद होने चाहिये। यह देश के साथ गद्दारी होगी, जनता को बरबाद न करें। हमारे जागीरदारों को किसी को 300 गुना, किसी को 700 गुना दिया। ये तो चले गए, लेकिन इनको पैसे 40 साल से दे रहे हैं कितना दे दिया? इतने वर्षों से किसी को 10 लाख की, किसी को 5 लाख की और कितनी छूट दी जायगी जो कुछ संपत्ति है कहते हैं कि मेरी है, नहीं वह आपकी है। जैसे बीकानेर का किला राजा की संपति हो गई, वह कहां से हो गई? महाराजा राजसिंह मुगलों के यहां

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

नौकरी करते थे, चाहे जयपुर महाराजा मानसिंह चाहे बीकानेर महाराजा राजसिंह धन लूटकर चले आते थे । महाराजा मानसिंह कहां से लाए ? बंगला में मुगलों की हुकूमत जमाने गए थे । धन लूटकर लाए । महाराजा राजसिंह ने इस तरह किला बनाया । आज उस पैसे को कहते हैं कि मेरा पैसा है । जागीरदारों के लिये हम कहें कि त्याग किया, कोई त्याग नहीं किया इनको बिना मुआवजा हटा देना चाहिये खास तौर से अर्बन सीलिंग वाला प्रस्ताव आना चाहिये । मुझे पता लगा है कि करोड़ों रुपयों की संपत्ति उन्होंने बना ली है । जितने जेवर थे, खजाना था सब हमारा है । जितनी जमीन पटवारी से लिखा सके सब प्राइवेट समझकर हथिया ली । इस प्राइवेट प्रोपर्टी को देखना चाहिए, प्रिविलेजिज को खत्म करना चाहिए और खाली राजाओं के प्रिवी पर्सिज को खत्म करने से मामला नहीं चलेगा । इसके साथ साथ रूरल और अर्बन हाउसिंग सम्पति पर सीलिंग होनी चाहिए । अर्बन की सीलिंग 5 लाख ज्यादा है । कम होनी चाहिए । 5 लाख कम नहीं होता है । गांवों की सम्पत्ति की सीलिंग भी कम नहीं रखी है । शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग होनी चाहिये, तो ग्रामीण संपत्ति पर क्यों नहीं होनी चाहिए ? गांवों में आप कहेंगे जमीन पर सीलिंग कर देंगे । इसके सिवा गांवों में और कोई सम्पत्ति नहीं है ? धन्धा नहीं है ? राजाओं और जागीरदारों के पास धन नहीं है ? उनके पास सामान नहीं है ? करोड़ों रुपए की जमीन नहीं है ? उन पर सीलिंग क्यों नहीं है । एक सीमा निर्धारित कर दें । 5 लाख ज्यादा है । राजाओं के प्रिवी पर्सिज खत्म होने चाहिए । मैं समझता हूं प्रिवीपर्सिज खत्म करने की बात 1963–64 से चलती आ रही है । आज भारत सरकार कहती है कि हम दृढ़ संकल्प हैं । दृढ़ संकल्प करते सीलिंग वाली बात न हो जाए । इसको जल्दी जल्दी कराया जाए, भारत सरकार से निवेदन करना चाहिए कि राजस्थान में जो नरेशों को पैसा देते हैं मुआवजे के तौर पर नहीं है । उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको गुजारे के रूप में दिया जाता है । जिनको गुजारे की जरूरत है उनको दिया जाए, जिनको गुजारे की जरूरत नहीं है जिनके पास स्वयं की सम्पति है, उनको देने से कोई लाभ नहीं है । पेन्शन वालों को दे दें । भारत सरकार से कहना चाहिए कि जरूरत नहीं है । प्रिवी पर्सिज नाम की चीज अगर देश में रहती है और विशेषाधिकार रहते हैं, कोई भी दोष करें तो कोर्ट में नहीं बुला सकते यह प्रजातन्त्र पर कलंक है, मिटना चाहिए ।

श्री सभापति : श्री दिग्विजयसिंह ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार और प्रिवी पर्सिज के सम्बन्ध में यह संकल्प है । मैं बता देना चाहता हूं जहां तक स्वतन्त्र पार्टी का मत है और साम्यवादी सदस्य समझते हैं कि जो कुछ हम विचार व्यक्त करते हैं वह राजा महाराजाओं की वकालत करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, ऐसा नहीं है । हमारा निश्चित दृष्टिकोण है कि राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार और प्रिवी पर्सिज जो हैं यह आज की परिस्थितियों को देखते हुए इनको संवैधानिक दृष्टि से और

(श्री दिग्विजय सिंह)
संवैधानिक तरीके से समाप्त किए जाने चाहिए।

अब सिर्फ जो थोड़ा बहुत हमारे और उन पार्टीज के बीच में अन्तर है, खासतौर से समाजवादी पार्टी में और हमारे में, वह अन्तर यह है कि वे चाहते हैं कि संविधान को अलग रखकर और डिस्कार्ड करके, यह कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री रामानंद अग्रवाल : हम यह कहते हैं कि संशोधन आवश्यक है संविधान में और बिना मुआवजा दिए ही प्रिवी पर्सिज की समाप्ति के लिए वह कर देना चाहिये।

श्री दिग्विजयसिंह : आपके दिमाग में यह इम्प्रेशन है कि स्वतन्त्र पार्टी राजा महाराजाओं की पार्टी है और उनकी वकालत करना स्वाभाविक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के नेशनल एक्जीक्यूटिव और कौंसिल में इस मामले पर विचार हुआ है और यह निर्णय लिया गया है कि जो राजा महाराजा प्रिवीपर्स पाते हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिये परन्तु संवैधानिक तरीके से। संविधान में जो व्यवस्था है उनके दायरे में रहकर ही समाप्त करना चाहिए। संविधान में मुआवजा देने का प्रावधान है। इससे पूर्व यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह इस्यू चल रहा था दो तीन वर्ष पहले तो हमारी पार्टी की मीटिंग दिल्ली में हुई तो उसमें यह इश्यू आया था और यह निर्णय किया गया था कि जिस तरीके से किया जा रहा है, सरकार जिस तरीके से जल्दी में इसको कर रही है और संविधान के अन्तर्गत जो कदम उठाये जाने चाहिए थे वह नहीं उठा ये गये हैं और जिस प्रकार के कदम उठाये गये हैं वह गलत हैं इसलिए संवैधानिक तरीके से इसके लिए कदम उठाये जायं। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने इसको पालियामेंट में पेश किया और वहां तो पास हुआ लेकिन राज्य सभा में यह फेल हो गया। इसके साथ साथ हमारी प्रधान मंत्री ने एक एक्जीक्यूटिव आर्डर प्रिवीलेजेज और प्रिवीपर्स को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति से जारी करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और ठीक स्वतन्त्र पार्टी जो कहती थी उसके अनुरूप जजमेंट हुआ कि संविधान के अन्तर्गत वन स्ट्राक आफ पेन से समाप्त नहीं कर सकते हैं। समाप्त ही करना चाहते हैं तो उचित मुआवजा देना परम आवश्यक है।

सभापति महोदय, मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि कई माननीय सदस्य जब बोलने खड़े होते हैं तो एक दृष्टिकोण जनता के सामने रखते हैं, जनता लीगल इन्टरप्रिटेशन तो नहीं समझती है, उसको समझाते भी नहीं हैं, मानवता के मामले को रखते हैं और हर मामले में मानवता का दृष्टिकोण दे दिया जाता है। यह कहा जाता है कि पांच करोड़ की धनराशि राजा महाराजा को दी जाती है यदि इसको समाप्त कर दी जाय तो बहुत से काम कर सकेंगे। सभापति महोदय, बड़े दुःख का विषय है कि केन्द्र की सरकार और स्टेट्स की सरकारों में कई ऐसे काम हो रहे हैं कई ऐसी कार्यवाहियां हो रही हैं कि सही रूप में देखा जाय तो पांच करोड़ तो क्या करोड़ों रुपयों के घोटाले हो रहे हैं। एक काम ही वे लोग हाथ में लेते हैं और करते हैं तो उसमें करोड़ों का घाटा होता है। यदि आप यह लेकर नहीं चलते हैं तो मैं नहीं

(श्री दिग्विजयसिंह)

समझता हूं कि आपका कोई आधार है मानवता का दृष्टिकोण रखने का। मानवता का जहां तक प्रश्न है राजा महाराजा भी इस बात के लिए उत्सुक हैं, जैसा अखबारों में पढ़ा है और कान्कोर्ड का डिसिजन आया है उससे स्पष्ट है कि वे चाहते हैं कि विशेषाधिकार और प्रिवी पर्सेज को वलेन्टेयरिली सरेन्डर करें। जहां तक मेरी जाकारी है राजा महाराजा और उनके प्रतिनिधि ध्रांगध्रा के नरेश ने सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही घोषणा की थी कि यदि भारत सरकार कोई ओनरैबल एग्रीमेन्ट हमारे साथ करना चाहें तो हम करने के लिए तैयार हैं। यदि ओनरैबल एग्रीमेन्ट उनके साथ होता है तो राजा महाराजा आज की परिस्थितियों को देखते हुए और इस हवा को देखते हुए इतने बुद्धिहीन नहीं हैं कि यह नहीं समझते हों कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पिवीपर्स का समाप्त होना अनिवार्य है।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गोकुल प्रसादजी ने कुछ राजा महाराजाओं के त्याग और उनके इतिहास के बारे में बात कहते हुए यह कहा कि दौसा में भड़भूजिया का राज था। पता नहीं उन्होने किस इतिहास की बात कही। कर्नल टाड के इतिहास में भी यह बात तो नहीं है।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री सभापति : कितने सदस्य बैठे हैं? कतना कोरम होना चाहिये जबकि 180 से भी कम है संख्या?

श्री शंकरलाल : टोटल स्ट्रेन्थ से नहीं मानते हैं।

श्री सभापति : 177 सदस्य हैं। 17 होना चाहिये। हैं पूरे।

श्री दिग्विजयसिंह : जहां तक उनके त्याग और बलिदान का प्रश्न है मैं उनके उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। अपने अपने सोचने का दृष्टिकोण है। किन्तु जहां तक त्याग का सम्बन्ध है और पूर्व घटनाओं को लेकर चलें तो मैं यह मान कर चलता हूं कि अकेले राजा ने ही सिर नहीं कटाया था किन्तु उसमें सारी जनता ने सहयोग दिया था और उनके पीछे ही राजाओं ने अपनी बलि दी। यदि आज की पृष्टभूमि में देखें तो हिंदुस्तान आजाद हुआ और निर्माण हुआ तो राजाओं की कितनी सेक्रिफाइस होगी और उनका कितना कान्ट्रिब्युशन रहा है। भारत में स्वतन्त्रता को रखने और डेमोक्रेटिक सेट-अप कायम करने के लिए यह देखना चाहिये इस सन्दर्भ में। हमारे पूर्वजों ने क्या किया और क्या नहीं किया उसको हम नहीं यहां पर तोलना चाहते हैं। राजा महाराजाओं ने, यह आप निश्चित मानेंगे कि हिन्दुस्तान के एकीकरण में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है और इसके लिये स्वर्गीय पं0 जवाहरलालजी नेहरू ने कई बार कहा है कि राजा महाराजाओं ने देश के निर्माण में बहुत सेक्रिफाइस किये हैं और उच्च से उच्च कोटि के जितने नेता हैं उन्होंने यह स्वीकार किया है। यह निर्विवादित बात है कि राजा महाराजाओं ने अपने अपने प्रदेश और भारत के निर्माण के

(श्री दिग्विजयसिंह)
लिये योगदान किया है और सेक्रिफाइसेज की हैं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों के दल में भी राजा महाराजा हैं, क्या उन्होंने भी सेक्रिफाइस नहीं किये ? उन्होंने सेक्रिफाइस किये हैं तो इधर के राजा महाराजाओं ने भी सेक्रिफाइस किये हैं। हैदराबाद के निजाम थे उनकी सहानुभूति हमारे देश के साथ नहीं थी और उन्होंने बगावत की दृष्टि से, और नीयत से बात की, आपने उनको भी मान्यता दी है। राजाओं के साथ ट्रीटी कायम की और उनको प्रिवीपर्स दिया। यह सब करने की जिम्मेदारी और देखने की बात आपने नेताओं की थी कि किन में कितना प्रेम था। आपके बड़े बड़े नेता थे उन्होंने जांच करके प्रिवीपर्स और प्रिविलेजेज चलाऊ किये।

सभापति महोदय, आज की परिस्थिति में एक तरफ राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार· · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : निजाम हैदराबाद जैसे राजा जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया उनको तो दिया ही नहीं जाना चाहिये इस हद तक तो आप भी आ गये हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : जिन्होंने योगदान दिया उस को दिया जाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह त्याग और योगदान की बात तो मजबूरी का नाम है। यह तो चलवर को जानते हैं। यहां फौज आई, लड़ने की कोशिश की जब देखा कि ओवरव्हेल्मिंग फोर्स है तो चुपचाप हथियार रख दिये।

श्री दिग्विजय सिंह : जिन्होंने यहां तक परिस्थितियां पैदा कर दीं उनका हामी नहीं हूं। उस समय की सरकार की सोचने की बात थी कि ऐसों को प्रिविपर्स मिलनी चाहिये थी या नहीं।

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि आज की परिस्थिति में हमें यह भी देखना चाहिये कि एक तरफ तो हम राजा महाराजाओं की प्रिवीपर्सेज खत्म करके आप की ही सरकार के दिये हुए वचन को भंग करने की कार्यवाही करने जा रहे हैं और दूसरी ओर हम जनता के प्रतिनिधि स्वयं अपनी ओर देखें कि हम कितने प्रिविलेज लेकर चलते हैं मंत्री लोग स्वयं देखें वे कितने प्रिविलेज लेकर चलते हैं। अगर समाजवाद की आड़ लेकर इन प्रिवीपर्सेज को खत्म करने की बात करते हों तो अपने प्रिविलेज भी खत्म करने की बात सोचो। कौन इन्कार करता है कि भूखे को रोटी नहीं मिलनी चाहिये। नंगे को कपड़ा मिलना चाहिये, सब मानते हैं। इसमें दो राय नहीं हैं। पर अपने विशेषाधिकार को तो बचाकर चलें और दूसरों के विशेषाधिकार को समाप्त करने की बात करें, तो इसके लिये एक बात तो मैं कह सकता हूं कि यह समाजवाद तो नहीं हो सकता और कोई बात भले ही हो। राजस्थान में 26 राजा महाराजा हैं सारे। देश में कुल मिलाकर यों ढाई हजार ऐसे हैं जिनको प्रिवीपर्सेज दी गई तो एक तरफ तो उनको समाप्त करने की बात करते हैं, और दूसरी ओर अपने प्रिविलेज बढ़ाते जाते हैं

(श्री दिग्विजयसिंह)

तो यही समानता की बात आप करना चाहते हैं ?

सभापति महोदय जो वायदे राजे महाराजाओं के साथ किए थे उनसे आज हम मुकरते हैं तो इसमें मेरी मान्यता है कि इसके इन्टरनैशनल रिपरकशन्स भी हो सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कहा इन्टरनेशनल रिपरकशन्स ? कैसे ?

श्री दिग्विजय सिंह : ये इस तरह जापान की एक फर्म से भारत सरकार के कॉलेबोरैशन में एक व्यापारिक संस्थान चलाने के लिये बहुत बड़ा इनवेस्टमेंट करने की बात थी, पर जब उस जापानी फर्म के ध्यान में बात आई कि यह सरकार तो अपने पुराने सरकार के किये वायदों से मुकरती है तो क्या ठिकाना इस सरकार के किये हुए वायदों से इसके बाद वाली सरकार बंधी रहे या न रहे, उसने कॉलोबोरेशन से इन्कार कर दिया। इसी आधार पर और भी बहुत सी विदेशी फर्मों में हमारी साख घटी है। तो जापान की फर्म का नाम मुझे याद नहीं, मैं बाद में निवेदन कर दूंगा कि वह कौनसी फर्म थी और उनका कितना इन्वेस्टमेंट होने को था उन्होंने इसी बिना पर रिफ्यूज कर दिया कि ऐसी सरकार के कॉलेबोरेशन में नहीं जाना चाहते जो सरकार अपने देश के रहने वाले लोगों के साथ किये गए एग्रीमेन्ट को भी ब्रीच कर सकती है। तो हमारा क्या ? हमारा तो कभी भी छुटकारा कर सकती है। यह सोच कर उस जापानी फर्म ने उस व्यापार से अपना हाथ खींच लिया। इस प्रकार से दूसरे देशों में भी असर पड़ता है।

सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि राजा महाराजाओं को बाहर जाने का अधिकार हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बहुत स्पष्ट नियम बंने हुए हैं। ये अधिकार भी कुछ लिमिटेड राजा महाराजाओं को ही हैं जो प्रति वर्ष विदेश जाते हैं और वे भी भारत सरकार की स्वीकृति के बाद ही बाहर जा सकते हैं। आज बाहर जाने का जो प्रतिबन्ध था वह यों भी हट गया है। हर कोई नागरिक जो तीन साल से बाहर नहीं गया है वह भी जा सकता है। कोई रोक टोक नहीं है। कई केसेज में तो पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं। केवल वीसा ही प्राप्त कर के जा सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : साल में वे इतनी बार थोड़े ही जाते हैं। राजा महाराजा तो साल में तीन बार जाते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : जो जाते हैं वे कितने हैं और वे भी फिर चुपचाप नहीं जाते सरकार की जानकारी में सब रहता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसी से तो वंचित करना चाहते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे यह समझ में नहीं आता कि टोंक से आने वाले माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं कि यह सरकार किसकी है। अगर कांग्रेस सरकार ही उनको इजाजत दे देती है तो इस में जिम्मेवारी किस की है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये विशेषाधिकार नहीं रहेंगे तो इजाजत मिलनी बन्द हो जावेगी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
एक वर्ष में दो तीन बार जाना बन्द हो जावेगा ।

श्री दिग्विजय सिंह : फिर तो साल में 6 बार जावेंगे जैसे आपके मुंहलगों की हालत है, सब जानते हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कितनी बार गये ?

श्री दिग्विजय सिंह : जो भी चीजें हैं रेग्यूलेशन से गवर्न होती हैं, रेस्ट्रिक्शन्स इम्पोज किये जा सकते हैं । बाहर तो आप भी जा सकते हैं कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ।

दूसरा प्रश्न उठाया, फॉरेन इन्वेस्टमेन्ट का । मुझे मालूम है कि कुछ के इन्वेस्टमेन्ट हैं पर वे आज के नहीं हैं । अंग्रेजों के समय से ही हैं । इसके बाद अगर आजादी के बाद इन्वेस्टमेन्ट बाहर गया है तो जहां तक मेरी जानकारी है उन सबकी इन्वेन्ट्री बनी हुई है, और वह भारत सरकार के गृह विभाग में मौजूद है । इस लिस्ट में उनके जितने एन्टीक्स हैं और बहुमूल्य हस्तलिखित लेख आदि भी हैं । अब अगर इनमें से कोई चीज बाहर जाती है तो यह सरकार की बहुत बड़ी गलती है और मामूली बात नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एन्टीक्स का तो बहुत बड़ा धन्धा राजा महाराजाओं ने फैला रखा है, बाकायदा कुछ चीजें पकड़ी भी गयी हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : राजा महाराजाओं के नाम तो लेते, केवल वेग एलीगेशन लगाना गलत है । वे सदन के एक माननीय सदस्य हैं । उनको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : वह तो नवाब साहिब ले गये हैं । आप क्या बता सकते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, प्रिविलेजेज के कारण उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती ।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को इस बारे में भी भ्रम है । अगर ऐसा है तो इस सम्बन्ध में नियम स्पष्ट हैं । होम मिनिस्ट्री से मन्जूरी ली जाकर राजा महाराजाओं के खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है ।

इसके साथ-साथ अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन राजा महाराजाओं को समाप्त किया जावे । यदि इस मुद्दे को लेकर यह मध्यावधि चुनाव हुआ है तो मैं पूछना चाहता हूं, मौजूदा सरकार के प्रधान मन्त्री से भी यह जानना चाहूंगा कि फन्डामेन्टल राइट्स को चेन्ज करने के लिए क्यों नहीं किसी तरह की प्रणाली उन्होंने अपनाई है ? वैसे फन्डामेन्टल राइट्स के चेप्टर को एमेन्ड नहीं करना चाहिये । पर अगर उनको फन्डामेन्टल राइट्स के चेप्टर में भी तब्दीली करनी है तो या तो कॉन्स्टीट्यूशनल असेम्बली बनाकर वे ऐसा करें । जहां तक मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट के बाद राजाओं के प्रिवी पर्सेज और विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात है यह तो निश्चित है । पर मुझे लगता है कि

(श्री दिग्विजय सिंह)

बिना मुआवजा दिये इनको समाप्त करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि आपके बड़े नेताओं ने और कर्णधारों ने जिन्होंने कांग्रेस को सा जमाया, कांग्रेस को जन्म दिया, उनके एग्रीमेन्टस् को जो उन्होंने साइन किये हैं, उनके उनके एग्रीमेन्टस् और ट्रीटीज को पीछे आने वाली पीढ़ी इसको इस तरह से ट्रीट करती है तो आपके ऊपर इसका रिफ्लेक्शन होगा क्या आप इसी तरह से अपने बड़ों का आदर करते हैं ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है कि बिना मुआवजा दिये हुए ही प्रिवीपर्स समाप्त होने चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों होना चाहिए ? आप समाप्त कर दें और मुआवजा दे दें। अब कितना दें, बीस गुना, तीस गुना यह सोचने की बात है कि कितना गुना देना चाहिये। यह निश्चित है कि इस प्रकार से यदि हम राजस्थान विधान सभा में एक संकल्प स्वीकार करते हैं, मंजूर करते हैं कि बिना मुआवजा दिये राजाओं के विशेषाधिकार, प्रिवीपर्स समाप्त कर दिये जायें तो यह उस जजमेन्ट की कद्र नहीं होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इससे आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय भी मिल जायेगा। मुआवजा देकर ही राजा, महाराजाओं के प्रिवीपर्स, विशेषाधिकार समाप्त किये जाने चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरण सिंह

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

समय 15 मिनिट।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): सभापति महोदय, राजाओं की शाही थैली और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के प्रश्न को लेकर यह प्रस्ताव लाया गया है। मेरी मान्यता है कि शाही थैली और विशेषाधिकार समाप्त करने के पीछे सैद्धान्तिक भावना उतनी नहीं है जितना कि इसके पीछे नारा है। मध्यावधि चुनावों के अवसर पर स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जगह जगह पर कहा है कि प्रश्न रकम का नहीं है। साढ़े पांच करोड़ या पांच करोड़ सालाना जो खर्चा हो रहा है इस रकम को बचाने से समस्या का कोई निदान होगा ऐसी बात नहीं है, बल्कि जनसाधारण और अवाम यह चाहता है। उस भावना को लेकर हम विरोध कर रहे हैं।

सभापतिजी, जहां तक जनभावनाओं का प्रश्न है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जनसाधारण, व्यक्ति, अगर हम उसे विचार के अन्दर जाकर देखेंगे तो देखेंगे कि वह किसी सिद्धान्त से चिपका हुआ नहीं है। वह समाजवाद के पीछे नहीं है, साम्यवाद के पीछे भी नहीं है और जनसंघ के मान्यतावाद के पीछे भी नहीं है और ना किसी वाद के पीछे है। उस साधारण किसान को उस साधारण इन्सान को खाने को दो जून रोटी चाहिये। उसे पहनने को कपड़ा चाहिए, काम के लिये व्यवसाय चाहिये और रहने को झोंपड़ी चाहिये। ऐसा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
कुंठित समाज जो कि भूखा मरता है, जो कि कीड़े की तरह रह कर जीवन बसर करता है उसको आज हम नारा दें, ऐसे लोकतन्त्र में जहां कि एयर कन्डीशन्ड असेम्बली का हाल है, एम. एल. ए. जहां पांच पांच सौ रुपया महीना लेते हैं, 31 रुपये रोज का भत्ता लेते हैं। आज ये मिनिस्टर अनाप शनाप तनख्वाहें लेते हैं और भत्ता लेते हैं क्या वह इसको बर्दाश्त करता है। क्या यह उसको अच्छा लगता है। आज की स्थिति यह है कि एक मानव चाहे उसे खाने को मिले अथवा न मिले, चाहे नारा लगाने के बाद पहिनने को मिले अथवा न मिले, लेकिन वह एक बात चाहता है कि मैं नंगा हूं, भूखा हूं, मैं बिना मकान हूं। मुझे तसल्ल इस बात की है तेरे पास यह कमीज है, उसको फाड़ दूं। मैं भी नंगा हूं और तू भी नंगा बन। आज यह समाज की स्थिति है। यह उस समाज की स्थिति बन रही है और यह कहें कि यह जनसाधारण की बात है, तो मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जब यह कहते हैं कि साढ़े पांच करोड़ बचाने से भी देश के अन्दर जो समस्याएं हैं उसका निदान नहीं होगा और फिर यह कहते हैं कि प्रिवीपर्स को खत्म करो। वे यह समझ कर चलते हैं, यह मैं मानने के लिये तैनार नहीं हूं। यह मध्यावधि चुनाव जहां जहां इस नारे के आधार पर लड़ा गया कि राजाओं की थैलियां खतम हों, विशेषाधिकार खतम हों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां यह नारा नहीं था। नारा यह था कि गरीबी को मिटाओ। अगर यह नारा होता तो आज जितने भी राजाओं ने चुनाव लड़ा सिवाय भरत-पुर से कौन हारा है? जहां राजाओं ने चुनाव लड़ा वे जीते हैं यह एक अलग सवाल है। जहां राजाओं ने समर्थन किया है वे उनको जिता कर लाये हैं। इसलिये यह कहना कि जन भावना इस प्रकार की है कि राजाओं को शाही थैलियां समाप्त हों तो यह एक नारा मात्र है। यह नारा मात्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है। राजाओं ने अपनी रियासतों को स्वाधीन भारत को सौंपा और उसके लिये उनके साथ एक इकरार हुआ था उसकी पालना होनी चाहिये। राजाओं का प्रिवीपर्स खतम हो, विशेषाधिकार समाप्त हो, यह आज के युग के अन्दर मांग है किन्तु साथ ही राजाओं के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिये और उसके अन्दर मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन एक हवा बना कर यह एग्रीमेन्ट जो राजाओं के साथ में किया गया है और जो राज्य उन्होंने सौंपे हैं उनको हम एक कानून से समाप्त कर दें, खतम कर दें तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप स्वतन्त्र पार्टी के साथ हैं। आप कानून बना कर भी इसको खतम नहीं करना चाहते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कानून के आधार पर, बहुमत के आधार पर जो एक इकरार किया गया है उसको समाप्त कर दिया जाये इसका मैं हामी नहीं हूं। इस नाते अधिक न कहता हुआ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ग्वालियर की महारानी के आने के बाद क्या यह आपकी पार्टी का विचार है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह महारानी का या महाराजा का सवाल हो, मुझे यह बात कहने की झिझक नहीं है । मेरे को या मेरे दल को इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं है कि एक हवा चली और उस हवा के साथ भी आप वह जायें तो लोकतन्त्र का विश्वास क्या है ? अगर हम सब इस बात पर विश्वास करते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि एम.एल.ए. बंगले बी–11 में रहें । हम 60 रुपये में इन बंगलों में रहे । 60 रुपया तो जो लोन है उसके पानी का खर्च है। बिजली पानी का वर्डन भी हमारे ऊपर नहीं है । तो इस 60 रुपये के अन्दर हमें इन बङ्गलों में रहने का कोई अधिकार नहीं है । मैं पूछता हूं, समाज के अन्दर अगर परिवर्तन लाना है तो क्या अधिकार है हमको वहां रहने का। हम मजदूरों के लिए बात कहते हैं, जिसका जिक्र आप करते हैं, उसकी जिन्दगी को आपने नहीं देखा । वह दो समय भी रोटी नहीं खा पाता, और समाजवाद लाने और गरीबी मिटाने के लिए कहें, यह ढोंग है, पाखण्ड है इसलिए इस पाखण्ड में अधिक न आयें । लोकतन्त्र में विश्वास किया है उसके लिए हमने कमिट्मेंट्स किया है उन एग्रीमेंट्स का पालन करना चाहिये । जहां तक सत्तारूढ़ दल का सवाल है इनको किसने मना किया कौन ने एग्रीमेट कराया था । सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तब भी कांग्रेस थी आज तक भी वही कांग्रेस है । सन् 62 में सन् 67 में इन्हें स्वप्न नहीं आया केवल अब राजनीतिक आधार पर निर्णय लिया जाय और इस प्रकार लोगों के सिर पर कच्चे धागे की तलवार लटकाई जाय । अगर आप राजाओं के खिलाफ हैं तो क्यों उनकी पगचम्पी की । अगर मुख्य मन्त्रीजी का भाषण आपने सुना होगा तो याद होगा । मैं माननीय सदस्य जो जैतारण से आये हुए हैं कहूंगा सभापति महोदय भाषण आया कि हम राजाओं के खिलाफ नहीं हैं । ठीक है साहब । इसके कुछ दिन बाद फिर बोले कुछ विरोधी लोग मेवाड़ की एकता भङ्ग कराना चाहते हैं । महाराणा और हमारे बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं । अगले दिन जनसंघ कार्यालय का उद्घाटन किया और बदल गये । यह आपका कौनसा तरीका है ? यह आपका कौनसा समाजवाद रहा । राजा और महाराजाओं के अत्याचार की बात करने लग गये । जनता आपके विश्वास में आने वाली नहीं है आपके इन नारों के पीछे जनता जानती है कि आपमें कितना दम है । जो राजा महाराजा और नवाब आपकी पगचम्पी में चले गये वे तो अच्छे हो गये । अभी भी आपकी तरफ नवाब साहब विराजमान हैं, बिजौलिया विराजमान हैं और शाहपुरा विराजमान है । आप किस मुंह से राजा महाराजाओं के बखान करते है । इसके पीछे आपकी कोई दलील नहीं है ।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत के व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

आप भी महारानी हैं । आपके नाम के आगे भी महारानी लगा हुआ है । सेण्ट्रल में आपके राजा दिनेश सिंह हैं ! इन बातों को छोड़ दीजिये । इसमें कुछ नहीं रखा है ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : वे राजा नहीं हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर राजा शब्द क्यों लगाते हैं। इतनी शर्म आती हो तो न लगायें। यह पाखंड इन नारों के पीछे अब चल नहीं सकता है और आज भी सौदेबाजी चल रही है। आप कुछ भी कहना चाहें कहें लेकिन अन्तिम समय तक सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा प्रयास किया गया है किसी प्रकार राजाओं को राजनैतिक आधार पर विन ओवर करने की कोशिश की जाय। आज भी राजाओं के आपके मुख्य मंत्रीजी उदयपुर महाराणा के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। आज भी मुख्य मंत्री जी उनकी पगचम्पी में लग रहे हैं। अगर इतनी चिढ़ है तो टोंक से आने वाले माननीय सदस्य बोलें लेकिन लोग बोल नहीं सकते हैं। चुनाव जीता है तो टोंक नवाब को लेकर जीता है। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जो एग्रीमेंट किया है उसका पालन करना चाहिये। वे स्वेच्छा से छोड़ दें यह एक अलग बात है लेकिन कानून के आधार पर परिवर्तन किया जाय तो उचित नहीं होगा। इतना ही कह कर मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री शंकर लाल।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : सभापति महोदय यह प्रिवीपर्स का मामला राजा महाराजाओं का 31 मार्च, 1971 को इस सदन में आया और जिसके ऊपर आज वाद-विवाद चल रहा है। वास्तव में उसके पश्चात् इस विषय के ऊपर हमारे देश के अन्दर नाना प्रकार के विचारों में और रूल्स में परिवर्तन हुये और आज वह स्थिति नहीं रही है जो कि उस वक्त प्रस्ताव लाये थे। उस समय उनका प्रस्ताव था एक अप्रैल, 1970 से विशेषाधिकार और प्रिवीपर्स बिना मुआवजे के समाप्त किया जाय। एक अप्रैल 70 चली गई लेकिन प्रश्न यह है कि आज जो राजाओं के प्रिवीपर्स के विशेषाधिकार हैं उनके बारे में भारत सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित रूप से यह चाहती है कि प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त हों। एक बात जो अभी-अभी कही गई और माननीय श्री गोयल साहब ने मुझे सम्बोधित करके कहा उदयपुर के अन्दर जनसंघ के उम्मीदवार का समर्थन करते हुये जब महाराणा ने समर्थन किया तब सुखाडिया साहब कुछ बोले और इसके पहले कुछ बोले। मुझे पता नहीं कब क्या····

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय सदस्य आप अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या ?

श्री शंकर लाल : लेकिन मुझे सभापति महोदय, आश्चर्य हुआ आज जनसंघ के एक जिम्मेदार व्यक्ति से यह मानने लगे हैं कि लोक सभा के मध्यावधि चुनावों में जनसंघ जनसंघ के रूप में नहीं बल्कि राजाओं और महाराजाओं के बलबूते पर जीता है।

(माननीय श्री गोयल द्वारा व्यवधान होने पर अश्रव्य)

इस बात को इन्डाइरेक्टली मन्जूर किया है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं जनसंघ दल चाहे उनके कुछ सिद्धान्त हैं लेकिन कोई भी दल जो राजा और महा-राजाओं के बलबूते पर रहेगा और उनके आधार पर संरक्षण में पलने की कोशिश करेगा वह आज जनतन्त्र के युग में सफल नहीं हो सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन जो राजा...

श्री शंकरलाल : आपको भी कहने का मौका मिलेगा। आप कह देना पहले सुन लें।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय हम चाहते हैं जो पार्टी....

(माननीय श्री सुलानिया और माननीय श्री शङ्करलाल के साथ साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : यह बात सही है कि आज कई जगह राजा महाराजाओं के कार्यकर्ताओं के पिटने की बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब जनता में उनके प्रति विश्वास नहीं है। भरतपुर के राजा आपके चले गये और दूसरे हालांकि जोधपुर की राजमाता वैसे तो जीती लेकिन आपको मालूम होना चाहिये जोधपुर शहर को देख कर राजमाता....

(व्यवधान, अश्रव्य)

आप सुनते जाइये। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय और इसलिये दूसरी जगह चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर में हो जहां कहीं राजा महाराजाओं और सामन्तवाद की जीत हुई है वह इसलिये हुई है कि आज भी वे अपने आपको राजा कहते हैं। आज भी अपने आपको राजमाता और रानी कहते हैं। सभापति महोदय समाजवाद के युग में जब हम इस प्रकार के समाज की रचना करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समान हो तो जो पुराने उद्देश्यों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं यह गलतफहमी जनतत्र में बढ़ने की नहीं है। जब राजाओं के प्रिवीपर्स खतम हो जायेंगे, उनके विशेषाधिकार समाप्त हो जायेंगे, राजा राजा नहीं रहेगा। एक समान नागरिक होकर चुनाव लड़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि राजा अपने बलबूते पर जीतते हैं या व्यक्तिगत हैसियत से और किस प्रकार जनता के सामने चुनाव की चुनौती को स्वीकार करते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जिस समय यह सब समाप्त हो जायेंगे उस समय खड़े होंगे तो आने वाला भविष्य बतायेगा। आज मध्यावधि चुनावों के अन्दर देश की करोड़ों जनता ने...

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय सदस्य को सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं। आप जो बता रहे हैं राजा महाराजा न रह कर चुनाव नहीं जीतेंगे तो आप क्यों नहीं लोकतंत्र में आस्था रखने वाले मंत्री पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते। इस चीज की मांग करते हैं इस्तीफा देकर लड़ें तो आप भी सरकार भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करके क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। आपको भी दो मिनट में ही पता लग जायगा कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह कहां पर हुआ है?

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : पार्लियामेंट में भी ऐसा नहीं हुआ है।

श्री शंकरलाल : लोकसभा के मध्यावधि चुनाव केवल गरीबी हटाने के लिये लड़े गये और प्रिवीपर्स के आधार पर नहीं लड़े गये। मैं याद दिलाना चाहता हूं

(श्री शंकर लाल)

जब मध्यावधि चुनावों के लिये भारत की प्रधान मंत्री इन्दिरा ने घोषणा की उस समय अपने संदेश में यह कहा राजाओं के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार के समाप्त करने का निर्णय हमने लिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे निर्णय को अवैधानिक करार दे दिया। उसका अब जनता फैसला करेगी कि राजाओं के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार को रखना चाहते हैं ।

सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया लेकिन इन्द्राजी ने, भारत की सम्पूर्ण जनता ने, जनता की अदालत ने फैसला दिया है । वह राजाओं के प्रिवीपर्स समाप्त करना चाहती है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है । यह प्रश्न जब आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और माननीय सदस्य कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है जब तक कोई चेंज नहीं आ सकता है। क्योंकि गोलकनाथ के केस में ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो चुका है। लोकतन्त्र में जनता सुप्रीम होनी चाहिये थी । अगर हमें डेमोक्रेसी को चलाना है तो हमें जनता का निर्णय सर्वोपरि मानना होगा । जो गोलकनाथ का फैसला होगा वह होगा । देश की जनता का फैसला है, जो भावना है । डेमोक्रेसी में जो निर्णय जनता का होता है, वही होता है । यह बात ठीक है कि पार्लियामेंट में पास हो गया है। लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैधानिक करार दिया है । प्रश्न यह आता है कि प्रिवीपर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए अगर विधान में चेंज करने की आवश्यकता हो सभापति महोदय, अगर आवश्यकता हो तो वह भी हमें करना पड़ेगा। इन्दिरा जी ने अपने घोषणा-पत्र में यह कहा है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जब जनता ने फैसला दे दिया है तो फिर पाबन्दी क्यों लगाई जा रही है।

श्री शंकरलाल : जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है, हमारी प्रधान मंत्री इण्टीरिम रिलीफ देना चाहती थीं। लेकिन आज जनता की भावना जो है वह भारत की प्रधान मंत्री को हम पहुंचाना चाहते हैं। अभी लोकसभा के मध्यावधि चुनावों ने मुआवजे की बात को समाप्त कर दिया है । मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसे कि अभी बैंकों का नेशनेलाइलेजेशन किया है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को मुआवजा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वह काफी मंहगा पड़ रहा है । हम इसी कारण सीलिंग करके राइट आफ प्रापर्टी को खतम नहीं करना चाहते हैं, हम उसको सीमित करना चाहते हैं । अगर हम मुआवजा देते हैं तो लेने की बात ही नहीं हुई है । कम्पन्सेशन देकर प्रिवीपर्स को समाप्त करना बेकार है । इसलिये बिना मुआवजे के जो शब्द रखा है, उनका मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं यह जो रकम है, 5 करोड़ की रकम है। उससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसा कि जनसंघ के माननीय सदस्य ने कहा है । जैसे भूखा आदमी कमीज फाड़ता है।...

श्री भगवानदास शास्त्री : उन्होंने कही है, वह बात नहीं है।

श्री शंकरलाल : आज बहुत से गांवों में पुलिस चौकियों की जरूरत है । आदमी नहीं मिलते हैं। लेकिन चाहे राजा महाराजा विदेशों में घूमते फिरें लेकिन उनके महलों पर पुलिस की गार्ड लगाई जाती है। इसके लिए किसानों को टैक्स देना पड़ता है । दूकानदार बिजली का पैसा नहीं दे तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है । उनका लाखों रुपया बिजली पानी का होता है। वह उनको मुफ्त में दिया जाता है । विशेषाधिकार के अन्तर्गत आज आप शराब, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता हूं । मैं कहना चाहता हूं, ऐसी बातें सुनने में आती है कि राजा लोग विदेशों से शराब लाते हैं, वह जाकर होटलों में बिकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो राजमहल स्मगलिंग के अखाड़े बने हुये हैं ।

श्री शंकरलाल : क्या आप इस गन्दी प्रथा को रखना चाहते हैं ? आज हमारी जनता खुश नहीं है । वह नहीं चाहती है कि विशेषाधिकार कायम रखे जायें । इसलिए मैं अनुमोदन करना चाहूंगा जो प्रस्ताव यह माननीय सदस्य लाये हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूं कि बिना मुआवजे के प्रिवीपर्स समाप्त किये जायें। लोकसभा के मध्यावधि चुनावों को अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। जनता जल्दी चाहती है । इसलिए जो प्रिवीपर्स हैं, विशेषाधिकार हैं, उसको बिना मुआवजे के समाप्त किया जाये। समाजवाद में लोकतन्त्र में समाजवाद के समानान्तर पर राजा महाराजाओं को लाकर खड़ा कीजिये मैं राजा महाराजाओं को यह कहूंगा और वह स्वयं इस बात को कहते हैं तो एक नाथ नागरिक के नाते आपका स्वागत है । आप राजाओं के पावर और विशेषाधिकार छोड़ कर आयें । समानता के अन्दर आकर खड़े हों । तभी मैं समझूंगा · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सच्चा लोकतन्त्र पनपेगा । प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार कलंक हैं। इसे जल्दी से जल्दी बिना मुआवजा समाप्त करना चाहिए।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा ।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सभापति महोदय, नाम मेरा पुकारा गया है।

श्री दौलतराम सारण : आप बोलें, आपके सामने कौन टिक सकता है ।

श्रीमती सुमित्रा : सदन के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। पिछले एक साल पहले इस सम्बन्ध में जो नान आफिसियल रिजोल्यूशन अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसके पक्ष में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ी हुई हूं । मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ है, जब हिन्दुस्तान की जनता ने इस बात पर अपना फैसला दे दिया है और इस बात के लिए भारत सरकार को स्पष्ट आदेश दे दिया है. भारी बहुमत से कांग्रेस को जिता कर तो अब इन विशेषाधिकारों को और इन प्रिवीपर्स को आगे जारी रखने का प्रश्न कहां रहता है। लेकिन एक ही बात है, जिसके बारे में इधर बैठने वाले माननीय सदस्य अपनी भिन्न भिन्न राय रखते हैं, वह मेरी समझ में कम्पेनसेशन के मामले को लेकर है। मैं सदन में, माननीय सभापति जी, आपके द्वारा विचार कहना चाहूंगी कि

(श्रीमती सुमित्रा)

हमारे हिन्दुस्तान के संविधान में सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय देने की बात कही है, हिन्दुस्तान में जनतंत्र के शुरू होने के बाद राजनैतिक न्याय तो हमने दे दिया । आज प्रधान मंत्री से लेकर जयपुर की राजमाता से लेकर और गरीब से गरीब महतरानी के पास एक वोट का अधिकार है, न किसी राजा के पास दो वोट हैं, न हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री के पास दो वोट हैं । गरीब से गरीब, आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए के पास भी एक वोट है और बड़े से बड़े राजनैतिक पद को रखने वाले, साधन सम्पन्न और राजा महाराजा के पास भी एक वोट है । लेकिन हमारे संविधान के अनुसार इस 23 साल के अर्से में जो सामाजिक न्याय देने के बारे में सबसे बड़ी बाधा आ रही है, वह सब से बड़ी बाधा मेरी राय में इन शाही थैलियों को कायम रखने के बारे में और विशेषाधिकारों को कायम रखने के बारे में है । सवाल पांच करोड़ रुपये का नहीं है, यह पांच करोड़ है इसमें यदि प्रिविलेजेज भी माने जायं तो कुल मिला कर पचास करोड़ रुपये की वह राशि होती है, लेकिन सवाल पैसे का उतना नहीं है जितना लोगों के दिल के अन्दर आज सामाजिक न्याय देने के अन्दर जो बाधा है और जो इसके अन्दर बाधा उत्पन्न करने वाली चीज है–उस बात को लेकर जनता में रोष है, असंतोष है, और यह बात चुनाव में साफ सामने आई है । इस मामले में मैं निवेदन करूं कि आज राजा महाराजाओं को जिस प्रकार की विशेष सुविधायें हैं उन विशेष सुविधाओं का जिक्र करने लगूं तो चार पांच घंटे लगे कि जितनी विशेष सहूलियतें हैं, कितने विशेषाधिकार हैं–इनको गिनाने में लगेंगे । देखिए इस बात को आज के दिन बर्दाश्त कौन कर सकता है । जब हमने जनतन्त्र को अपनी जीवन की पद्धति के रूप में स्वीकार किया है, जब देश के अन्दर राज्य जनता के वोटों की पेटी से बनता है तो यह कहां का न्याय है कि किसी आदमी को बिना श्रम के बिना काम में करोड़ों रुपया केवल इस बात के लिए देते रहें कि वह भरतपुर महारानी ग्वालियर की महारानी या जयपुर की महारानी या बीकानेर की महारानी के पेट से पैदा हुए हैं । यह अन्याय है । इस अन्याय को मिटाने के लिए, इसे दूर करने के लिए हिन्दुस्तान के संविधान की धाराओं में यदि परिवर्तन करना पड़े तो उसके लिए परिवर्तन करना चाहिए क्योंकि संविधान का मतलब है, जनता की आशाओं के अनुरूप, जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जनता की सुविधा के लिए, जनता के लिए शासन कायम करने वाली व्यवस्था हो । जनतन्त्र के शासन का मतलब होता है कि जनता की सुविधाओं के लिए हो । फिर संविधान जो देश में बना, वह संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो कि बदली नहीं जा सके । जनता की सुविधाओं के लिए, बहबूदी के लिए, हिन्दुस्तान के हर नागरिक के कल्याण के लिए यदि संविधान में कहीं संशोधन की आवश्यकता है, तो मैं समझती हूं, वह करना उपयुक्त है । मैं निवेदन कर रही थी, एक ओर तो गरीब मोची है, जो जूते बना कर अपना पेट भरता है, वह दिन के अन्दर काम करता है, लेकिन घर में ज्यादा आदमी हैं, यदि उनका पेट नहीं भरता है, तो रात में अंधेरे के अन्दर, एक

(श्रीमती सुमित्रा)

बल्व जला कर वह जूते बनाने का काम करना चाहे तो उसकी एक यूनिट बिजली खर्च होगी, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहता है कि चालीस नये पैसे दो। अगर चालीस नये पैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं दे तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जायगा। लेकिन राजा महाराजा न यहां केवल होटल चलायें, लाखों बीघा के फार्म पर न केवल बिजली लें, बल्कि सर्दियों में अपने मकान को गरम करें बिजली के द्वारा, और गर्मी में बिजली के द्वारा वातानुकूलित करें -इस बात को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। हिन्दुस्तान की जनता, जिसका बिना भेदभाव के एक वोट का अधिकार है, आखिर क्यों इसे बर्दाश्त करेगी, कब तक इसे बर्दाश्त करेगी। इस सम्बन्ध में एक कदम आगे बढ़ कर निवेदन करना चाहूंगी, किसी देश में आगे बढ़ने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए दो पक्षों की आवश्यकता होती है, एक श्रम की या हुनर की, दूसरी पूंजी की। यह बड़े बड़े महाराजा, आज जिनके पास पूंजी है, वह यदि आकर श्रम और हुनर के साथ में कहें कि हमारी मदद लीजिये, उसके वह चेरी बने, तो मैं समझती हूं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब श्रम करने वालों के पाज पूंजी न जाकर पूंजी वाले के पास जाती है और पूंजी को हथियाने का प्रयत्न करते हैं तो वह हिंसा कहलाती है। वह हिंसा का तरीका बन जाता है। मैं चाहती हूं कि राजा-महाराजा, जिनके पास इतने विशेषाधिकार हैं, जिनके पास पूंजी है, उनको यह उदारता दिखानी चाहिए। वह अपने आप अपने विशेषाधिकारों को छोड़ कर श्रम और हुनर के मित्र बनें, जिससे देश समृद्धि के रास्ते पर जा सके। मैं निवेदन कर रही थी, यह केवल बिजली की बात नहीं है, यह केवल पानी की बात नहीं है। मेरे सामने अभी थोड़ी देर पहले मकराना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, बीकानेर के महाराजा जब अकाल की सड़कों का काम देखने जाते थे तो लोग उन्हें खम्मा अन्नदाता कहते थे। मुझे बड़ी शर्म आती है, अन्नदाता तो किसान है, जो धरती का पेट फोड़ता है और अन्न पैदा करके दुनियां को देता है, जिससे समाज जीवित रहता है, केवल वही अन्नदाता कहलाने का अधिकारी है। जिन लोगों ने शोषण करके महल बनाये हैं, न जाने कितनी महिलाओं की अस्मत लूटी है, जिनकी महल की नींवों में असमर्थ महिलाओं की आह दबी हुई है, उन महिलाओं की आह जिनके महलों मे कैद हैं उनको किस प्रकार से मुआवजा देने की बात करते हैं? किस प्रकार से उनके प्रिवीपर्स को कायम रखने की बात करते हैं? मुझे तो यह लज्जाजनक और लोकतन्त्र के लिए कलंक की बात नजर आती है। मैं निवेदन करना चाहती हूं, यह पानी और बिजली की सुविधाओं का ही प्रश्न नहीं है, न जाने कितने विशेषाधिकार हैं, जैसे उनकी जीवन रक्षा के लिए गार्ड चाहिए। जब कि एक साधारण व्यक्ति अपनी जीवन रक्षा के लिए छोटा सा हथियार और चाहे जितनी संख्या में पिस्तौल रखना चाहे तो उसको लाइसेन्स लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन राजा महाराजा चाहे जितने हथियार रख सकते हैं, चाहे जैसे खतरनाक हथियार अपने पास रख सकते हैं उन्हें कोई लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है, आज

Page No 113

(श्रीमती सुमित्रा)

एक गरीब मजदूर जो सारे दिन मेहनत करके दो रुपये कमाता है, वह शाम को गम गलत करने के लिए शराब पीता है, (मैं वैसे शराब पीने के पक्ष में नहीं हूं.) लेकिन गम गलत करने के लिए ठर्रा लेने जाता है तो उसको एक्साइज ड्यूटी के रूप में कुछ देना पड़ता है, जबकि राजा-महाराजा के महल, जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आज स्मगलिंग के अड्डे बने हुए हैं और उनके महलों में शराब का एक तरह से व्यापार चलता है ...

श्री जुझारसिंह : किसके यहां स्मगलिंग होता है, कोई आइडिया तो दें, नाम तो लें ।

श्रीमती सुमित्रा : नाम की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जुझारसिंह : जनरल वे में कह दिया, इट इज वैरी वेग आर्गूमेंट । कोई आपके पास स्मगलिंग का सबूत है तो नाम तो लें । वेग एलीगेशन लगायें, यह गलत है ।

श्रीमती सुमित्रा : आपका नाम नहीं लिया ।

श्री जुझारसिंह : मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन आपने कहा कि राजा-महाराजा के महल में स्मगलिंग चल रहा है ...

श्रीमती सुमित्रा : इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है ?

श्री जुझारसिंह : परेशानी का सवाल नहीं है, आप मंत्री होकर वेग एलीगेशन लगा रही हैं; जिसके पीछे कोई तंत नहीं है ।

श्री रामानन्द यादव : जब छापा मार कर पकड़े जायेंगे तब साफ हो जायगा ।

श्री सभापति : नो इन्टरप्शन । केरी आन !

श्रीमती सुमित्रा : मैं निवेदन कर रही थी कि ये राजा महाराजा, जिनके महलों के नीचे न जाने कितने किसानों और मजदूरों की हड्डियां उनके महलों की नींव के अंदर पड़ी हुई हैं उनकी वकालात करने के लिए उत्तेजित होते हैं । राजा महाराजा अपने प्रिवीपर्स और विशेषाधिकारों के बारे में इतने जोर से बोल नहीं पाए क्योंकि उनका राजनीति में आने का ढोंग और समाजवाद का ढोंग था लेकिन उनके कार्यकर्ता चमचे, बड़ा अफसोस होता है, बढ़ बढ़ कर इस बात की वकालात करते हैं । कितनी तरह की शराब लाते हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी माफ है, मैं तो उनके नाम भी नहीं जानती किस तरह से ...

श्री जुझारसिंह : सीख जाओगी ।

श्रीमती सुमित्रा : मुझे दुख इस बात का होता है कि आज राजस्थान में सीलिंग कानून लागू है । अलग अलग जमीनों पर अलग अलग । राजस्थान में 30 स्टैंडर्ड से ज्यादा कोई किसान जमीन नहीं रखता लेकिन बीकानेर के महाराजा के पास एक लाख एकड़ भूमि है, लेकिन कहीं उनके लिए सीलिंग की चर्चा नहीं और सबसे बड़ा दुख होता है जब उनकी लैंड रेवेन्यू भी माफ । किसान को चाहे अपनी गाय भैंस बेचनी पड़े, चाहे उसको अपना कपड़ा नीलाम करना पड़े लेकिन उसको भू-राजस्व देना पड़ता है, लेकिन राजा महाराजाओं को

(श्रीमती सुमित्रा)

किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व देने की आवश्यकता नहीं है, । जयपुर महाराजा भवानीसिंह के पास 14 हजार एकड़ भूमि है उस पर कितने यूनिट बिजली जलती होगी, कितने गेलन पानी खर्च होता होगा, इस प्रकार की सुविधा उनको मिली हुई है। लेकिन न सीलिंग की बात न कहीं पानी के खर्चे की बात, न और बात, तो आखिर गरीब किसान जो रात दिन पोष की सर्दी के अन्दर, जब सारी दुनियां अपने गर्म लिहाफ में सोई हुई रहती है, अपने पांव ठंडे पानी में रखा हुआ रहता है जिसमें कभी राजा महाराजा ने पांव न रखा। उनके खेत में बिजली चले तो प्रति यूनिट के 13 पैसे देने पड़ते हैं लेकिन राजा महाराजा के खेत पर लाखों यूनिट बिजली चले उससे एक पैसा भी नहीं लिया जा सकता ।

श्री दिग्विजयसिंह : उप मंत्राणीजी जो बोल रही हैं वह उपमंत्राणी के नाते या सदस्या के नाते ? क्योंकि आप कह रही हैं इर्रीगेशन रेट्स और इलेक्ट्रिसिटी रेट्स के बारे में, परन्तु वह तो अलग-अलग हैं···

एक माननीय सदस्य : राज्य मंत्राणी हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : सॉरी, राज्य मंत्राणी। आप राज्य मंत्राणी की हैसियत से बता रही हैं कि राजा महाराजाओं से रेट्स कम लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते हैं, यह गलत है। इर्रीगेशन और बिजली के रेटस ···

श्रीमती सुमित्रा : नहीं लिए जाते है।

श्री दिग्विजय सिंह : अब लिए जाते हैं। आप 20 साल पहले की बात करती हैं। पानी और बिजली जो कृषि के काम में आते हैं, उसके रेट्स वही लिए जाते हैं जो साधारण किसान से लिए जाते हैं।

श्रीमती सुमित्रा : राजस्थान में पानी बिजली के पैसे देते हैं तो क्या हुआ बाकी प्रान्तों में तो बिजली पानी की है। 100 प्रकार के विशेषाधिकार हैं, उनकी बात कर रही हूं। उन पर मुकदमा नहीं बनता, कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। यह इस प्रकार का विशेषाधिकार है, इस प्रकार की विशेष सहूलियत है जो खत्म की जानी चाहिए। आम जनता के दिल और दिमाग पर इन बातों के विषय में इर्रिटेशन है। इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए हिन्दुस्तान की जनता ने इस बात का फैसला कर दिया है जिस बात को लेकर हमारे देश की प्रधान मन्त्री हिन्दुस्तान की जनता के सामने गई थी, अपने प्रधान मन्त्री के पद को रिस्क में लेकर। उस बात का जनता ने जो फैसला किया है, वह आपके सामने है। आप सदन में प्रस्ताव पास करने की इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि अगले मई महिने में जब लोकसभा बैठने जा रही है, उस समय यदि राजस्थान विधान सभा इस प्रस्ताव को पास कर देती है तो हमारी प्रधान मन्त्री को लोकसभा में इस बात से बड़ी मदद मिलती है और उनका हौंसला बढ़ता है, हाथ मजबूत होते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों से इस बात का निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने जो कुछ कहा है, वह मेरी व्यक्तिगत राय है, मैंने राज्य मन्त्री की हैसीयत से नहीं कहा।

(श्रीमती सुमित्रा)

एक सदस्या के रूप से यहां से बोल रही हूं। इसलिये सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि प्रधान मन्त्री के हाथों को मजबूत करने के लिये समाजवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में यह प्रस्ताव यदि राज्य विधान सभा से पारित होता है, स्वीकार किया जाता है तो उससे प्रधान मन्त्री को भी बल मिलेगा, संसद में जो हमारे प्रतिनिधि गए हैं उनके भी इस बात से हाथ मजबूत होंगे। इसलिए इस प्रस्ताव को हम सबको स्वीकार करके भेजना चाहिए।

श्री सभापति : श्री बिश्नोई आप अनुपस्थित थे, जब आपका नाम पुकारा गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लास्ट में था।

श्री सभापति : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ : जब हम लोग प्रिन्सली आर्डर के खिलाफ लड़ाई करते थे उस समय ...

श्री सभापति : चीफ व्हिप महोदय, प्रस्ताव पर आज ही वोट करना है ?

There seems to be no Minister to reply on behalf of Govt.

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए, फिर जवाब भी हो जाए।

श्री सभापति : टाइम फिक्स करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हैं।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : जब हम प्रिन्सली आर्डर के खिलाफ लड़ रहे थे, जब हिंदुस्तान ने आजादी हांसिल की तो हमारे स्टेट्स के पीपुल्स की कान्फ्रेंस हुई। उस समय राजाओं के साथ समझौते की बात चली। स्टेट्स के दौरान में हमने कभी राजाओं को सावरैन नहीं माना। सावरेंटी राजाओं में निहित थी। हम मानते थे कि जो गवर्नमेंट लड़ रही है रेस्पान्सीबुल गवर्नमेंट के नाम से, उन लोगों में सोवेरंटी निहित है। उसके बाद इन्सट्रूमेंट आफ एक्सेशन आया, कवेनेन्ट्स आए और संविधान फ्रेम होने के आर्टिकिल्स से उसको रेकग्नीशन मिला। जब हमारे स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेंस हुई, सेकंड स्टेज थी न तो प्रिवी-पर्स को लोगों ने माना, न प्रिन्सली आर्डर के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने माना, न जो देश में समाजवाद व्यवस्था लाना चाहते थे, उन्होंने भी नहीं माना। मगर वह चीजें होने के बाद आज 22-23 साल बाद कई बार एजीटेशन हुआ विधान सभा फोरम से, संसद के फोरम से, मगर इस बात को टाला गया। आज सवाल इस बात का है कि 15 दिसम्बर, 1970 को सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो लोगों के दिमाग में रीथिंकिंग पैदा हो गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद् को डिक्टेट कर सकती है ? सुप्रीम कोर्ट इन्टरप्रेट कर सकती है, संविधान की व्याख्या कर-सकती है ? अगर लोक सभा को डिक्टेशन नहीं दे सकती। संविधान में एक प्रीएम्बुल है, डाइरेक्टिव प्रीन्सिपल्स हैं। आज जिन लोगों ने संविधान को फ्रेम किया मेरे पास स्पीचेज हैं। अगर वह पढ़ कर सुनाऊं तो काफी समय लग जाएगा। लेकिन उनका

(श्री केदारनाथ)

मकसद यह नहीं था कि देश में कोई प्रिविलेज्ड क्लास रहे या उनको विशेषाधिकार दिए जाएं और वह राइट आफ प्रापर्टी बन जाए। जब से यह फैसला हुआ लोगों के दिमाग में दो विचार हैं। एक तो इस संविधान को स्क्रैप करके नया बनाया जाए या मौजूदा संविधान में काम्प्रीहेन्सिव संशोधन लाये जायं। मुझे इस बात की नाराजगी है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा जाता है और गोकलनाथ केस में फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप चैप्टर 31 नहीं बदल सकते। फन्डामेंटल राइट्स को बदलने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है। सभापति जी, नाथपाई का बिल पेश हुआ लोकसभा में, तीन साल से लगातार वह बिल आता रहा और उस पर क्या हुआ आप और हम जानते हैं। आपके मार्फत मैं कहना चाहता हूं कि कोन्स्टिट्युशन के प्रीएम्बल में जो शब्द लिखे गये हैं, जो फन्डामेंटल ला आफ लैंड है, वे ये हैं:-

"To secure to all citizens, Justice, social, economic and political Equality of status and of opportunity."

यह फन्डामेंटल ला आफ लैंड है। अब इसके साथ मेल कहां खाती है हमारी प्रिविलेज्ड क्लास ? पर्सनल प्रोपर्टी, राजाओं के प्रिवीपर्स, इन सबका मेल नहीं खाता इसके साथ। रिफ्लेक्शन्स हैं। या तो कोन्स्टिट्युशन को बदल डालें जिसका अधिकार है। इस सम्बन्ध में जो ब्रिटेन के एक्सपर्ट की राय है वह मैं कोट करना चाहता हूं।

Viscount haldane, the then Lord Chancellor of England, in deciding a case on interpretation of Australian Constitution in the Privy Council of England stated:

"The Constitution too, is not an ordinary legal document or legislative enactment to be construed by application of strict principles of interpretation of the Constitution laid down by Courts."

यही नहीं हमारे जजेज की भी राय यह है, जस्टिस विविन बोस ने यह राय व्यक्त की है :-

'We must not forget that the Constitution is a fundamental instrument by which the people of India solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic. The people of India adopted, enacted it and gave it unto themselves to achieve the said objective and secure to all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of Nation. Are we not required, even by the common stand[illegible] for [illegible] of Statutes [illegible] Constitution as to achieve the above objectives and secure to all citizens justice, equality and liberty and

(श्री केदार नाथ)

to promote fraternity as defined in the Preamble"

हम यह बात कहते हैं कि देश में इसके होते हुए दो क्लासेज को रखा है। यह दुर्भाग्य है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट और दूसरे तरीके से हुआ है। यह एक मानी हुई बात है कि केपिटलिस्ट ऑर्डर ने फ्युडेलिस्ट ऑर्डर को समाप्त कर दिया और फ्युडेलिस्ट ने केपिटलिस्ट को समाप्त कर दिया। जब फ्युडेलिस्ट आये तो केपिटेलिस्ट को समाप्त कर दिया। आज समाजवाद आया है तो राजाओं को समाप्त करो। एक्सप्लोटेशन को परस्यूट करना है तो हमारे लिए शर्म की बात है। इसमें दो राय नहीं है कि जो इस बात को मानते हैं कि देश की दिशा बदली है, नया समाज कायम होता है, तो जिन लोगों को ला की दृष्टि से, कुछ कम्युनिटीज को सुविधायें प्राप्त हैं वे समाप्त होनी चाहिये।

प्रश्न इतना ही नहीं है। उस वक्त हमारे स्वर्गीय पंडितजी ने एक फैसला किया। पर्सनल प्रोपर्टीज की बात की। कभी यह खयाल नहीं किया था कि राजाओं के पास इतनी प्रोपर्टीज होगी और इकोनोमी पर इतना इम्पेक्ट पड़ेगा। क्योंकि देश में ऐसे झगड़े पैदा हो रहे थे। पाकिस्तान बनने वाला था इसलिये ये धन्धे करने पड़े।

सभापतिजी, मैं आपको मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जब केन्द्र की सरकार ने ऐसा फैसला किया, 10 करोड़ का तो पेमेंट कर दिया और 55 करोड़ का और मुआवजा मिल जाय, उनकी प्रोपर्टी कायम है। आप कहें, देश के हालात बदल गये हैं। फन्डामेंटल आर्टिकल्स हैं संविधान के। सुप्रीम कोर्ट की बात माननी होगी तो, मैं समझता हूं, यह चीज नहीं आनी चाहिये। जब कभी यह प्रश्न आया तो आज भी कई राजा ऐसे हैं जिनको यह मालूम नहीं है कि मेरे पास कितनी प्रोपर्टी है। कभी गये नहीं, कभी नहीं देखा। ऐसे लोगों की असीमित प्रोपर्टी खत्म होनी चाहिये। प्रिवीपर्स खत्म होने चाहिये, उनके प्रिविलेजेज समाप्त होने चाहिए और उनकी लीडरी समाप्त होती है और उनके सारे राइट्स हैं वह समाप्त होकर आपके और हमारे जो राइट्स हैं बने हुए हैं वे ही उनके रहने चाहिये ला- आफ लैंड एण्ड कोन्स्टिट्यूशन के सामने। मैं समझता हूं कि 23 वर्षों में नये राजा बने हैं, अगर उनके राजाओं के ये स्टेट्स और राइट् समाप्त होते हैं तो जिन लोगों ने 23 साल में जो प्रोपर्टीज फार्म की हैं, वे समाप्त होंगे इसमें कोई शक नहीं हैं।

20, 22 वर्षों में पोलिटिकल प्लेट फार्म्स से, सभापतिजी, एजीटेशन्स हुए हैं। हमारा यह एजीटेशन रहा देश में कि कुछ न कुछ एक प्रकार का सीलिंग हो। हमारे सामने यह प्रश्न था। एक नई लड़ाई शुरू हुई है। मैं अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ फैक्टर्स को लेकर यह सोच लें कि मिड टर्म इलेक्शन हुआ। कौन हारा और कौन जीता। मेन्डेट आपको मिल गया कि मौजूदा हालत में तब्दीली लाओ। इसमें कोई शक नहीं है कि डेस्पेरिटीज को खत्म करो। यह मेन्डेट मिला है। मेन्डेट आपको मिल गया अब इसको कब तक इम्पलीमेन्ट कर पाये

(श्री केदारनाथ)

यह आपके हाथ में है। जिन माननीय सदस्यों ने स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के माननीय सदस्यों ने, बात कही है यह यथोचित नहीं है। हिस्ट्रीज हैं। राजाओं के समय में खुद प्रधान मंत्री थे। खुद ने हिस्ट्री लिखी है। उसमें देखा जाय, उस वक्त के हालात क्या थे। कैसे स्टेट्स आयीं? उनकी ऋ्युएल्टी कहां तक, किस सीमा तक पहुंच गयी। गंगासिंहजी के वक्त में उनकी प्रोपर्टी और पर्सनल लाइफ, प्रिवीपर्स और करेक्टर के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। राजा जीत गये तो हम जानते हैं कि कैसे जीत गये और इन्दिराजी जीत गयी तो हम जानते हैं कि कैसे जीत गयीं। कई फैक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। पैसे का सवाल था। ओपोजिशन लड़ते रहे। उनकी बातें नहीं मानी गयीं। इलेक्टोरेट के दिमाग में यह बात आयी। जो तबका पिछड़ा हुआ था, हरिजन आदिवासी, पढ़े लिखे बेकार हैं, मजदूर तबका, मुझे पर्सनल एक्सपीरियेन्स है, सभापतिजी, उनके दिमाग में बात आयी कि एक बार मौका दे दें चेन्ज का 22,23 साल से लेबर एजीटेशन्स लड़ते रहे हैं। सारे के सारे डिविडेन्ड्स इन्दिराजी के नाम पर ले लें? जो इमेज कायम की 22, 23 वर्ष में उन प्रिन्सिपल को लिया जाय··· उनको इम्पलीमेन्ट किया जावे। तो मैं समझता हूं कि जब आपकी इस जीत का सारा श्रेय इन्द्रिराजी को देते हैं तो बाईस-तेईस साल तक लोग समाजवाद के लिये लड़ते रहे संघर्ष करते रहे क्या वह सारा व्यर्थ गया?

आज इन्द्रिराजी की बात इसलिये कहते हैं कि परसनिलीटी का कल्ट बदल गया और अगर यह कल्ट डेन्जर्स डाइमेन्शन्स एज्यूम कर गया तो कांग्रेस में आज यह अच्छी हालत नहीं है। आज संजीवैया कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट बन गये तो क्या इनकी अपनी कोई वोइस नहीं है? तो आप अगर इस फोड को लेकर आगे चलते रहे और जब तक आपका उसूलों के साथ ऐलाइन्स नहीं होता तब तक समाजवाद के उपयुक्त केडर आप तैयार नहीं कर सकेंगे, और जब तक आप ऐसी सारी समाजवादी विचारधारा वाली फोर्सेज को प्रोपर डाइरेक्शन में चैनेलाइज नहीं करते तब तक परसनिलीटी कल्ट बढ़ेगा, और मैं यह देख रहा हूं कि यह शुरूआत है अगर हमने इसी समय इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने उसूलों से दूर हट कर परसनल कल्ट में बह जायेंगे। यह बात लोकसभा सेशन में में आई, ए.आई.सी.सी. की बैठक भी हो गयी कुछ बातें कही आपने, कुछ बातें उठाई जा रही हैं। तो इन सबको देखते हुए राजस्थान की सरकार क्या कर पावेगी?

सभापतिजी, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि आज अरबन प्रोप्रटी के सीलिंग के लिये और राजा महाराजाओं के प्रिवीपर्सेज की समाप्ति के लिये संसद में बिल आवेंगे। आपके पास अधिकार है, आप अब भी ऐसे कदम उठा सकते हैं कि जब तक ये बिल कानून न बन जायें, शहरी प्रोपर्टी जिनके पास है वे उसे तब तक बेच न सकें। राजा महाराजा अपनी जमीनों को बेच नहीं सकें। ऐसा आप केवल कानून के जरिये से नहीं बल्कि मास लीडिंग से जरिये अखबारों में प्रचार करिये। जन मानस को इसके अनुकूल बनाइये। उन आदमियों को

(श्री केदारनाथ)

जो इन राजा महाराजा की जमीनों में काश्त करते हैं नौकर हैं सदियों से काम करते आ रहे हैं उनके दिमाग में यह चीज ला दीजिये कि ये जमीन उनको ही मिलने वाली है। ऐसा करना आपका फर्ज है। यह एजीटेशन जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक ला में तबदीली लाने से काम नहीं बन सकता। केवल कोन्सटीट्यूशन में एमेन्डमेन्ट करके आप भले ही राजाशाही समाप्त कर दें, पर जब तक जन मानस नहीं बदलेगा तब तक यह सब चलेगा नहीं।

इसके साथ दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसलिये इस प्रस्ताव का मैं हृदय से समर्थन करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि आप सेन्टर को सुझाव दें कि जो राजाओं की परसनल प्रोपर्टी की जो इन्वेन्टरी है उसको री ओपन किया जाय। उसकी री वैल्यू करके री-ऐसेस करके उतनी प्रोपर्टी रखी जावे जितनी किसी एक नागरिक के लिये लायक है। इससे ज्यादा रखने के वे हकदार न हों, जमीन भी वे उतनी ही क़ानून की नजर में, सब एमेनीटीज समाप्त हो, डिग-निटीज समाप्त हो, मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार इसमें पहल करेगी। ठीक है अगले साल चुनाव आयेंगे। सभापतिजी, इस बारे में भी मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। जिन प्रिन्सीपल के नाम पर और जिन उसूलों के नाम पर हम आज तक लड़े, उनके लिये अगर 72 के चुनावों के बाद कदम उठाने की बात करते हैं आप तो यह गलत है। कौन आये कौन रह गये, पोलिटिकल लाइफ में कौन आता है कौन नहीं आता है यह मामूली बात है। असली मुद्दा आज का यह है कि जो चेन्ज हम चाहते हैं वह अपने से आये। हमारे दिमागों में थिंकिंग की वजह से अगर उसको हम प्रोपर डाइरेक्शन्स में चेनेलाइज कर पावें तो डेमोक्रेसी रहेगी, मुझे इसका विश्वास है। वरना जैसी देश में हालत है, वे ही लोग जिन्होंने आपको वोट दिये अगर आप उनके लिये काम नहीं कर पाये सही दिशा में, उनके मानस को चेने-लाइज नहीं कर पाये तो वे ही फोरसेज आपके खिलाफ लड़ेंगी। उस स्थिति में हम लोगों का क्या होगा ? नहीं कह सकता। नेशनल स्प्रिट हमारी समाप्त होने जा रही है। इन्डीविजुअल स्वार्थ में हम डूबते जा रहे हैं। इनसे हमें ऊपर उठना होगा। यह तो आप सब मानते हैं कि देश के नौजवानों का मानस बदल रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के मार्फत राजस्थान सर-कार अपना उचित पार्ट अदा करे।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब की ड्यूअल पोजीशन है। एजीटेशन की और बारगेन करने की उनकी पोलिशी रही है। आज उन्होंने सारी चीजें देखली हैं। तो आज उनको भी देश की बदलती हुई स्थिति को देख कर जल्दी से एक तरफा निर्णय कर लेना चाहिये और बदली हुई फोरसेज को स्वीकार करके पूरे दिल से वे इस दिशा में काम शुरू करें। सेन्टर को सुझाव दें कि हमारे यहां के राजाओं की जो इन्वेन्ट्री है उसको रीऐसेस करें। अरबन और रूरल जो उनकी प्रोपरटी है उसको रीओपन करें, उसका रीवेल्यूशन करें और आज के मुता-बिक उनको भी वही स्टेट्स दें जो हम लोगों का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : चार पचपन हो चुके है, पांच बजे सब कार्यवाही समाप्त होगी समय नहीं बढ़ाना है। पांच मिनिट में क्या भाषण होगा ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : शुरू तो होगा। नहीं तो साल भर के लिये आगे जावेगा।

श्री सभापति : तो ठीक है। पांच मिनिट में राजवी रूपसिंह बोल लें। आप पांच मिनिट में समाप्त कर देंगे।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर): मैं तो यह चाहता था कि समय में बढ़ा दिया जाय। और वास्तव इस बिल के लिये आपका दल वैसे भी कृत संकल्प है तो इसे आप स्वीकार कर लें। अलटीमेटली तो यह ला का मामला नहीं है केवल ओपीनियन है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा :इस पर कोई दिक्कत नहीं है। पर सदस्यों को और बोलना है और इस महीने में एक टर्न और आवेगी।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर): माननीय सभापतिजी, रामानन्दजी ने जो प्रस्ताव प्रिवीपर्सेज और राजाओं के प्रिविपर्सेज को समाप्त करने के बारे में पेश किया है इसका मैं विरोध करता हूं। वैसे तो इस तरह का बिल सुप्रीम कोर्ट से निरस्त भी हो चुका है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मौजूद है तब तक उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसके लिये फन्डामेंटल राईट्स के चेप्टर में हमें तब्दिली करनी होगी। इसके बिना इस तरह से डाईरैक्सन देना, इट एमाउण्ट्स टू कन्टेम्प्ट आफ दी कोर्ट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हाउस में कन्टेम्प्ट कौनसी दशा में होता है ?

राजवी श्री रूपसिंह : जब तक आप कान्स्टीटयूशन में अमेंडमेन्ट नहीं करवें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह हाउस सुप्रीम है।

राजवी श्री रूपसिंह : आप कहते हैं मैं नहीं मानता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपके चीफ व्हीप महोदय ने कहा है कि इस पर वोटिंग नहीं होगा। आप वोटिंग कराइये तो पता लगेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस पर पूरा डिस्कशन होगा। हम भी अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जनसंघ की पोलिसी इस पर कुछ और है। इसलिये हम डिस्कस करेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : आप भी विचार प्रकट कर सकते हैं। तो फिर आगे समय बढ़ा दीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जो प्रस्ताव आया है इसकी मन्शा साफ है। राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्सेज और प्रिविलेजेज बिना मुआवजे के समाप्त किये जायें। ये तो आपकी ही नीति है इस पर मत कराइये, डरते क्यों हैं ?

Page No 121

श्री गिरधारीलाल व्यास : डर कौन रहा है । हम तो इस पर और बहस करना चाहते हैं । मत की कहेंगे तो मत भी करावेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप मत कभी नहीं करावेंगे । आप आज मत नहीं करावेंगे ।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार के प्रातः ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदनकी कार्यवाही 5.00 बजे सोमवार दिनांक 3 मई, 1971 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई ।)

परिशिष्ट 1·

सूची

राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन आफ लैंड ऑनर्स एस्टेट एक्ट, 1963, के अन्तर्गत भूतपूर्व नरेशों की रिज्यूम होने वाली निजी सम्पत्ति में दर्ज कृषि भूमि का विवरण।

क्र.सं.	भूतपूर्व नरेश	तालाब		जंगल		बाग		काश्त योग्य भूमि		गैर मुमकिन		कुल		एक्ट लागू होने के बाद बेची गई भूमि रकबा		रुपये
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10
		बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा बिस्वा
1.	जयपुर	–	–	–	–	–	–	1801	2	1607	8	3411	10	–	–	–
2.	बीकानेर	–	–	–	–	–	–	8459	5	8286	7	16745	12	–	–	–
3.	जोधपुर	470	–	3067	10	292	10	31135	9	3747	10	38712	19	5325	–	5148,600
4.	सिरोही	–	–	1967	4	–	–	2506	18	–	–	2704	2	2036	5	1,47,425
5.	उदयपुर	26	7	450	6	260	1	2114	16	–	–	2851	–	945	5	51,535
6.	डूंगरपुर	674	5	47,955	0	–		7,736	19	–		56,366	4	79	13	12,906.00
7.	जैसलमेर	–		–		471	2	4372	10	–		4,843	12	–		–
8.	कोटा	1442	12	–		2929	18	608	10	–		4,981	0	1838	14	4,54,392.00
9.	बांसवाड़ा	–		9,195	1	–		623	4	94	17	9,883	2	494	1	19,762.00
10.	झालावाड़	–		–		38	4	580	7	–		618	11	–		–

11.	प्रतापगढ़	–		–		–		858	10	32	2	890	12	—		–
12.	करौली	–		–		–		48	15	413	8	462	3	—		–
13.	अलवर	–		2,865	7	196	13	276	6	162	3	3,500	9	—		–
14.	टोंक	–		–		–		2,270	13	–		2,270	13	2270	13	60,215.00
15.	किशनगढ़	148	14	3,073	11	–		12,434	9	–		15,656	14	128	1	9,500.00
16.	कुशलगढ़	–		1,983	10	–		789	15	543	06	3,365	11	—		–
17.	बून्दी	25	8	1,945	1	90	11	4,466	1	–		6527	1	2579	18	2,52,700.00
18.	शाहपुरा	–		–		75	6	719	2	–		791	8	—		–
19.	भरतपुर)															
20.	धौलपुर)	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।														
	योग ..	2,787	6	70,702	10	4,354	5	81,814	1	14,927	1	1,74,585	3	15,697	5	15,67,535.00

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 540 की सूची)

सूची "अ"

क्र. सं.	सड़क का नाम	पंचवर्षीय योजना जिनमें यह सड़कें बनीं	मरम्मत पर वार्षिक खर्चा				
			1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
1.	चूरू-रतनगढ	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	47,084.22	51,344.61	68,238.19	55,239.34	1,01,330.00
2.	चूरू-मालेरी	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	36,054.21	61,884.29	1,03,425.58	7,628.16	54,670.79
3.	चूरू-झुंझुनू (कोटा-झालावाड़)	प्रथम पंचवर्षीय योजना	50,550.00	3,60,94.00	41,158.00	81,431.00	42,805.00

परिशिष्ट-3

(ता. प्र. सं. 541 की सूची)

1.	पुलिस अधीक्षक	श्री गुरमल महमी	अनुसूचित नज जाति
2.	पुलिस अधीक्षक	श्री किशनलाल मीना	अनुसूचित जन जाति
3.	पुलिस अधीक्षक	श्री नमो नारायण मीना	अनुसूचित जन जाति
4.	अपर पुलिस अधीक्षक	श्री हनुमान प्रसाद	अनुसूचित जाति
5.	उप अधीक्षक आरक्षी	श्री नैतराम सिंह	अनुसूचित जाति
6.	उप पुलिस अधीक्षक	श्री नत्थी लाल	अनुसूचित जाति
7.	उप पुलिस अधीक्षक	श्री दाताराम	अनुसूचित जाति
8.	उप पुलिस अधीक्षक	श्री पुखराज सीरवी	अनुसूचित जाति
9.	उप पुलिस अधीक्षक	श्री रामजीवन मीना	अनुसूचित जन जाति
10.	उप पुलिस अधीक्षक	श्री महावीर प्रसाद	अनुसूचित जाति
11.	पुलिस निरीक्षक	श्री बुद्धराम मीना	अनुसूचित जन जाति
12.	पुलिस निरीक्षक	श्री रामप्रसाद मीना	अनुसूचित जन जाति
13.	पुलिस उप निरीक्षक	श्री सोंधराम	अनुसूचित जाति
14.	पुलिस उप तिरीक्षक	श्री सोहनलाल	,,
15.	,,	,, बन्शीधर	,,
16.	,,	,, बोधन राम	,,
17.	,,	,, हरिप्रसाद	,,
18.	,,	,, शिवनारायण	,,
19.	,,	,, लीलाराम	,,
20.	,,	,, श्यामलाल निमेश	,,
21.	,,	,, ओमप्रकाश पंवार	,,
22.	,,	, मदनलाल पंवार	,,
23.	,,	,, घनश्यामलाल	,,
24.	,,	,, झमनलाल	,,
25.	,,	,, मुखराम	,,
26.	,,	,, श्रीराम	,,
27.	,,	,, भगवतस्वरूप	,,
28.	,,	,, वीरेन्द्रसिंह	,,
29.	,,	,, रतनलाल	,,
30.	,,	,, सी. एल. तंवर	,,
31.	,,	,, रघुवीरसिंह	,,
32.	,,	,, श्रवणराम	,,

पुलिस उप–निरीक्षक

33.	पुलिस उप निरीक्षक	श्री प्रहलादराम मीना	अनुसूचित जन जाति
34.	,,	,, फतेह सिंह	,,
35.	,,	,, गौरीशंकर	,,
36.	,,	,, रामनिवास	,,
37.	,,	,, सुखराम मीना	,,
38.	,,	,, चिमनाराम	,,
39.	,,	,, नाथूलाल	,,
40.	,,	,, फतेह सिंह	,,
41.	,,	,, गोविन्दलाल	,,
42.	,,	,, राम हेत	
43.	,,	,, शंकरलाल	,,
44.	,,	,, जगनलाल वर्मा	,,
45.	,,	,, भोपालराम	,,
46.	,,	,, प्रहलाद सिंह	,,
47.	,,	,, उदयसिंह	,,
48.	,,	,, गोकल सिंह	,,
49.	,,	,, जेठमल	,,
50.	,,	,, लीलाधर स्वामी	,,
51.	,,	,, परसराम	,,
52.	,,	,, मुरलीधर मीना	,,
53.	,,	,, पूरणमल मीना	,,
54.	,,	,, नारायणलाल मीना	,,
55.	,,	,, भागीरथ	,,
56.	,,	,, हनुमान प्रसाद	,,
57.	,,	,, जगदीश	,,
58.	,,	,, बन्सी धर	,,
59.	,,	,, प्रहलाद राय	,,
60.	,, (एपी)	,, थावरदास	,,
61.	,,	,, सोभाराम	,,
62.	,,	,, गनपतराम	,,
63.	,,	,, गाला	,,
64.	,,	,, शिवजी	,,
65.	,,	,, लालजी	,,

Page No 127

66.	पुलिस उप निरीक्षक (एपी)	श्री करुबा	अनु. जन-जाति
67.	,,	,, बशीर	,,
68.	,,	,, दूल्हा	,,
69.	,,	,, धावरा	,,
70.	,,	,, खेमजी	,,

परिशिष्ट 4

(ता. प्र. सं. 165 की सूची)

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की श्रेणी के अनुसार जो नियुक्तियां की गई उनका विवरण

वर्ष 1969
दिनांक 1–4–69 से 31–3–70 तक

क्रमांक	वर्ग	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अतिरिक्त	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग
1.	राजपत्रित	254	2	2	258
2.	अधीनस्थ सेवायें	4155	211	118	4484
3.	मिनिस्ट्रियल सेवाएँ	719	76	45	840
4.	चतुर्थ श्रेणी	1087	272	137	1496

नोटः–इस सूचना में 38 विभागों से सूचना प्राप्त नहीं होने से सम्मिलित नहीं की गई है।

वर्ष 1970
दिनांक 1–4–70 से 30–9–1970 तक

क्रमांक	वर्ग	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अतिरिक्त	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग
1.	राजपत्रित	355	45	26	426
2.	अधीनस्थ सेवायें	3854	155	60	1069
3.	मिनिस्ट्रियल सेवायें	308	43	9	360
4.	चतुर्थ श्रेणी	1728	197	152	2077

नोटः–यह सूचना 113 विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर है बाकी, विभागों से सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

Page No 129

परिशिष्ट 5

(तां. प्र. सं. 176 की सूची)

तालिका (क)

क्रम सं. 1	जिला 2	मूर्तियां जो चोरी गई 3	मूर्तियां जो बरामद हुई 4	स्थान जहां से चोरी गई 5	मुकदमें जो दर्ज हुए 6
1.	अजमेर	7	6	सरवाड़, सावर, अजमेर	6
2.	अलवर	13	5	अजबपुरा, मुतैणी, सकत भवंर, तलवरकश मन्दिर, मोती डूंगरी, वालेठा, कुटीर मस्तराम, साधु का टीला, लेवाड़ी	10
3.	भरतपुर	20	7	भरतपुर	23
4.	जयपुर	49	2	आमेर, सांभर, बांदीकुई, चोमूं, जोबनेर, बैराठ, नेवटा, सांगानेर, जयपुर	12
5.	झूंझुनूं	5	3	सिंघाना, पिलानी, नवलगढ, अजीत सागर बांध, खेतड़ी	4
6.	स. माधोपुर	61	20	गढ़ हिम्मतसिंह, जाखोदा लखीपुर, मण्डावर, चिमनगढ़, जसाना, सरोली, मिलोड़ा, सवाई माधोपुर	13 –
7.	सीकर	–	–	–	
8.	टोंक	4	–	डिग्गी मन्दिर कल्याण जी, जैन मन्दिर छोटी पचेवर, जैन नसिया टोंक	3
9.	बीकानेर	–	–	–	–
10.	चूरू	–	–	–	–
11.	गंगानगर	–	–	–	–
12.	बाड़मेर	–	–	–	–
13.	जैसलमेर	4	4	गांधीसागर, बड़ाबाग	2

Page No 130

1	2	3	4	5	6
14.	जालौर	50	50	बेगू अहौर	2
15.	जोधपुर	3	2	जोधपुर, औसियां, मोतीड़ा, बाखर	2
16.	नागौर	7	–	मीठड़ी, छोटी खाट्ट, नागौर, साखांवात, लाडनूं	5
17.	पाली	3	–	रानी	1
18.	सिरोही	5	3	बरमन, सिरोही, नदिया	5
19.	बांसवाड़ा	2	–	बांसवाड़ा	2
20.	भीलवाड़ा	8	3	भीलवाड़ा, मालाखेड़ा रेडापुर, पुलिया, शंकरगढ़, जहाजपुर	8
21.	बून्दी	1	1	नयाबरदा	1
22.	चित्तौड़गढ़	3	1	मैनालमन्दिर, जोगनियापाड़ा कपूर की छतरी, महेन्द्र प्रतापगढ़, जैन मन्दिर, चित्तौड़ गढ़	5
23.	डूंगरपुर	1	–	जैन मन्दिर, थाना	1
24.	झालावाड़	8	4	हताईखेड़ा, नदीचन्द्र भगत, सालोनिया भीमगढ़, मन्दिर शिलादेवी भाग देहूलनपुर जैन मन्दिर, भवानी मण्डी	7
25.	कोटा	8	7	छीपा बडौद, कोटा किशनगंज	5
26.	उदयपुर	7	4	उदयपुर सिटी, भीलों की मदार, ओगना, भूपाल पुरा, घण्टाघर, खेरखेद, आमेठ	7
27.	जी. आर. पी.	–	–	–	
योग	..	269	122		125

परिशिष्ट 6

(ता.प्र.सं. 298 की सूची)

जिन जिन जागीरदारों ने संवत् 2013 की फसली साल के काश्तकारों से अपने हिस्से से ज्यादा भू-राजस्व वसूली की उनका विवरण ।

क्र. सं. 1	नाम जागीरदार 2	जागीर का नाम 3	रकम 4
1.	मुरारदान पुत्र लखूदान बारठ	रिछोली	2194.08
2.	थूडदान पुत्र वीरदान बारठ	मेडीवासन	276.18
3.	माधुसिह पुत्र हीरसिह राजपूत	बुडाबाडा	20.75
4.	भूरसिह पुत्र सोतनसिह खीमसिह पुत्र भेजरसिह	,,	373.44
5.	भगवानसिह पुत्र किशनसिह	,,	712.00
6.	प्रतापसिह पुत्र शिवनाथ सिंह	,,	760.00
7.	उदयराज पुत्र रामसिह	टापर	945.55
8.	नरपतसिह पुत्र रामसिह	,,	881.35
9.	रणजीतसिह पुत्र जवारसिह	,,	620.36
10.	रावतसिह पुत्र बख्तसिह	,,	106.80
11.	समरथ सिह पुत्र अमर सिह लखसिह पुत्र मूलसिह	,,	124.35
12.	पेयकवर पत्नि भवानीदान	पारलू	733.96
13.	गुलाबसिह पुत्र पर्वतसिह	दुधवा	117.67
14.	अर्जुनसिह पुत्र भीमसिह	,,	58.83
15.	अनोपसिह पुत्र सलमसिह	,,	58.83
16.	उदयसिह पुत्र नाथूसिह	,,	58.84
17.	पहाड सिह पुत्र भूरसिह	,,	58.83
18.	प्रतापसिह पुत्र रामसिह	,,	308.19
19.	जालमसिह पुत्र सोनसिह	भीमरलाई	483.06
20.	खीमदान पुत्र हरलाल दान जसकरण पुत्र अचलदान	बडोई चारणान	775.62
21.	खीमसिह पुत्र जवारसिह	नागाना	411.50
22.	अमरसिह पुत्र किशन सिह कानसिह पुत्र किशन सिह	तामावास	871.64

1	2	3	4
23.	इन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह पुत्र मेगसिंह पुत्र जवारसिंह	चान्देसरा	261.23
24.	अचलसिंह पुत्र सोहनसिंह, गणेशसिंह पुत्र गुलाबसिंह, जेठमालसिंह पुत्र हडवन्तसिंह, बनेसिंह पुत्र मूलसिंह	बाकियाग्राम कलां	1004.98
25.	अजीतसिंह पुत्र खुमसिंह, कानसिंह पुत्र पीरसिंह, गणेशसिंह पुत्र शिवदान सिंह व सोहनसिंह पुत्र भेरूसिंह	असरावा दुधावत	2364.87
26.	जुझारसिंह पुत्र बागसिंह, हरिसिंह पुत्र शिवदान सिंह, उदयराज सिंह, मेघसिंह व रतनसिंह पुत्र बागसिंह	आसाडा	1648.72
27.	गणपतसिंह पुत्र पाबूसिंह, चिमनसिंह पुत्र मंगलसिंह, शंकरसिंह पुत्र मानसिंह धानसिंह पुत्र छैलसिंह	सरवडी	3284.38
28.	श्री विक्रमसिंह जागीरदार	पोकरण	22923.29
29.	श्री भभूतसिंह वगैरा	परेउकुम्पलिया	1404.73
30.	गणपतसिंह	,,	3.00
31.	रणजीतसिंह	नीवा की ढाणी	225.08
32.	रामसिंह	चैनपुरा	632.58
33.	सुमेरसिंह	,,	416.17
34.	चतुरसिंह	,,	331.94
35.	भोपालसिंह	गिडासोहडा	564.12
36.	किशनसिंह	छारडा	0.75
37.	सालमसिंह	जून्ड	300.72
38.	गुलाबसिंह	,,	64.98
39.	मुसमात रतन कंवर	दानपुरा	447.47
40.	श्री पहारसिंह	,,	256.23
41.	उदयसिंह	,,	256.23

Page No 133

1	2	3	4
42.	अनोपसिंह	दानपुरा	256.23
43.	अर्जुनसिंह	,,	256.23
44.	अनोपसिंह	झालामलिया	137.38
45.	आइदानसिंह	,,	209.49
46.	सालमसिंह	,,	0.06
47.	अर्जुनसिंह	लावून्द रातराली	1684.59
48.	सीतदानसिंह	पायलयान	692.07
49.	सालमसिंह	खारडा भारतसिंह	709.12
50.	,,	खारड़ा चारणान	7.69
51.	जसकरण सतीदान	दरगूडा	761.10
52.	मुरारदान रतनदान	,,	253.69
53.	धनराज वगैरा	सिहरी आ.	557.29
54.	उम्मेदसिंह वगैरा	अणियाली	163.25
55.	इन्द्रसिंह पृथ्वीसिंह वगैरा	दाखा	163.25
56.	रणसिंह नगसिंह ,,	,,	886.67
57.	अमरसिंह हुकमसिंह	,,	886.67
58.	खीमसिंह रावतसिंह	,,	886.68
59.	मानसिंह राणसिंह	गोलिया	118.90
60.	मंगसिंह लिक्षमनसिंह	मूकान गलसिंह	578.17
61.	भूरसिंह हेमसिंह	,,	0.86
62.	मु. हरकँवर	,,	257.56
63.	फूलकँवर	,,	257.56
64.	मुनसिंह पुत्र लालकंवर	,,	128.78
65.	गंगासिंह पुत्र हमीरसिंह	,,	257.54
66.	पृथ्वीसिंह पुत्र पेलसिंह	,,	138.79
67.	पीरसिंह पुत्र सोहनसिंह	,,	245.97
68.	रावतसिंह वगैरा	जूनामीठा खेडा	1888.24
69.	रूपसिंह वगैरा	धनवा	1516.69
70.	भूरसिंह सुजानसिंह वगैरा	ढेणाली	603.80
71.	चंदनसिंह लालसिंह	करणा	246.77
72.	जोरसिंह पुत्र तखतसिंह	,,	537.10
73.	नेनसिंह रावतसिंह	,,	09.66
74.	पनेकंवर बेवा ओखसिंह	,,	299.1

1	2	3	4
75.	भोपसिंह	धनवा	41.96
76.	किशोरसिंह	,,	41.96
77.	लालसिंह मगसिंह	,,	41,96
78.	चतरसिंह देवीसिंह	,,	62.95
79.	माजी मारयाणी बेवा गुलाबसिंह	,,	62.65
80.	भूरसिंह अजीतसिंह	,,	188.63
81.	सूरसिंह अजीतसिंह	,,	138.83
82.	रूपसिंह सादूलसिंह	,,	83.93
83.	अमरसिंह सादूलसिंह	,,	83.93
84.	माजी चौहानजी बेवा हुकमसिंह	,,	83.93
85.	मकसिंह पुत्र हेमसिंह	,,	251.78
86.	भैरूंसिंह राणसिंह	,,	41.66
87.	शिवसिंह राणसिंह	,,	41.96
88.	कानसिंह जुगसिंह	,,	83.93
89.	मोहनसिंह पुत्र कलसिंह	,,	27.98
90.	पीरसिंह पुत्र मंगलसिंह	,,	27.98
91.	पदमसिंह पुत्र मंगलसिंह	,,	27.98
92.	विजेसिंह पुत्र गंगासिंह	रामसग	112.21
93.	देरावरसिंह पुत्र करणसिंह	,,	98.03
94.	महादानसिंह पुत्र पीरसिंह	,,	2.07
95.	डूंगरसिंह पुत्र गेतसिंह चन्दनसिंह	रामसग जबोला	149.94
96.	अणदसिंह पुत्र मलसिंह	बैसाला	4.09
97.	अणदसिंह पुत्र मलसिंह	बोला	74.94
98.	मंगलसिंह	रामसग बैसाला	4.08
99.	मंगलसिंह	बोला	64.49
100.	भीमसिंह	बैसाला	4.09
101.	भीमसिंह	बोला	149.94
102.	केशरकंवर बेवा विजयसिंह	बैसाला	4.09
103.	उतमसिंह थोकलसिंह	बैसाला	407.05
104.	जवारसिंह नागसिंह वगैरा	तिरस गडी	16.78
105.	लिछमनसिंह मूलसिंह	बैसाला	44.34
106.	श्री अचलदान सोमदान	दूदाबेरी	2.17
107.	जवसिंह कलसिंह	बोला	5.28

1	2	3	4
108.	खींमसिंह हीरसिंह	टूकिया	594.69
109.	विजेसिंह बादरसिंह	डायरिया	755.21
110.	पृथ्वीसिंह कुशालसिंह	सडा	242.55
111.	भैरूं सिंह फतेसिंह	भायला	76.69
112.	हुकमसिंह जवार सिंह	लोलावा	216.94
113.	विरदसिंह धीरमसिंह	माणलाकला	460.90
114.	लालसिंह उम्मेदसिंह	,,	691.35
115.	हमीरसिंह किशोरसिंह	,,	576.13
116.	मंगलसिंह सुलतानसिंह	,,	567.13
117.	जसकरण वगैरा	,,	761.10
118.	मुरारदान पुत्र रतनदान	दरगुडा	253.69
119.	धेरसिंह फतेसिंह	भाटाला	76.69
120.	खीमसिंह पुत्र लखसिंह	,,	76.69
121.	किशोरसिंह पुत्र विजयसिंह	लोलावा	216.95
122.	कुशालसिंह	,,	216.95
123.	हुकमसिंह जवारसिंह	,,	216.94
124.	रावल गुलाब सिंह	खीपर	573.27
125.	मूलसिंह वगैरा	धोखेला	1920.20
126.	नरपत सिंह वगैरा	छितरका पार	3001.59
127.	परतापसिंह वगैरा	जून्ड	221.36
			36087.33

परिशिष्ट 7

(ता. प्र. सं. 427 की सूची)

राजस्थान में नहरी कमाण्ड एरिया की उपलब्ध भूमि जिसका स्थाई आबंटन नहीं हुआ है ।

क्र. सं.	नाम जिला	नहरी भूमि उपलब्ध बीघों में
1.	अजमेर	3318)
2.	कोटा	71122)
3.	भीलवाड़ा	3322)
4.	चित्तौड़गढ़	1908)
5.	सिरोही	1847)
6.	टोंक	10032)
7.	गंगानगर	78710)
8.	झालावाड़	2045)
9.	भरतपुर	4037)
10.	बूंदी	17144)
11.	जालोर	142)
12.	डूंगरपुर	1111)
13.	उदयपुर	7176)
14.	सवाई माधोपुर	12936)
15.	जयपुर	1861)

नोटः— राजस्थान नहर परियोजना में स्थाई आबंटन नियमों के अवैध करार दिये जाने के कारण स्थगित है, अतः अस्थाई आवंटन ही किया जा रहा है ।

परिशिष्ट 8

मन्त्रियों की सम्पत्ति

545. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मंत्रियों की आचार संहिता के अनुसार प्रत्येक मंत्री को अपनी अपनी सम्पत्ति की सूची मुख्य मन्त्रीजी को देनी होती है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री-मन्डल के सदस्यों ने यह सूची दे दी है ?.

(2) क्या सूची में मन्त्री बनने से पूर्व की सम्पत्ति का उल्लेख भी किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मंत्रियों के लिये आचार संहिता का प्रावधान जब से लागू है उस समय से मन्त्रीगण अपनी सम्पत्ति व देनदारी का व्योरा बराबर देते आ रहे हैं।

तहसील पचपदरा के ग्रामों में काश्तकारों को भूमि क पट्टे

546. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील पचपदरा के कुछ गांवों का भू-बन्दोबस्त वर्ष, 1966-67 में हुआ था ? इन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन गांवों के काश्तकारों को भूमि के पट्टे दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ? अब कब तक पट्टे दे दिये जायेंगे ?

(3) पट्टे के अभाव में जिस भूमि पर काश्तकार वर्षों से काश्त करता रहा है और वह भूमि उसी की है, इस सम्बन्धी कोई प्रमाण-पत्र भू-बन्दोबस्त के बाद काश्तकारों को दिया जाता है ?

(4) यदि हां, तो क्या उस प्रमाण के होते हुए भी राजस्व तहसीलदार अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी बेदखली, जुर्माना अथवा फसल की नीलामी की कार्यवाही कर सकते हैं ?

(5) क्या यह सही है कि तहसील पचपदरा के गांव पचपदरा के काश्तकारों से भूमि का कच्चा प्रमाण होने पर भी जुर्माना वसूल किया गया और गांव नेवरी के काश्तकारों की फसल की नीलामी की गई और मण्डली के काश्तकारों को बेदखली के नोटिस दिये गये ?

उत्तर

1. जी हां। इन 16 ग्रामों की सूची संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

2. जी नहीं। स्टाफ की कमी की जाने के कारण भूमि के पट्टे नहीं दिये गये थे, अब स्टाफ बढ़ गया है, जल्द ही यह कार्य पूर्ण किया जायेगा।

3. जिस भूमि पर काश्तकार वर्षों से काश्त कर रहा है उसका पट्टा काश्तकारों को दिया जाता है और यदि किसी कारण-वश पट्टा नहीं दिया गया है तो उसका पट्टा नियमानुसार उजरदारी प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है।

4. जी नहीं, प्रमाण होने पर काश्तकारों की बेदखली, जुर्माना अथवा उनको फसल नीलामी की कार्यवाही नहीं की जाती है।

5. तहसील पचपदरा के ग्राम पचपदरा में काश्तकारों से कच्चा प्रमाण पत्र होने पर जुर्माना वसूल नहीं किया गया। ग्राम नेवरी के काश्तकारों की फसल हाल में लगान व जुर्माना की वसूली में नीलामी नहीं की गई। मण्डली के काश्तकारों को जो अतिक्रमी की तारीफ में आते थे, बेदखली के नोटिस दिये गये हैं।

तहसील पचपदरा के ग्रामों के नाम :

16 ग्राम :

1. बालोतरा
2. आसोतरा
3. रामसीन
4. काकराला
5. पचपदरा
6. मंडापुरा
7. विरडानी
8. उमर लाई खालसा :
   उमर लाई जागीर :
9. पटाऊ खुर्द
10. मण्डली
11. नेवरी
12. बाकिया बास खुर्द
13. डोली कलां
14. गोदावास
15. शिवनगरी
16. खारडी

निगम के अध्यक्ष की विदेश यात्रा पर व्यय

547. श्री केशरी सिंह हाड (हिन्डोली): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष 29–9–70 को फ्रांस की यात्रा पर गये थे? यदि हां, तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या था और फ्रांस में कितने अर्से का आवास रहा और इनकी इस यात्रा का व्यय निगम द्वारा वहन किया गया या राज्य सरकार द्वारा?

(2) यात्रा पर कुल कितना व्यय हुआ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष तारीख 1-11-70 को फ्रांस की यात्रा पर गये। इस यात्रा का उद्देश्य राजस्थान में ट्रेक्टर के कारखाने की स्थापना के लिए तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की दशा में फ्रांस की रैनी रैनाल्ट नामक कम्पनी से समझौते की शर्तों के बारे में विचार विनिमय करना

(कृषि मंत्री)

था। निगम के अध्यक्ष इस कार्य के लिए फ्रांस में 10 दिन ठहरे। इस यात्रा का व्यय निगम द्वारा वहन किया गया।

(2) निगम के अध्यक्ष की यात्रा के सम्बन्ध में किराये पर 5900) रु. खर्च हुआ है। दैनिक भत्ता आदि के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

ग्राम पहाड़ी में भूमि पर कब्जा

548. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील बहरोड़ (अलवर) के तहसीलदार ने तारीख 23-5-1962 को ग्राम पहाडी तहसील बहरोड (अलवर) के निवासी स्याली पिरभू वगैरह के खिलाफ दफा 91 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट की कार्यवाही समाप्त करके उनको आराजी नम्बरान 1334, 1339, 1340 व 1110, 1112, 1106, 1109 व 1283 पर मालिक तसव्वुर कर लिया गया है?

(2) क्या यह सही है कि हरिचन्द हरिजन पहाडी की उस सम्बन्ध में अपील पर ए. डी. एम., अलवर ने तारीख 23–9–63 को तहसीलदार, बहरोड के फैसलों को रद्द करने के लिए रैवेन्यू बोर्ड को रेफरैन्स किया?

(3) क्या यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड ने तारीख 12-11-1965 को ए. डी. एम., अलवर के रैफरेंस को मंजूर करके तहसीलदार बहरोड की आज्ञा तारीख 23-5-1962 को मंसूख कर दिया और दुवारा दफा 91 कानून मालगुजारी के तहत कार्यवाही के लिए आज्ञा जारी की? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है? अब इस जमीन पर किसका कब्जा है?

उत्तर

(1) यह सही है कि तहसीलदार, बहरोड ने दिनांक 23–5–62 को ग्राम पहाडी तहसील बहरोड के प्रभू, स्याली वगैरह के विरुद्ध कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 में भूमि ख. नं. 1334, 1339, 1340 व 1110, 1112, 1106, 1709 व 1283 पर उन्हें मालिक तसव्वुर कर दिया था।

(2) यह सही है कि तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल को रैफरेन्स किया गया था।

(3) जी हां, यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड ने उक्त रैफरेन्स तारीख 12–11–65 को स्वीकार करके मुकदमा फिर तहसील को रिमाण्ड किया गया। बन्दोबस्त सं. 2020 सन् 1963 में यह रकबा विभिन्न व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज हुआ। खातेदारान सं. 2020 से लगान भी दे रहे हैं। जो रिपोर्ट पटवारी खिलाफ गैर सायलान प्रभू, स्याली इत्यादि धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही चालू थी दिनांक 10–11–70 निरस्त कर दी गई। आराजी खातेदारान काश्तकारान प्रभू, स्याली इत्यादि के कब्जे में ही है तथा वे ही इस आराजी को काश्त कर

(राजस्व मंत्री)
रहे हैं ।

गिनाणीं खुदाने का कार्य

549. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ):** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि सरदारशहर की नई गिनाणी खुदाने के लिये राज्य सरकार और किसी सेठ ने काफी बडी धनराशि नगरपालिका को दी थी ? यदि हां, तो कितनी और कब ? उस समय चैयरमेन कौन था ?

2. क्या यह सही है कि उक्त धनराशि से नई गिनाणी खुदाने का काम किया गया था ? यदि हां, तो इस कार्य में कितना रुपया खर्च हुआ और कितना काम हुआ ?

3. क्या किसी तकनीकी अधिकारी से इसका तखमीना बनवाया गया था ? यदि हां, तो किस से व कब ? कितने का तखमीना था ?

4. क्या जो काम करवाया गया वह किसी तकनीकी अधिकारी की देखरेख में करवाया गया था ? क्या जो काम हुआ उसकी नापजोख किसी तकनीकी अधिकारी ने की थी ? यदि हां, तो किसने और कब ?

5. क्या जो काम हुआ और रकम का चुकारा किया गया वह नियमानुकूल हुआ ? क्या यह सही है कि इस रकम में भारी घोटाले की शिकायतें हैं और इस नगरपालिका के स्टेशन चुंगी नाके, नेहरू पार्क निर्माण आदि में भी भारी घोटाले पकडे गये हैं ? स्वायत्त शासन विभाग ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

6. क्या निरीक्षण करने वाले अधिकारियों ने इन तथ्यों को देखा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

1. जी नहीं ।
प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

2. जी नहीं ।
प्रश्न के खन्ड के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

3. प्रश्न के खण्ड 1 के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

4. ,, ,, ,,

5. प्रश्न के खण्ड 1 के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

नगरपालिका के स्टेशन चुंगी नाके का जो गबन का मामला पकड़ा गया, उसके हिसाब की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा विशेष जांच करवाली गई है। अब जिलाधीश चूरू से सुपरवाइजरी नेगलिजेन्स का पता लगाने सम्बन्धी जांच करवाई जा रही है ।

नेहरू पार्क निर्माण में तथाकथित अनियमितताओं की जांच हेतु जिलाधीश, चूरू ने परगना अधिकारी, चूरू को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

6. प्रशासक ने चुंगी नाके के निरी-

(स्वायत्त शासन मंत्री)
क्षण के समय पाई गई गड़बड़ी पर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की।

कोटा व झालावाड की सडकों की मरम्मत

550. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. कोटा व झालावाड पी.डब्ल्यू.डी. क्षेत्र में बाढ व अकाल सहायता मद से पिछले दो सालों में किन किन सडकों पर कितना कितना रुपया खर्च किया गया है ?

2. क्या यह सही है कि नई बनाई गई बतलाई हुई सडकों में से बहुत सी ऐसी हैं जिन पर लाखों रुपये खर्च हो जाने के बाद भी कोई काम नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन सी ? यह भी बतावें कि झूंठी रिपोर्ट दिये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

3. क्या यह सही है कि बाढ सहायता के नाम से अनेकों ऐसी सडकों की मरम्मत करवाया जाना बताया गया है जो बाढ से खराब नहीं हुई थी व बहुत सी ऐसी सडकों को ठीक नहीं करवाया गया है जिन पर बाढ से बहुत अधिक नुकसान हुआ था ? कृपया बाढ से ग्रस्त होने वाली सडकों के बाबत कलेक्टर कोटा व झालावाड की रिपोर्ट की कापी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

4. क्या यह सही है कि राजगढ-सांगोद सडक पर बाढ से सब से अधिक नुकसान बताया गया था ? अगर हां, तो इस सडक के किसी भी हिस्से की मरम्मत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति, डीडवाना के प्रधान के विरुद्ध मामला

551. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. 1 अप्रेल, सन् 62 से लेकर अब तक जिला नागौर के किस किस थाने में किस किस तारीख को किस किस धारा के अन्तर्गत श्री नेनाराम, प्रधान, पंचायत समिति डीडवाना के विरुद्ध मुकदमे रजिस्टर हुए हैं ?

2. किन किन मुकदमों का कब कब चालान किया गया ? किन किन में किस आधार पर कब कब फाइनल रिपोर्ट दी गई और कौन कौन से मामले अभी तक तफतीश में है और क्यों ?

(स्थगित किया गया)

बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ सडक

552. श्री विठठल भाई (पीपलखूंट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. जिला बांसवाड़ा में बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ सड़क बनाने में कितने माइल की स्कीम थी और अब तक कितने माइल सडक बनी है और कितनी बाकी है ?

2. क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर अकाल सहायता कार्यों के नाम पर धन-

(श्री विट्ठलभाई)
राशि खर्च की गई थी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि खर्च हुई और कितनी माइल सडक बनी ?

3. क्या अब भी बाकी सड़क को बनाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. 36 मील लम्बी रोड़ बनाने की योजना थी, जिसमें से 28 मील सड़क का निर्माण हुआ है ।

2. जी हां 12,06,663/- रुपये खर्च हुए और 13-1/2 मील में मिट्टी का कार्य 6 मील में सीलिंग व मिट्टी दबाई व कुछ पुलियाएं निर्माण किए ।

3. जी हां । 1,44,000 रुपये का प्रावधान वर्ष 71-72 में किया गया है ।

देशी व विदेशी गाडियों की खरीद

553. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. स्टेट गैरेज, राजस्थान द्वारा गत पांच सालों में देशी व विदेशी कितनी गाडियां खरीदी गईं ? हर साल की कीमत के आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

2. स्टेट गैरेज में कुल कितनी कारें, जीपें, स्टेशन वैगन आदि वाहन हैं ? उनमें कितनी चलने के काबिल हैं व कितनी कब से बेकार पडी हैं ?

3. स्टेट गैरेज में गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी कीमत के टायर्स व अन्य मोटर पार्ट्स खरीदे गये ?

4. स्टेट गैरेज पर हर साल कुल कितना खर्चा होता है ?

5. क्या यह सच है कि स्टेट गैरेज की कुछ कारें, दिल्ली, आबू व उदयपुर आदि स्थानों पर भी मंत्रियों के उपयोग के लिये रहती हैं ? यदि हां, तो कितनी गाडियां कहां कहां पर रहती हैं ?

6. क्या यह भी सच है कि स्टेट गैरेज में कुछ बसें व कारें टूरिस्ट लोगों के लिये हैं ? यदि हां, तो कितनी और उनसे साल में कितनी आमदनी होती है और कितना खर्चा होता है ?

उत्तर

1. स्टेट गैरेज राजस्थान ने गत पांच वर्षों में 12 विदेशी और 85 देशी गाडियां खरीदी हैं । गाडियों की हर साल की कीमत के आंकड़े तालिका 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिये हैं ।

2. स्टेट गैरेज में कारें जीपें, स्टेशन वैगन आदि की कुल संख्या 96 है । 92 गाडियां चालू हालत में हैं । शेष 4 गाडियां तालिका 'ख' के अनुसार बेकार पड़ी हैं ।

3. स्टेट गैरेज में गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष खरीदे गये टायर व अन्य मोटर पार्ट्स की कीमत का विवरण तालिका 'ग' में प्रस्तुत है । गत पांच वर्षों से कोई पार्ट्स या अन्य सामान स्टोर में अनुपयोगी नहीं पडा है ।

4. स्टेट गैरेज पर हर साल स्टाफ

(मुख्य मंत्री)

वेतन, बिजली, पानी, टेलीफोन आदि पर खर्च का विवरण तालिका 'ध' में प्रस्तुत है।

5. जी हां। स्टेट गैरेज की कुछ गाडियां दिल्ली, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा पर मंत्रियों के उपयोग के लिये रहती हैं। स्थान एवं गाडियों की संख्या का विवरण तालिका 'च' में प्रस्तुत है।

6. जी हां। स्टेट गैरेज में केवल तीन कारें टूरिस्ट लोगों के लिये हैं। बसें नहीं हैं। साल में होने वाली आमदनी एवं खर्च का विवरण तालिका 'छ' में प्रस्तुत है।

———————

तालिका (क)

तारांकित प्रश्न संख्या 28।म. थं.–श्री जयनारायण सालोदिया द्वारा

स्टेट मोटर गैरेज द्वारा गत 5 वर्षों में खरीदी गई गाड़ियां और उनकी कीमत का वार्षिक आंकड़ों का विवरण

वर्ष	विदेशी गाड़ियां		देशी गाड़ियां		कुल योग	कुल मूल्य	विशेष
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य			
1966–67	–	–	23	404360/-	23	404360/-	–
1967–68	–	–	14	268961/-	14	268961/-	–
1968–69	5 (4 गाडियां पर्यटन विभाग ने और 1 गाड़ी राजभवन से सरेन्डर की थी)		16	300739/-	21	300739/-	इसमें 5 विदेशी सरेन्डर की गई गाड़ियों की कीमत शामिल नहीं है।
1969–70	3 (2 पुरानी गाड़ियां राज भवन ने सरण्डर की और 1 खरीदी)	67274	15	285382/-	18	352661/-	राज भवन द्वारा सरेन्डर की गई दो गाड़ियों की कीमत शामिल नहीं है।
1970–71	4	296304)	17	331934/-	21	628238/-	

तालिका (ख)

तारांकित प्रश्न संख्या 281मु. मं. (श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य विधान सभा

स्टेट मोटर गैरेज की गाड़ियों की संख्या की तालिका

क्र. सं.	गाड़ियों का विवरण	गाड़ियों की संख्या
1.	विदेशी गाड़ियां	22
2.	छोटी गाड़ियां	64
3.	स्टेशन वेगन	4
4.	ट्रक	2
5.	ब्रेक डाऊन	1
6.	आर. जे. टी. आर.	3
	योग :–	96

उपरोक्त गाड़ियों में से 4 बेकार पड़ी हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

विदेशी गाड़ियां

1	सी. डी. 946 फोर्डरेन्च वैगन	छात्रों द्वारा नष्ट कर दी गई करीब 6 माह पहले।
2	बी. एल. 7376 फोर्ड फलकन	मेजर दुर्घटनाग्रस्त करीब 6 माह पहले।
3.	आर.एस.एल. 1629 फोर्ड मरकरी	मरम्मत कार्य चालू कर दिया गया है।
4.	आर.जे.टी.आर. 1744 फोर्ड रेन्चवैगन	पिछले 9 माह से स्पेयर पार्ट्स बाजार में उपलब्ध न होने के कारण से।

तालिका (ग)

तारांकित प्रश्न संख्या 281 मु. मं. श्री जयनारायन सालोदिया, सदस्य विधान सभा

स्टेट मोटर गैरेज में गत 5 वर्षों में खरीदे गये टायर ट्यूब एवं पार्ट्स के मूल्यों का विवरण

वर्ष	कीमत रुपयों में
1965–66	41,929
1966–67	54,929
1967–68	99,301
1968–69	93,075
1969–70	94,677

तालिका (घ)

तारांकित प्रश्न संख्या 28।मु. मं.–श्री जयनारायण व्यास द्वारा
स्टेट मोटर गैरेज के गत 5 वर्षों के खर्च का विवरण (रु. लाखों में)

क्र.सं.	व्यय का विवरण	1965–66	66–67	67–68	68–69	69–70	विशेष
1.	वेतन, यात्रा, मंहगाई भत्ता आदि	1.38	1.88	2.75	3.81	4.20	लाख रु.में
2.	टेलीफोन, पानी, बिजली एवं वर्कशाप पर होने वाला खर्च	0.72	1.03	1.48	1.60	1.53	,,
3.	पैट्रोल, उपस्नेह आदि	10.84	17.11	17.04	19.37	18.84	,,
	कुल योगः–	12.94	20.02	21.27	24.28	24.57	,,

तालिका (च)

तारांकित प्रश्न संख्या 18।मु. मं. श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य विधान सभा स्टेट मोटर गैरेज की गाड़ियां जो देहली आदि स्थानों पर मन्त्रियों के उपयोग हेतु रहती है।

क्र. सं.	स्थान का नाम	गाड़ियों का विवरण	कुल योग
1.	उदयपुर	1 विदेशी बड़ी गाड़ी, 4 एम्बेसडर गाड़ी	5
2.	जोधपुर	1 स्टेशन वैगन, 1 एम्बेसडर गाड़ी	2
3.	बीकानेर	1 स्टेशन वैगन, 1 एम्बेसडर	2
4.	अजमेर	2 एम्बेसडर	2
5.	कोटा	1 एम्बेसडर	1
6.	देहली	1 विदेशी बड़ी गाड़ी, 2 एम्बेसडर गाड़ी	3
		कुल योगः—	15

तालिका (छ)

तारांकित प्रश्न सं. 28।मु.मं. श्री जयनारायण सालोदिया द्वारा टूरिस्ट गाडियों

खर्च

गाडी का नं.	पेट्रोल एवं तेल		मरम्मत	चालक का वेतन	अन्य भत्ते
आ.जे.टी.आर. 152	14514.50	939.00	12691.95	3862.00	404.25
,, 154	16122.60	765.00	14465.51	3238.37	543.75
,, 174	8831.70	462.00	4192.23	3216.91	380.50
योग:—	38968.80	2166.00	31358.69	10317.27	1328.50

की आमदनी एवं खर्च का विवरण (1–4–70 से 28–2–71 तक)

			आमदनी		
वर्दियां	अन्य कर	योग	टूरिस्ट से	मंत्रियों से	योग
165.09	227.50	32804.29	432.40	29824.70	30257.10
165.09	227.50	35,527·82	7149.30	27010.30	34159.60
165.09	227.50	16,975.92	2248.65	13502.10	15750.75
495.27	682.50	85308.03	9830.35	70336.10	80167.45

ग्राम बोदल में भूमि का अलाटमेंट

554. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. क्या यह सही है कि तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम बोदल की खसरा नं. 199 की 344 बीघा भूमि जंगलात से मुक्त की गई थी ? अगर हां, तो कब व क्यों ? कृपया रिलीज के आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र सन् 70 में आमन्त्रित किए गए थे ? अगर हां, तो फिर आवंटन की कार्यवाही क्यों स्थगित की गई ?

3. क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि मार्च, 71 में एलाट करदी गई है ? अगर हां, तो किन किन को ? कृपया नाम रकबा व निवास के स्थान की विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें।

4. उपरोक्त भूमि पर पूर्व से किन का कब्जा कब से चल रहा है ?

उत्तर

2. तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम बोदल के खसरा नं. 199 की 344 बीघा भूमि जंगताल से दिनांक 19-9-70 को मुक्त की गई थी, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

2. सन् 1970 में भूमि आवंटन का प्रोग्राम बनाया गया था उस समय मौके पर सरपंच ने जिलाधीश के समक्ष यह अनुरोध किया था कि समय कम होने के कारण बहुत से काश्तकार प्रार्थना-पत्र देने से रह गये हैं इसलिए आवंटन स्थगित किया जाकर दुबारा मीटिंग बुलाई जावे सरपंच का अनुरोध मान लिया गया था।

3. दिनांक 15-3-71 व 16-3-71 को उपरोक्त भूमि का अलॉटमेन्ट किया गया जिसकी सूची संलग्न है।

4. उपरोक्त भूमि दिनांक 19-9-70 को वन विभाग से राजस्व विभाग में स्थानान्तरित हुई है। पूर्व में वन विभाग का कब्जा था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पिक्चर पॅलेस सिनेमा, उदयपुर

555. श्री दुर्गालाल बाकदार (हवा महल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

उदयपुर नगर का पिक्चर पैलेस सिनेमा कितने वर्षों के लिये लीज पर दिया गया था और कितने रुपयों पर ? क्या कोई लीज एग्रीमेन्ट लिखाया गया है ? यदि हां, तो एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उदयपुर नगर का पिक्चर पॅलेस इस विभाग के अधीन नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

रायपुर तहसील के पहाड़ी इलाके के लोगों से जुर्माने की वसूली

556. श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

1. क्या यह सही है कि रायपुर तहसील जिला पाली में पहाड़ी इलाके में अधिकतर रावत और मेहरात जाति के छोटे छोटे और गरीब काश्तकार निवास करते हैं ?

2. क्या यह सही है कि इस इलाके में गैरमुमकिन भागर की. जो जमीन सेटलमेण्ट में दर्ज है वहां कई जगह इन काश्तकारों के मकान व बाड़े बने हुए हैं, जो बहुत पुराने हैं ?

3. क्या यह सही है कि धारा 91 के तहत नियमानुसार नियमन करने में जो रकम बारानी भूमि की रेट से व 35 गुणा जुर्माना वसूल करने का परिपत्र है उसके अनुसार इन गरीब लोगों को रकम अदायगी बड़ी मुश्किल व न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती ?

4. क्या ऐसे इलाके में इन लोगों को रियायती दर पर नियमन करने का आदेश राज्य सरकार जारी करेगी ?

उत्तर

1. जी हां।

2. यह सही है कि इस इलाके में गैरमुमकिन भाकर इत्यादि में नये व पुराने मकान व बाड़े बने हुये हैं।

3. कृषि भूमि के विनियमन हेतु 35 गुणा लगान व पेनल्टी वसूल करने के आदेशों पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार करके अब यह आदेश जारी कर दिये हैं कि विनियमन में कोई पेनल्टी वसूल न की जावे।

4. इसका उत्तर प्रश्न के भाग 3 में अंकित है।

जैसलमेर जिले के काश्तकारों को ट्रेक्टरों के लिये ऋण

557. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

1. क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में लघु सिंचाई के कार्य से काफी खडीन निर्माण हुआ है और ट्यूब वैल के माध्यम से भी काफी सिंचाई सम्भव हो गई है ? अगर हां, तो क्या कारण है कि बैंक उपरोक्त जिले के किसानों को ट्रेक्टर ऋण नहीं दे रहा है और भविष्य में सरकार बैंकों को ऐसे निर्देश देगी जिससे किसानों को ऋण प्राप्त हो सके ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण है।

2. क्या यह भी सही है कि कृषि उद्योग निगम ने भी जैसलमेर जिले के किसानों के लिये ट्रेक्टर देने के लिये नियमित रूप से कोटा तय नहीं किया है ? अगर हां, तो उपरोक्त जिले के किसानों को ट्रेक्टरों से वंचित क्यों रखा जा रहा है ?

उत्तर

1. जी हां। ट्रेक्टर ऋण न मिलने की सूचना राज्य सरकार को नहीं है, फिर भी यदि स्पेसिफिक केस सरकार के ध्यान में

(कृषि मंत्री)
लाया जावेगा, तो उस पर आवश्यक कार्य-वाही की जावेगी।

2. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम ने आयातित ट्रैक्टरों के आवंटन हेतु नियम बनाये हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक जिले में ट्रैक्टर कृषि उत्पादन के आधार पर दिये जाते हैं। कृषि उत्पादन के आधार पर जैसलमेर जिले में ट्रैक्टर आवंटन की संख्या शून्य प्रतिशत है, फिर भी जैसलमेर जिले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निगम ने जैसलमेर जिले में भी समय समय पर ट्रैक्टर आवंटित किये हैं।

गंगानगर शहर में आवास व्यवस्था

558. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गंगानगर शहर की कितनी आबादी है?

(2) इस शहर में कितने परिवार गन्दी बस्तियों में झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं?

(3) शहर के फैलाव व इन लोगों को व अन्य बेघर लोगों को समुचित तरीके से बसाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

(4) आस-पास की जमीन को अवाप्त करने में अब तक की गई ढिलाई के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 1971 की जन गणना के अनुसार आबादी 89,142 है।

(2) करीब 2500 परिवार।

(3) आबादी क्षेत्र के विस्तार के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(4) ढिलाई नहीं की जा रही है।

बयाना-तालचिरी सड़क

559. श्री रामकिशन (वैर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) बयाना से तालचिरी (तलहटी रोड) रोड का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ? इस सड़क को कब तक बनाने का लक्ष्य था? अगर यह सड़क समय पर नहीं बनाई गई है तो उसके क्या कारण हैं? अब इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क के बीच से करीब-करीब 10-12 नाले बहते हैं और इन पर पुल तथा पुलियों का निर्माण बहुत जरूरी है? अगर हां तो इन पुलों के निर्माण के लिए क्या इस वर्ष धनराशि का प्रावधान कर दिया गया है? अगर हां, तो कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

उत्तर

(1) कार्य वर्ष 19-2-6 में आरम्भ किया गया था। भूमि अवाप्ति नहीं होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका, भूमि की अवाप्ति होते ही कार्य पूरा करा दिया जावेगा।

Page No 154

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। धनराशि का प्रावधान विचाराधीन है।

आम रास्ते रोकने के मामले

56. श्री ... (...) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) गत तीन वर्षों में नगर परिषद, जयपुर के क्षेत्र में आम रास्तों को रोकने के कितने मामले नगर परिषद् में विचारार्थ आये कितनों का निर्णय हुआ तथा कितने अभी तक विचाराधीन हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर हाउस स्थित कल्याण कालोनी, जयपुर के ... की तरफ के आम रास्ते रोकने विषयक मामला नगरपरिषद में कब आया तथा उसके सम्बन्ध में नगर परिषद द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त रास्ते को रोक देने से आवागमन में भारी बाधा उपस्थित हो गई है ?

(4) यह रास्ता किसने और कब रोका तथा उस आम रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचनानुसार सार्वजनिक मार्गों (आम रास्तों) को पूर्णतया रोके जाने बाबत गत तीन वर्षों में कोई भी शिकायत का आना नहीं पाया जाता।

20 सार्वजनिक मार्गों के अतिक्रमण की जानकारी मिलते ही कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करदी जाती है।

3 प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। निजी बस्तियों के मार्गों को रोके जाने के सम्बन्ध में यदा-कदा ऐसी शिकायत आती रहती हैं जिन पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) दिनांक 5-6-70 को शिकायत प्राप्त हुई कि कल्लू नाम के एक व्यक्ति ने कल्याण कालोनी, जो एक निजी बस्ती है, के रास्ते में पत्थर डाल रखे हैं।

प्राप्त सूचनानुसार नगर परिषद् द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर उक्त रास्ता साफ करवा दिया गया और अब किसी को कल्याण कालोनी में जाने आने में कोई रुकावट नहीं है।

(3) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(4) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

... क्षेत्र में दी गई वृद्धावस्था पेन्शन

61. श्री ... (कठूमर) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र के कितने वृद्धों को वृद्धावस्था पेन्शन आज तक दी गई है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गत 3 वर्षों में इस क्षेत्र के कितने वृद्धों के पेन्शन हेतु आवेदन-पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ?

(श्री गंगासहाय)

(3) क्या प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर सम्बधित अधिकारियों ने समुचित कार्यवाही कर उनके केसेज को निपटा दिये हैं।

उत्तर

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कठूमर में अब तक 9 ही व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गयी है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्राप्त सूचना के आधार पर गत 3 वर्षों में केवल 4 ही आवेदन-पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को प्राप्त हुये है।

(3) जी हां।

निम्न 9 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन दी गई :–

	प्रार्थी का नाम मय पिता के	गांव	किस तारीख से दी गई
1.	श्रीमती पांची पत्नी रामचन्द्र	खेड़ली	1-12-65
2.	श्रीमती सुखदेई पत्नी मांगेलाल	इमलाली	1-2-66
3.	श्री मंगाराम पुत्र चेकूराम	खेड़ली	1-6-68
4.	श्री बिसनाराम पुत्र नन्दराम	पहाड़ी	1-1-69
5.	श्रीमती धनवन्ती बेवा बिसनाराम	खेड़ली	1-1-69
6.	श्री देवदास पुत्र बलदेवदास	किरोड़ी कुंड	1-11-69
7.	श्री सुलेमान पुत्र मुकन्दा	बसई	1-11-69
8.	श्रीमती मुट्टी पत्नी लक्ष्मीचन्द	नयागंज खेड़ली	1-8-69
9.	श्री रमणलाल पुत्र कन्हैयालाल	हनीराम	1-11-69

तहसीलदार, देवली द्वारा धारा 91 के तहत फैसल किये गये मामले

562. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान तहसीलदार, देवली ने अपने पद का देवली तहसील में चार्ज लेते समय कितने केस धारा 91 के तहत अपने चार्ज में लिये तथा अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान कितने केस फैसल किये तथा अब स्थिति क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त केसेज में से कितनी मिसलें कितने खातेदारों के कब्जे रेग्यूलराइज करने हेतु आई तथा कितनों को खातेदारी हक प्राप्त हुए ?

(3) यदि रेग्यूलराइज नहीं किये गये, तो अब कब तक उनको रेग्यूलराइज कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) देवली तहसील के वर्तमान

(राजस्व मंत्री)

तहसीलदार श्री कृष्ण शर्मा ने अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान धारा 91 के तहत कुल 7838 केसेज में से 488.. केसेज के संबंध में निर्णय दिया है, जिसमें से 787 केसेज के संबंध में विनियमन करने ए: 4096 केसेज के संबंध मे बेदखल करने के बारे में आदेश दिये गये हैं और अब तक 2955 केसेज के बारे में निर्णय दिया जाना शेष है।

(2) 787 मामलों में विनियमन के आदेश दिये गये हैं।

(3) शेष केसेज को भी शीघ्र निपटाने की कार्यवाही जारी है।

शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

563. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1970-71 में समाज कल्याण विभाग द्वारा किन किन शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया गया है ? और कितना कितना ? कृपया सूची मय नाम व राशि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अनुदान वर्ष 1970-71 के अन्त में दिया गया है ? यदि नहीं, तो कौन कौन सी तारीखों में दिया गया है ?

(3) समाज कल्याण विभाग द्वारा जो ऋण या अनुदान दिया जाता है उसके आधार क्या हैं ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा किसी शिक्षण संस्था को अनुदान नहीं दिया जाता। अतः सूची का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इस संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(22-4-71)

लाल कोठी स्कीम में अवाप्त भूमि

425. श्री भैरोंसिंह शेखावत : (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विगत 2 वर्षों से जयपुर नगर विकास न्यास की लाल कोठी स्कीम में जो जमीन एक्वायर की गई है उनमें से किन किन व्यक्तियों को एवज में रिहायशी प्लाट दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें हरएक कितने का एन्टाइटल्ड था और कितना उसे वास्तविक में तथा उसके कहने से दूसरों को कितने प्लाट दिये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 9

(ता.प्र.सं. 278 सूची)

Statement showing the details of chemicals purchased, sold and their balance from 1960-61 to 1970-71

Year	Chemicals purchased	Balances of previous year	Total	Sales	Balance at the end of year
1960-61	2,01,330.00	—	2,01,330	40,,	1,61,108
1961-62	4.78,868/-	1,61,108	6,39,976	58,553	5,81,423
1962-63	2,72,483 -	5 61, 23	8,53,906	2,04,862	6,49,044
1963-64	6,49,639 -	6,49,044	12,98,683	5,71,279	7,27,400
1964-65	9,64,571 -	7,27,404	16,95,975	10,27,904	6,64,071
1965-66	26,39,584/-	6'64,071	33,03,655	23,67,681	9,35,974
1966-67	35,62,740/-	9,35,974	44,98,714	32,11,[illegible]24	12,87,[illegible]90
1967-68	69.87,262 -	12,07,190	32,74,442	34,91,675	47.82.767
1968-69	27,81,838-	47,82,767	75,24,605	18,81,2[illegible]1	56,43,394
1969-70	—	56,43,394	56,43,394	13,40,878	43,02,516
1970-71	1,55,114-	43,02,516	44,57,630	28.05.000	16,52,630

Statement showing the district-wise distribution and allocation of pesticides for the year 1967-68; 68,-69, 69-70 and 1970-71.

Name of the District	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
1. Ajmer	6,31,790	1,62 242	—	1,803
2. Alwar	6,23,903	1,59,517	—	4,506
3. Bharatpur	4,99,090	76,233	—	7,910
4. Banswara	62,140	57,121	—	—
5. Bhilwara	8,17,075	5,21,080	—	27,038
6. Bundi	1,67,933	1,32,236	—	—
7. Barmer	300	4,691	—	—
8. Churu	10.940	5,716	—	—
9. Dungarpur	60,400	38,353	—	4,506
10. Chittorgarh	5,60,755	2,36,098	—	—
11. Ganganagar	8,13,397	5,28,047	—	—
12. Hanumangarh	5,79,238	21,180	—	
13. Jaipur	3,80,560	76,504	—	34,532
14. Jodhpur	1,29,850	55,425	—	20,920
15. Jhalawar	3,66,513	8,080	—	3,868
16. Jalore	2,04,670	10,320	—	—
17. Kota	3,04,168	87,005	—	—
18. Nagour	94,525	26,035	—	6,786
19. Pali	1,49,820	1,52,503	—	35,483
20. Sirohi	30,570	21,387	—	2,708
21. Sawai Madhopur	1,45,953	17,369	—	1,803
22. Sikar	2,11,383	29,479	—	—
23. Tonk	59,050	16,304		
24. Udaipur	2,93,734	1,79,317	—	4,506
25. Dy. Dir. of Agr. (P.P.) Jaipur	89,494	19,595	—	—
Total :	69,87,262	27,41,838	—	1,56,114

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 540 की सूची)

सूची (ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 125।सा. नि. प्र.

सूची तहसीलवार कार्यों की जो अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1966 में जिला बून्दी में करवाये थे

(1) तहसील हिण्डोली	(1) सतूर बसोली जोवन रोड	मील 1	
(2) तहसील नैनवा	(1) नैनवा जजावर रोड	मील 2	फर्लांग 4
	(2) नैनवा नगर रोड	,, 2	,, 8
	(3) नैनवा आमन गांव समिधि रोड	,, 6	,, 0
	(4) समिधि गंभीरा रोड	,, 1	,, 4
		13—	0

नोट:–तहसील बून्दी तथा केशवराय पाटन में कोई कार्य नहीं कराया गया है। उक्त वर्णित सड़कों पर केवल मिट्टी का कार्य हुआ है।

परिशिष्ट 11

(अ.प्र.सं. 544 की सूची)

दिनांक 7 व 8–11–69 को रात को चोरी गये जेवरात की सूची जो कुनती पुत्र नेतराम गुजर साबडोली बाऊ के यहां से चोरी गये

1–सोने की 1 जोडी मुरकीया 12 आने भर।

2–सोने की 1 जोडी लोंग चार आने भर हरे नंग बीच में।

3–कुडला जोडी 1 सेर के मोहडे पर खुरपीया पैरों के।

4–कुडुला जोडी 1 चांदी के हाथों के सादा वजनी आधा सेर।

5–पिछेली जोडी 1 चांदी की हाथों को वजनी आधा सेर सादा।

6–दरा जोडी 1 चांदी की हाथों की वजनी आधा सेर सादा।

7–हसलीया नग 1 चांदी की वजनी आधा सेर की गोचा दार।

8–पाजेब चांदी के एक जोडी वजनी आधा सेर के वजने बुघरु दार।

9–चूडी चांदी की नग 16 गोथादार वजनी पैरों की।

10–पाजेब जोडी 1 बजने चांदी के वजनी आधा सेर।

11–पाजेब जोडी 1 बजने चांदी के वजनी तीन पाव के पैरों के।

12–पाजेब जोडी 1 बजने चांदी के वजनी तीन पाव के पैरों के।

13–कडूला हाथों के चांदी के अगले सादा वजनी आधा सेर के व कडुला जोडी 2 चांदी के अगले। छले सादा वजनी 1 सेर के।

14–दो जोडी दरा चांदी के हाथों के सादा वजनी 1 सेर के।

15–हथफूल नंग 3 चांदी के हाथों के मय छल्ला सहित तीन गेन्डी वजनी 1 तोला में आधा सेर व दो तोला में पाव सेर के।

16–पि ोन चांदी के हाथों में चोडियों में लगाने के।

17–[illegible] जोडी अगोया मय तुही व पुड्डियों के जो चांदी की पुड्डी न तुही है।

1[illegible] जोडी 3 [illegible] चांदी की जिनमें पाव पाव सेर व 1 जोडी आधा सेर की।

19–नेवरी [illegible] जोडी 3 चांदी जिनमें दो जोडी व एक जोडी नेवरी चांदी को मोर मीनाकारी है।

20–कलो पोने की पतिल की 2 सेर की।

21–धोती नग 2 कोई हरो किनार की।

22–कुरता नग 2 मर्दाने गरम रंग कथई सा।

23–एक कमीज का कपडा चौखाना रंग लाल व छोटे डोरी का 4 गज का।

24–वल्लम दो लाठियों में लगे हुये।

25–गुड भेली 15 सेर बुरा 5 सेर चांवल 8 सेर घी 2 सेर तेल 2 सेर।

दिनांक 7 व 8–11–69 की रात को चोरी गए जेवरात की सूची

1. तोडा एक सोने का वजनी 12 तोला बन्द 8 जैठमा नग खोला मरकन में लगा हुआ जिसमें कुन्दा तांबे का सात भर का ।
2. तोड़ा नग एक सोने का 6 भर का वजनी 6 तोला खेडी खुटी हुई राक कुन्दा ताबिका व दो समोचा लगे हुए ।
3. मोहर नग दो सोने की बगैर पुवी हुई मय कुन्दा सोने के वजनी एक–दो आने भर दो है ।
4. पचमनिया नग एक सोने का, 5 कलेरी का पुवा हुआ लाल डोरे में जिसमें हर चीज वजनी 5 तोला ।
5. कोदनी नग एक चांदी की इमरती की माह की बजनी तीन पांव ।
6. हथफूल नग एक चांदी का हाथ मा मय पांच छल्ला पांच उगलियों के ।
7. कम्वल नग एक गरम कालीगोट रेशमी का सा रंग ।
8. कम्वल नग एक गरम रंग सफेद जिसमें दो और लालधारी पड़ी हुई कोने के सिरों पर ।
9. कुर्ता नग दो, एक सफेद लट्ठा का दूसरा कुर्ता खादी का रंग सफेद ।
10. कमीज नग 4 लडकियों की जनानी एक रंग हरे, दो रंग लाल तीन रंग काली की दो
11. लुगडा चार नग जिनमें एक नीले रंग का दूसरे हरे रंग का तीसरा नारंगी चौथा उनादी पुराने 5।।–5।। गज के 7–7 हाथ चौड़े ।

परिशिष्ट 12

(अ. प्र. सं. 556 की सूची)

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के निजी भण्डार गृह व उनकी लागत

क्र. सं.	मण्डी का नाम	बने हुये गोदामों की संख्या	गोदामों की लागत
1.	रायसिंहनगर	1	1,25,035
2.	बारां	2	3,06,993
3.	भरतपुर	3	4,13,498
4.	करनपुर	1	1,25,741
5.	गंगापुर सिटी	2	2,86,109
6.	सोजत रोड	1	1,58,171
7.	फतेह नगर	1	1,16,496
8.	पाली	1	1,52,309
9.	पीलीबंगा	2	2,50,924
10.	सादुल शहर	1	1,29,470
11.	संगरिया	3	4,04,024
12.	नोहर	2	2,94,027
13.	अलवर	3	3,41,368
14.	खैरथल	1	1,96,733
15.	भादरा	1	1,05,452
16.	रामगंज मण्डी	1	1,25,134
17.	बूंदी	1	1,15,097
18.	निवाई	1	1,07,029
19.	टोंक	1	1,36,474
20.	गजसिंहपुर	1	1,42,689
21.	नदबई	1	1,48,628
22.	धौलपुर	1	1,48,586
	कुल संख्या	32	

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक 29 अप्रैल, 1971)

स्क. संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
2	अन्तिम से	11	सलग्न	संलग्न
13	,,	1	टा	कोटा
18		8	गु	गुम
34	अन्तिम से	10	हा	हो
37		14	कैरे	कैसे
50	अन्तिम से	14	प्रस्न	प्रश्न
56	,,	5	सांगेद	सांगोद
59	,,	2	जाति	जाती
65	,,	8	की	को
66	,,	1	स	संख्या
81	,,	12	उपनेवेशन	उपनिवेशन
102	,,	13	पूर्वी बंगला	पूर्वी बांगला
117		4	एवर्ट	एलर्ट
117		21	काभी	काफी
128		7	कयरता	कायरता
134		6	लागों	लोगों
134		14	श्री शिवचरण	श्री शिवचरण सिंह
145		7	Somet mes	Some times
145	अन्तिम से	14	मूल्क	मुल्क
147	,,	13	प्रतिवेदनों का प्रतिवेदक उप-स्थापन	प्रतिवेदनों का उपस्थापन
148		6	कौनसाहै या ।	कौनसा है ?
153	अन्तिम से	11	मायिने	मायने
160	,,	1	ग	गांव
162		11	ठाढ	ठाठ
170	अन्तिम से	12	इसलिये होगा तो मह होना चाहिये	इसलिये होना तो मह चाहिये
171		16	हे हैं	रहे हैं
190		15	महवानी	महरवानी
192		3	बढ़ा	बढाया
195		5	बंगला	बंगाल
197		16	पाटी	पार्टी
199		8	वलेन्टेयरिली	वालेन्टेरिली
199	अन्तिम से	1	कतना	कितना
207		5	साजमाया	सारा जमाया
209		17	तसल	तसल्ली
231		11	गोकलनाथ	गोलकनाथ
273		11	भागर	भाकर